खण्ड-380, अंक-5
शुक्रवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1909
(26 जून, 1987 ई0)

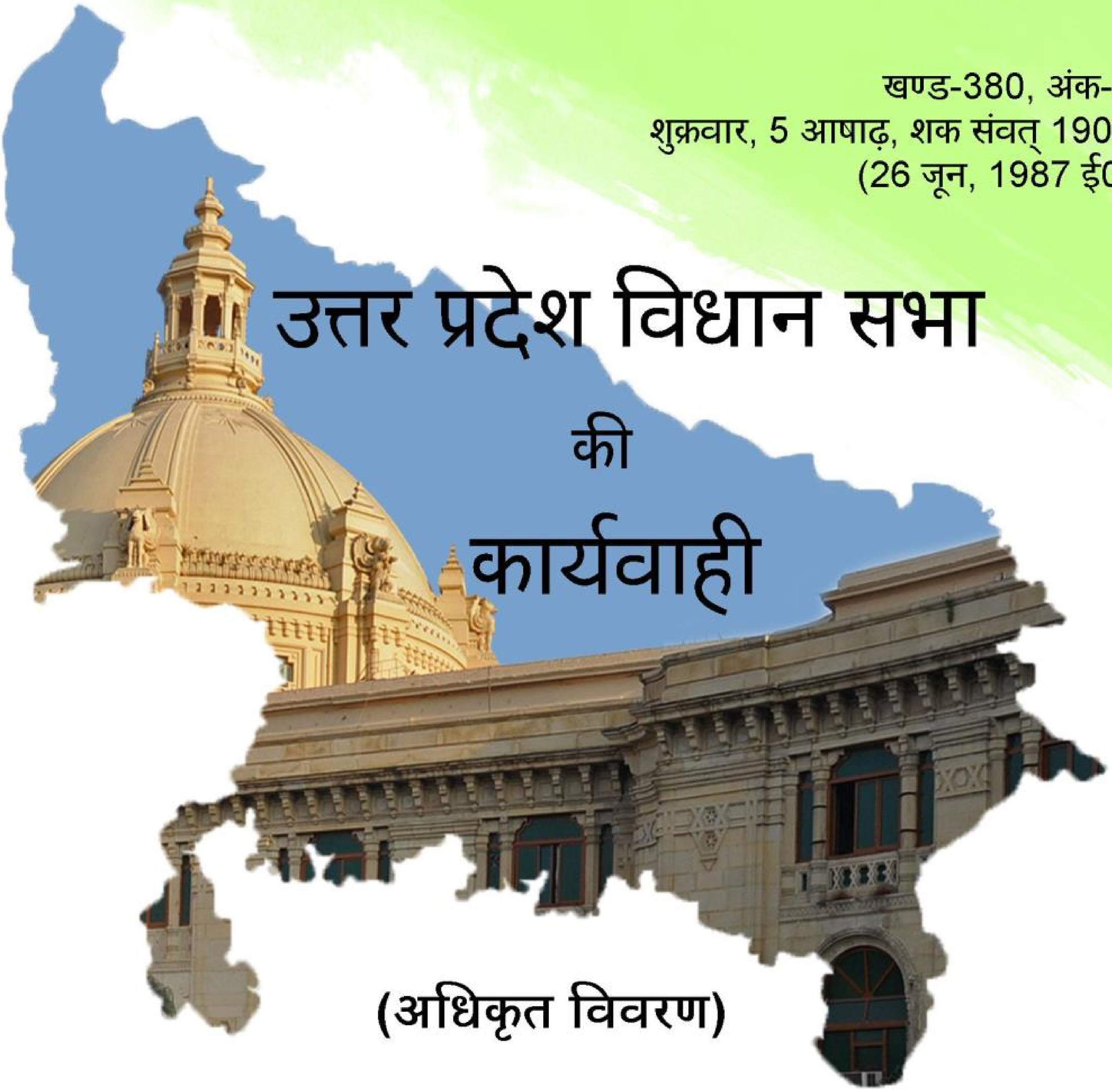

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–61
सदन में पुलिस बल का प्रयोग किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वापस लिए जाने की मांग	61–107
ग्राम अजीटन खेड़ा, काकोरी, लखनऊ के निवासी श्री बनवारी लाल यादव के भाई तथा चाचा की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107–108
थाना हथगांव, फतेहपुर की पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
नगरपालिका सीतापुर में पेयजल संकट एवं पेयजल व्यवस्था के उच्चीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
आगरा में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा कटौती से जनमानस में आक्रोश एवं असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
तहसील किरावली, आगरा के सैकड़ों ग्रामों में पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
जिला झांसी की गुरसराय (झांसी) में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी) . ..	110
जिला झांसी की गरौठा तहसील केन्द्र पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	110
उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों की सूचना का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	110–111
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	111–119
वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	119–120
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	120
जनपद बांदा में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	120–123
नत्थियां	124–139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर अहमद (डम्पी,) श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन बावर, श्री — फैजाबाद
अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अतर सिंह यादव, श्री — एटा
अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
औसान सिंह, श्री — इटावा
कमल किशन पाण्डेय, श्री — पिथौरागढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री — इटावा
किशोरी लाल सकलानी, श्री — देहरादून
कौशिक रमाशंकर, श्री — मुरादाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री — सीतापुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री — इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री — बलिया
चारु शीला, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री — बांदा
जवाहर सिंह यादव, श्री — इलाहाबाद
दिनेश जौहरी, डा0 — बरेली
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूध नाथ, श्री — जौनपुर
नरेन्द्र देव, श्री — मिर्जापुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
नारायण हरि शर्मा, श्री — अलीगढ़
पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
प्रेमीला बढ़वार मेहरा, श्रीमती — बदायूं
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) — गोण्डा
बलवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
बालेश्वर, श्री — देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री — सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री — लखनऊ
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
महाराज सिंह, चौधरी, श्री — इटावा
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर श्री — बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) — मुरादाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री — वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राजेन्द्र सिंह सोलकी, श्री — बुलन्दशहर

राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
श्याम लाल, चौधरी	जालौन
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

महिला विकास निगम के गठन का उद्देश्य एवं उसकी रूपरेखा

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला विकास निगम गठित किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो गठन कब तक पूर्ण हो जाएगा ? इसके उद्देश्य तथा रूपरेखा क्या है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

उ0 प्र0 महिला विकास निगम के गठन की कार्यवाही चल रही है जो शीघ्र ही पूरी हो जायेगी ? इसके उद्देश्य एवं रूपरेखा संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124-125 पर)

राजस्व परिषद् में ग्रामीण सीलिंग से संबंधित लम्बित वादों की गायब पत्रावलियों की जांच

**2—श्री सरदार सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश के ग्रामीण सीलिंग से संबंधित हजारों पत्रावलियां जिससे संबंधित वाद राजस्व परिषद् में लम्बित पड़े हैं, गायब हैं? यदि हां, तो गायब होने के कारण क्या हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? क्या शासन इसकी उच्च अधिकारी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

ग्रामीण सीलिंग में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजस्व परिषद् सीलिंग के वादों के निरस्तारण से संबंधित नहीं है । अतः राजस्व परिषद् में वादों के लम्बित होने या उनसे संबंधित पत्रावलियों के गुम होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत परिषद् के कुप्रबन्ध तथा विद्युत उत्पादन की कमी हेतु गठित राजाध्यक्ष कमेटी की प्रमुख संस्तुतियों को लागू करने की मांग

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के कुप्रबन्ध तथा विद्युत उत्पादन की कमी में सुधार करने के लिए बनाई गई राजाध्यक्ष कमेटी की संस्तुतियों को उ0 प्र0 में लागू करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो किन प्रमुख संस्तुतियों को लागू करने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

जी हां । भारत सरकार द्वारा गठित राजाध्यक्ष कमेटी ने विद्युत क्षेत्र (पावर सेक्टर) के संबंध में कुल 303 संस्तुतियां प्रस्तुत की थीं जिनमें से 93 संस्तुतियों पर कार्यवाही राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित थी । इनमें से 76 संस्तुतियों पर परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष 17 संस्तुतियां कार्यवाही हेतु परिषद् के विचाराधीन हैं ।

राजाध्यक्ष कमेटी की संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत परिषद् के प्रबन्ध में सुधार तथा विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु कई आवश्यक कदम उठाये गये हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं:–

1–टाटा कंसल्टेन्टस द्वारा प्रबन्ध सूचना प्रणाली का अध्ययन किया गया और परिषद् ने इस प्रणाली के कियान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

2–प्रबन्ध में सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु वितरण तथा पारेषण क्षेत्र में संगठनात्मक परिवर्तन किये गये हैं तथा उत्पादन के क्षेत्र में संगठनात्मक परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

3–तापीय विद्युत गृहों में अनुरक्षण में सुधार तथा आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

4–उच्च/अति उच्च विभव की पारेषण प्रणाली की कम्प्यूटर पर अध्ययन के आधार पर पारेषण की भावी योजनाओं को स्वरूप दिया जा रहा है ।

5–द्वितीय पारेषण/वितरण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया जा रहा है जिससे कि उपभोक्ताओं की विद्युत सेवा में और सुधार हो सके ।

6–उपलब्ध मानव संसाधनों के समुचित प्रशिक्षण एवं विकास के लिए थर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आबरा, स्टाफ कालेज देहरादून, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय-समय आयोजन किया जा रहा है ।

7–"शोध एवं विकास" को प्रोत्साहन देने के लिए "इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च इंसटीट्यूट" की लखनऊ में स्थापना की गयी है जहां विभिन्न तकनीकी समस्याओं पर अध्ययन व शोध किया जा रहा है ।

शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

राजकीय इण्टर कालेज समथर, जनपद झांसी को हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु धन की मांग

*1–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगी कि राजकीय इण्टर कालेज समथर, जिला झांसी को शासन पांच लाख रुपए हरिजन छात्रावास बनाने हेतु इस शर्त पर देने को तैयार है कि विद्यालय अपने सूत्रों से पचास हजार रुपये एकत्र करके दिखाये, चूंकि राजकीय विद्यालय चन्दा नहीं ले सकता अतः क्या विद्यालय ने हरिजन कल्याण विभाग को यह प्रस्ताव भेजा है कि हरिजन छात्रावास हेतु भूमि विद्यालय देने को तैयार है तथा उस भूमि का मूल्य पचास हजार रुपये मानकर विभाग पांच लाख रुपये का अनुदान राजकीय इण्टर कालेज समथर को दे दे ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव स्वीकार करने में

शासन को क्या आपत्ति है ? क्या राजकीय विद्यालय समथर का प्रस्ताव स्वीकारते हुए मंत्री जी विद्यालय को हरिजन छात्रावास बनाने हेतु पांच लाख रुपये दिलाने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

विभाग द्वारा उन स्वैच्छिक शिक्षण संस्थाओं को हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु भूमि के अतिरिक्त अपने स्वयं के साधन से लागत का 10 प्रतिशत धन लगाने पर 90 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है । चूंकि उक्त कालेज एक राजकीय संस्था है अतः उसे नियमानुसार अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता न रखने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों की पदावनति

*2–श्री रणजीत–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1981 से 1984 की अवधि में नियुक्त समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों में साठ प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति के समय तथा आज तक अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं है ? क्या यह सही है कि शासन के कार्मिक विभाग ने ऐसी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सेवा से अलग करने की भी संस्तुति विभाग से की है ? यदि हां, तो संस्तुति के अनुसार अब तक कार्यवाही न करने का दायित्व किस अधिकारी का है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं । वर्ष 1981 से 1984 तक के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी नियुक्ति के समय शासनादेश संख्या–7816/26-2-81–560(31)/76 दिनांक 15-12-1981 के अनुसार अपेक्षित निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/योग्यता रखते हैं ।

कार्मिक विभाग ने यह राय दी है कि यदि तदर्थ रूप में चयनित हुए ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारी को नियमित चयनित नहीं किया जाता है तो उसको यदि वह अन्य विभाग से आया है तो उसको संबंधित विभाग को वापस कर दिया जायेगा और यदि इस विभाग से पदोन्नति होकर आया है तो उसको प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा और यदि सीधी भर्ती का है तो उसको सेवा से पद मुक्त कर दिया जायेगा ।

अभी नियमित चयन नहीं किया गया है अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामों की आबादी से संबंधित वादों के शीघ्र व न्यायसंगत निपटारे हेतु तहसीलदार को नक्शा रखने व भूमि का रेखांकन करने का सुझाव

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित ग्रामों की आबादी में ग्राम सभा की खाली भूमि पर कब्जा करने संबंधी वादों का निस्तारण करते समय सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) के समक्ष ग्राम आबादी के अन्दर का नक्शा न होने के कारण न तो वादों का निपटारा न्यायसंगत हो पाता है और न ग्राम समाज की संपत्ति (आबादी की खाली भूमि) का ही कोई निश्चित रिकार्ड रह पाता है जिसके कारण खाली भूमि पर ऐसे अवैध कब्जे भी हो जाते हैं जिन्हें संबंधित लेखपाल व प्रधान मिलकर करते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब सभी ग्रामों तथा विशेष तौर पर चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामों में ग्राम आबादी का नक्शा बनाने अथवा कम से कम ग्राम समाज की खाली आबादी भूमि का रेखांकन कराने के स्पष्ट निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्तमान राजस्व कानूनों में ग्राम आबादी के अन्दर निर्मित भवनों आदि पर स्वामित्व के इन्द्राज किये जाने का प्राविधान नहीं है और खतौनी की श्रेणी 6(2) के अन्तर्गत आबादी स्थलों, सड़कों, मकानों तथा अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली अन्य भूमियों को आबादी के अन्दर ही दर्शाया जाता है । राजस्व कानूनों में इस अभाव की पूर्ति हेतु ग्राम आबादी के अभिलेख तैयार करने के प्रयोजनार्थ विधिक व्यवस्था किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । प्रस्तावित विधिक व्यवस्था हो जाने के बाद आबादी की भूमियों पर अनधिकृत कब्जों से संबंधित वादों का निस्तारण सक्षम न्यायालयों द्वारा सुगमतापूर्वक न्यायसंगत ढंग से किया जा सकेगा ।

*4—श्री मूल चन्द—

[4थे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*5—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

महाप्रबन्धक (निर्माण) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लखनऊ के निजी भवन में लगे लाखों रुपये के श्रोतों की जांच

*6—श्री राम सागर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान महाप्रन्धक (निर्माण) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम का लखनऊ द्वारा कल्याण भवन के निर्माण में केवल एक ही फर्म से बिना टेण्डर के भारी मात्रा में लोहा, सीमेंट, मोरंग आदि निर्माण सामग्री भारी कीमत में खरीदी थी तथा स्वीकृत पैमाने पर भवन भी नहीं बनवाया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी कि उक्त अधिकारी के निजी भवन में लगे लाखों रुपये का क्या स्रोत रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

कल्याण भवन का निर्माण कार्य महाप्रबन्धक (निर्माण) मुख्यालय के सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता/अवर अभियंता/सह लेखा सहायक की

देखरेख में वर्ष 1981 से 1983 तक पूर्व कराया गया । महाप्रबन्धक (निर्माण) की नियुक्ति मुख्यालय में है और सम्पूर्ण प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों का नियंत्रण उनके अधीन है । भवन निर्माण की सामग्री एक ही फर्म से नहीं ली गई है तथा सीमेंट सीधे फैक्टरियों से आती है एवं अन्य सामग्री निर्माण इकाई में गठित पर्चेज कमेटी द्वारा मार्केट सर्वे करके न्यूनतम दर वाली फर्म से समय-समय पर आवश्यकतानुसार खरीदी गई । निर्माण कार्य अनुमोदित नक्शों एवं स्वीकृत विशिष्टियों के आधार पर ही कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस संबंध में जांच की जा रही है ।

जनपद मथुरा की ग्राम सभा नगला अकोरा के पास सोते पर पुल तथा पक्की सड़क बनाने की मांग

*7—श्री सरदार सिंह —

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि ग्राम सभा नगला अकोरा, तह0 सादाबाद, जिला मथुरा यमुना नदी में बाढ़ आने पर चारों ओर से नदी के पानी से घिर जाती है और इस ग्राम सभा के निवासियों का जीवन संकट में पड़ जाता है ? यदि हां, तो शासन इस आपदा से बचाने के लिए इस गांव सभा के लोगों को राहत देने हेतु कौन-कौन से ठोस एवं स्थायी कार्य कर रहा है ? क्या शासन पानी के घिराव से बचाने के लिए सोते पर पुल बांध कर अकोस से नगला अकोस तक के मार्ग को पक्का करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ऊंचे स्थल पर बसने हेतु लगभग 2 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है ।

जी नहीं । क्योंकि ऊंचे स्थल पर बसने हेतु आवंटित की जा चुकी है ।

हरिजन समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

*8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिए अब तक सेवा नियमावली न बन पाने का क्या कारण है ? कब तक उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

विभाग के दोनों हरिजन कल्याण और समाज कल्याण-खण्डों के कर्मचारियों का वर्ष 1978 में एक विभाग में विलय कर देने के कारण कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता एवं प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार करने में जटिलतायें उत्पन्न हो जाने के कारण इन कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां अभी तक अन्तिम रूप से नहीं बन पाई हैं । उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

*9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मंत्री को यह जानकारी है कि विक्रम काटन मिल, लखनऊ के मजदूर 19 मार्च, 1986 से क्रमिक अनशन तथा 1 दिसम्बर, 1986 से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो मजदूरों की मांगे क्या हैं और उन्हें पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि 31 अक्टूबर, 1986 को राज्य श्रम मंत्री ने प्रबन्धकों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई निर्देश दिया था ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)—

जी हां, विक्रम काटन मिल के मजदूर अपनी 27 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 19 मार्च, 1986 से क्रमिक अनशन तथा 1 दिसम्बर, 1986 से हड़ताल पर थे । उनकी प्रमुख मांगें महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, छुट्टियों में बढ़ोत्तरी आदि से संबंधित थी ।

शासन द्वारा हस्तक्षेप करके समस्या के समाधान हेतु उभय पक्षों के बीच समझौता वार्तायें कराई गईं । इसी क्रम में दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को राज्य श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सके। मा0 राज्य मंत्री जी ने उचित मांगों को मानने तथा उद्योग में शान्ति लाने के लिए प्रबन्धकों एवं श्रमिकों से आग्रह किया था ।

अन्ततोगत्वा उभय पक्षों में दिनांक 23-2-1987 को आपसी समझौता हो जाने के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई और 23-2-87 की रात्रि से प्रतिष्ठान में कार्य आरम्भ हो गया ।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक छानवे में कार्य अर्जुनपुर पम्प नहर को चालू करने की मांग

*10—चौधरी भगवती प्रसाद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के ब्लाक छानवे में कार्यरत अर्जुनपुर पम्प नहर को चलाने के लिये अलग से विद्युत विभाग द्वारा फीडर का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो किस सन् में और मौजूदा समय में उक्त फीडर चलने के लायक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विद्युत विभाग उसे पुनः चालू हालत में लाने के लिये प्रयास कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक सही हो जायेगा ।

श्री सुनील शास्त्री—

मिर्जापुर जनपद के ब्लाक छानवे में कार्यरत अर्जुनपुर पम्प नहर को चलाने के लिये अलग से फीडर विद्युत विभाग द्वारा 33 के0 वी0 लाइन, 132 के0 वी0 उपकेन्द्र जिगना से अर्जुनपुर 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र तक बनाई गयी है । इसका निर्माण 1978 में पूरा हुआ तथा मौजूदा समय में उक्त फीडर की 11 के0 वी0 ए0 सी0 बी0 खराब होने की वजह से चलाने लायक नहीं है । वर्तमान समय में जिगना 132 के0 वी0 उपकेन्द्र से 11 के0 वी0 लाइन द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्जुनपुर पम्प कैनाल को विद्युत की आपूर्ति दी जा रही है तथा उपकेन्द्र अर्जुनपुर की 11 के0 वी0 ए0 सी0 बी0 को बदलने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, यह कार्य वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत होने की आशा है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता

*11—श्री रमेश यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी के तमाम ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी हैं जिनको अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता एवं लापरवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है जिसके कारण ऐसा नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है ? क्या शासन जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए न्यायोचित नियम लागू करायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतएव कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस को जिला बनाने का प्रस्ताव

*12—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस को जिला बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोएडा तथा जी0 डी0 ए0 से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजियाबाद को उपलब्ध कराया गया धन एवं उसका वितरण

*13—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अर्जन संशोधित अधिनियम, 1984 की संशोधित धारा 28(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रतिकर में की गई बढ़ोत्तरी के कारण नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) एवं जी0 डी0 ए0 (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) नामक अर्जन निकायों से अब तक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गाजियाबाद को कितना धन उपलब्ध कराया गया है तथा उक्त प्राप्त धन को किन-किन में वितरित कराया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 में संशोधित धारा-28(ए) अन्तर्गत प्रतिकर संबंध किये गये प्राविधानों के अनुसार नोएडा अर्जन निकाय द्वारा 20,65,752-10 पै0 उपलब्ध कराया गया है। यह धन 2 ग्राम अर्थात् मोरना तथा आगापुर के 26 सन्दर्भों से संबंधित है । उपलब्ध करायी गई इस धनराशि का वितरण संबंधित ग्राम मोरना एवं आगापुर में किया जा चुका है ।

जी0 डी0 ए0 (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) ने धारा-28(ए) के अन्तर्गत अभी तक कोई धन नहीं उपलब्ध कराया है ।

जनपद बस्ती के विधान सभायी क्षेत्र रामनगर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*14—कर्नल केशरी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में विधान सभा क्षेत्र रामनगर, बस्ती में वर्षवार कौन-कौन, से गांवों में एवं किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है और उनमें से किन-किन गांवों में विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

विधान सभा क्षेत्र रामनगर, जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर एवं सल्टांवा के ग्रामों एवं उनकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्षवार निम्न तालिका में दर्शाया गया

क्रम सं0 ग्राम का नाम	विद्युतीकरण का वर्ष
विकास खण्ड रामनगर	
1—बेइली	85-86
2—परसीनियां (परसोहिया)	85-86
3—बरडाहा	86-87
4—चिरई बुजुर्ग	86-87
विकास खण्ड सन्टावा	
1—भिरिया	85-86
2—संसारपुर	85-86
3—महुआपार	85-86
4—मुस्तफाबाद	85-86
5—पीरवर भिटवा	85-86
6—अंडवा	85-86
7—पडारी	85-86
8—पकरी भाखा	85-86
9—हरदिया	85-86
10—गोहनिया	85-86
11—तेलियाडीह	86-87
12—पिटौस	86-87
13—गोरखर	86-87
14—खरहरा जप्ती	86-87
15—चौकवा	86-87

उपरोक्त सभी ग्रामों में विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है ।

जनपद हरदोई को नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

*15—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई नगर में निरन्तर विद्युत की कटौती बनी रहती है तथा लगातार कई-कई रातों में विद्युत की आपूर्ति बन्द रहती है जिससे कि नागरिकों एवं विद्यार्थियों को घोर संकट का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी हरदोई नगर में नियमित विद्युत आपूर्ति की कोई समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

विद्युत उपलब्धता की तुलना में विद्युत मांग के अधिक बढ़ जाने के कारण विद्युत वितरण प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिये आकस्मिक विद्युत कटौती करना अनिवार्य हो जाता है । जनवरी, 1987 से मई, 1987 तक हरदोई नगर को 16 से 21 घंटे

प्रतिदिन विद्युत की आपूर्ति की गई परन्तु कुछ क्षेत्रों में स्थानीय वितरण कठिनाईयों के कारण आपूर्ति में कमी की सम्भावना है। प्रदेश के नगरों में विद्युत वितरण प्रणाली में धनराशि की उपलब्धि के अनुसार सुधार किया जा रहा है। आशा है कि इस सुधार कार्य से हरदोई नगर में भी विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।

मेसर्स हिन्डालको पर बकाया विद्युत बिल की वसूली

*16—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स हिन्डालको लि0 पर पिछले वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 का कितना विद्युत किराया बकाया है? शासन ने उपरोक्त किराया वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सर्वश्री हिण्डालको के ऊपर वर्ष 1984-85 में 843 लाख, 1985-86 में 758.77 लाख तथा 1986-87 के अन्त में कुल 893.67 लाख रु0 बकाया था।

बकाये रु0 893.67 लाख की वसूली की वर्तमान स्थिति निम्न है :—

(1) रु0 54.51 लाख

नाइट रेगुलेशन, कोयला अधिभार, आबकारी शुल्क, लोड फेक्टर से सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज लगने के कारण है। मामला पंच निर्णय से संबद्ध है।

(2) रु0 0.63 लाख

नाइट रेगुलेशन का बिल है व पंच निर्णय के अधीन है।

(3) रु0 501.00 लाख

रु0 168.00 लाख 15-5-76 से 29-6-80 तक, व 333.00 लाख 1-6-79 से 29-6-80 तक की अवधि का दरों में पुनरीक्षण के कारण है। रु0 168.00 लाख की वसूली के लिये विद्युत विच्छेदन का नोटिस दिया था। जिसका कार्यान्वयन मेसर्स हिण्डालको के प्रतिवेदन पर रोक दिया गया है। रु0 333.00 लाख का मामला पंच निर्णय से सम्बद्ध है। जिसके निर्णय के उपरान्त ही वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(4) रु0 141.00 लाख

यह राशि 1-9-70 से 29-6-75 तथा 16-2-80 से 29-6-80 तक की अवधि के विद्युत शुल्क के बकाये की है। मामला उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के पास विधिक राय के लिये भेजा गया है। विधिक राय प्राप्त होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

(5) रु0 1.63 लाख

यह धनराशि विद्युत कटौती के दौरान अनुज्ञेय मांग (परमिसिबल डिमान्ड) से अधिक विद्युत आपूर्ति लेने के कारण है। मामला परिषद् के विचाराधीन है।

(6) रु0 36.50 लाख

यह धनराशि 84-85 में "मेन सप्लाई" के अन्तर्गत अनुबन्ध के अधीन निर्धारित न्यूनतम यूनिट से कम उपभोग करने के कारण है। यह मामला परिषद् के विचाराधीन है।

(7) रु0 21.00 लाख

इस धनराशि का सर्वश्री हिण्डालको ने माह अगस्त, 85 के बीजकों का भुगतान करते समय विभिन्न पंच निर्णयों के नाम पर कम भुगतान किया, मामला परिषद् के विचाराधीन है।

(8) रु0 19.65 लाख

यह धनराशि 85-86 में इमर्जेन्सी सप्लाई की निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत उपभोग करने के कारण है। मामला परिषद् के विचाराधीन है।

(9) रु0 117.75 लाख

पुनरीक्षित दरों के कारण 168.00 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान न करने के कारण उक्त धनराशि पर "लेट पेमेन्ट" सरचार्ज है। यह मामला मद (3) से संबद्ध है।

दैवी आपदाओं के निवारणार्थ केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा बुलाए गये सम्मेलन की दूरगामी योजना विषयक सुझाव

*17—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने जनवरी, 15 एवं 16, 1986 को राजस्व मंत्रियों का कोई सम्मेलन दैवी आपदाओं जैसे बाढ़ व सूखा के निवारण हेतु आयोजित किया था और क्या उन्होंने ग्रामीण अंचलों के कमजोर तबकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु कोई दूरगामी योजना बनाने हेतु राज्य सरकारों को सुझाव दिया है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

ऐसा सम्मेलन दिनांक 16-1-86 को नई दिल्ली में हुआ था। शासन को प्राप्त जानकारी के अनुसार उस सम्मेलन में प्रश्नगत सुझाव नहीं दिया गया था ।

पर्वतीय जनपदों में सिरतानों की भूमि का नियमितीकरण एवं पट्टों का वितरण

*18—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या यू0 ओ0 260/राज0-1/84-788/159/156/77 दिनांक 8 मार्च, 1983 द्वारा पर्वतीय जनपदों में वर्ग 4 के सिरतानों की भूमि का नियमितीकरण करने तथा तद्नुसार पट्टों का वितरण हेतु जुलाई, 85 तक का समय निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो इस हेतु पट्टों के प्रारूप का निर्धारण कब किया जायेगा ? इन पट्टों को 1 अगस्त, 1986 तक वितरित न होने के कारण राज्य सरकार को वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि

की हानि हुई है? इस हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? कब तक उल्लिखित पट्टे वितरित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

यह सही है कि शासनादेश संख्या यू0 ओ0 160/रा-1/84-788/150/56/77, दिनांक 8 मार्च, 1985 द्वारा भूमि के नियमितीकरण तथा पट्टों के निष्पादन की कार्यवाही हेतु दिनांक 30 जून, 1985 तक का समय निर्धारित किया गया था।

पट्टों के प्रारूपण में अन्तर्ग्रस्त अनेक विधिक बिन्दुओं के सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों, राजस्व परिषद् तथा शासन के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है।

शासनादेश दिनांक 8-3-85 में मालगुजारी का निर्धारण कूजा अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से किया जाना है और पट्टे के प्रारूप को अन्तिम रूप मिलने के बाद मालगुजारी की वसूली भी उसी दिनांक से की जानी है। अतएव पट्टों के अभी तक वितरित न किये जाने के कारण मालगुजारी में कथित हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टों के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने के प्रयोजनार्थ पर्वतीय जनपदों द्वारा इंगित विधिक कठिनाइयों पर विधिक मत स्थिर होने के बाद ही सभी पट्टों का वितरण सम्भव हो सकेगा। अतएव इसमें किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सासनी, जनपद अलीगढ़ की विद्युत समस्या के प्रतिनिधि मण्डल व अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच मारपीट की शिकायत

*20–डा0 बंगाली सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-4-87 को सासनी, जनपद अलीगढ़ का एक प्रतिनिधि मण्डल विद्युत समस्या को लेकर श्री राजेश कुमार भार्गव की अध्यक्षता में अधीक्षण अभियन्ता से मिला था ? क्या यह सत्य है कि उस प्रतिनिधि मंडल के साथ उपस्थित वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मारपीट की तथा राकेश कुमार अग्रवाल का सिर फोड़ दिया तथा कई लोगों को गम्भीर चोटें आयीं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम गार्जिया व धामी के विद्युतीकरण की मांग

1—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के तह0 डीडीहाट वि0 खं0 बेरीनाग अन्तर्गत ग्राम सभा थल का विद्युतीकरण 1975 तक हो चुका था? इसी ग्राम सभा के अन्तर्गत हरिजन एवं जनजाति के उप गांव (जिसके मार्ग पर दो सवर्ण परिवारों के पक्के मकान भी हैं) ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण, उप खण्ड अधिकारी विद्युत उप खण्ड (तृतीय) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् डीडीहाट के पत्रांक 225 वि0 वि0 ड0 खण्ड (डी) 5—4 दि0 23-4-83 द्वारा विद्युतीकरण के निर्देश दिये जाने के बाद भी दि0 15-1-86 तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उपरोक्त ग्राम का अतिशीघ्र विद्युतीकरण करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

ग्राम—गर्जिया का विद्युतीकरण न किये जाने का मुख्य कारण यह है कि उक्त ग्राम राजस्व ग्राम न होकर, राजस्व ग्राम—धामी का एक तोक (उप गांव) है। साथ ही ग्राम धामी अभी जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं किया गया है। अभी केवल उसका आर0 ई0 सी0 योजना में विद्युतीकरण प्रस्तावित है। चयनोपरान्त ही ग्राम—धामी का विद्युतीकरण करना सम्भव हो सकेगा और उसके साथ ही ग्राम—गर्जिया का विद्युतीकरण परिषद् की निर्धारित नीति एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

जनपद पिथौरागढ़ के ब्लाक कनालीछीना पापली विद्युत मार्ग पर कार्यरत श्री रमेश चन्द्र पन्त की मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग

2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना में कनालीछीना पापली विद्युत मार्ग में कार्य करते हुए दैनिक वेतन धारी श्री रमेशचन्द्र पन्त (पुत्र बालकृष्ण पन्त, ग्राम सांगड़ी, पत्रालय छड़नदेव, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के स्थायी निवासी) की दिनांक 16-12-84 को विद्युत खम्बे से गिरकर रीढ की हड्डी में गम्भीर चोट लगने के कारण जनवरी, 85 में लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो मृतक के अंधे माता-पिता को अब तक आर्थिक सहायता देने/क्षति पूर्ति करने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

मृतक के वैध आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय समिति की संस्तुति एवं मेडिकल रिपोर्ट आदि मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव की ग्राम सभा गुजौली के लेखपाल द्वारा की गयी अनियमितता

3—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 राज्यस्व मंत्री को उन्नाव जिले के पुरवा तहसील के ग्राम सभा गुजौली के लेखपाल द्वारा अनियमितता बरतने सम्बन्धी गुजौली गांव के किसानों का पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्रांक 176/86 दि0 12-3-86 मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डी0 एम0 सुल्तानपुर को परती व सार्वजनिक भूमि का फर्जी पट्टे की शिकायत की जांच

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री भानु प्रताप सिंह निवासी कल्याणपुर, परगना जामो का दिनांक 14-3-84 का रजि0 प्रार्थना पत्र जिसमें परती व सार्वजनिक भूमि का फर्जी पट्टा कराकर जमीन हड़पने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र की जांच अब तक न कराने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराई गयी जिससे ज्ञात हुआ कि परगनाधिकारी, मुसाफिरखाना द्वारा मु0 नं0—513 के अन्तर्गत दि0 10-9-70 द्वारा श्री शिवसागर पुत्र कल्पनाथ ग्राम कल्याणपुर के हक में 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का एवं मु0 नं0—993 दिनांक 10-11-71 द्वारा 4 बीघा 18 बिस्वा श्री रवि शंकर पुत्र शिवसागर के नाम भूदान भूमि का दाखिल खारिज का आदेश पारित हुआ था।

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच मौके पर किसी उच्चाधिकारी से कराकर पट्टा निरस्त करने व दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नायब तहसीलदार जामों, तहसील गौरीगंज द्वारा लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 201 के अन्तर्गत दिनांक 28-2-87 के द्वारा दोनों व्यक्तियों का नाम खारिज करके भूदान समिति के नाम दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। नायब तहसीलदार के समक्ष पट्टेदार उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई पट्टा दाखिल किया। अतः प्रशासनिक जांच की जा रही है। पट्टे फर्जी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

6—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

ग्राम हाटा, जनपद सुल्तानपुर के भू आवंटियों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

7—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रम संख्या 47 दिनांक 12-7-85 जो ग्राम हाटा, जिला सुल्तानपुर के भूआवंटियों की गम्भीर शिकायत से सम्बन्धित है, उनके कार्यालय के रजिस्टर में राजस्व सचिव को संदर्भित है, प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में उनके स्तर से दिये गये आदेशों के परिपालन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

मातादीन वर्मा निवासी ग्राम हाटा शिकायतकर्ता के पत्र का प्रश्न है, के सन्दर्भ में श्री वर्मा ने 9 पट्टेदारों 1—बुदुल, 2—पंगुल, 3—सुग्रीव, 4—झगरू, 5—मिट्ठू, 6—राम अजोर, 7—भगौलीदीन, 8—बासदेव, 9—राम अवतार की सूची जिनको अवैध पट्टा दिया जाना कहा है में 3 व्यक्तियों के पट्टे न्यायालय में वैध पाये गये हैं और एक व्यक्ति बासदेव सुत राउरदीन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। एक से लेकर 18 व्यक्ति जो शिकायतकर्ता द्वारा भूमिहीन बताये गये हैं उनको अब गांव में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवंटन सम्भव नहीं है।

ग्राम प्रधान भदोखर, जिला फैजाबाद द्वारा अपने पुत्रों के नाम ग्राम समाज के अवैध पट्टे किये जाने की शिकायत

8—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम भदोखर, परगना हवेली, तह0 व जिला फैजाबाद द्वारा अपने पुत्रों व अन्य पारिवारिक जनों के नाम दिये गये ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध श्री प्रवेज अख्तर ग्रामवासी द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 3-1-83, दिनांक 6-1-83 को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा निमड़ी, जिला फैजाबाद निवासी श्री जंगबहादुर सिंह आदि द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की जांच

9—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 7वें शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सन्दर्भ में मा0 राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित मामले की जांच कब और किससे करायी गयी है? क्या कोई राजपत्रित अधिकारी मौके पर जांच करने गया था? यदि हां, तो ग्राम प्रधान तथा अन्य भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों को भी विश्वास में लेकर पूछताछ की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम भुरैता, उन्नाव में विद्युत आग से जले खलिहान तथा मालिकों की क्षतिपूर्ति

10–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौरावां पावर हाउस के निकट ग्राम भुरैती, उन्नाव में मई, 1986 के दूसरे सप्ताह में बिजली से लगी आग से खलिहान जल गया तथा खलिहान के मालिकों ने तार ठीक करने के लिए अवर अभियन्ता, मौरावां पावर हाउस से प्रार्थना किया था? यदि हां, तो ठीक न करने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 315/86 दिनांक 14-5-86 जो कि आग लगने से खलिहान मालिकों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

हां, ग्राम भुरैता, पो0 मौरावां, जिला उन्नाव में दिनांक 7-5-86 को राज्य विद्युत परिषद् की मध्यम विभव ओवर हेड लाइन में हुई स्पार्किंग से निकली चिन्गारी खलिहान पर गिरी जिसके फलस्वरूप खलिहान में रखे सर्वश्री लक्ष्मी नारायण, भगवती शंकर, शोभनाथ एवं श्री रामरतन के गेहूं के कई बोझ जल कर नष्ट हो गये। उक्त अग्निकाण्ड के पूर्व खलिहान के मालिकों द्वारा तार ठीक करने की कोई शिकायत अवर अभियन्ता मौरावां से नहीं की थी।

इस अग्निकाण्ड की दुर्घटना से पीड़ित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिये जाने तथा राज्य विद्युत परिषद् के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश राज्य विद्युत परिषद् को दिये जा चुके हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी, तह0 निघासन के नागरा परिवार की सैकड़ों एकड़ अवैध भूमि के कब्जों की जांच

11–श्री रणजीत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नागरा परिवार ग्राम सुमेरपुर, थाना सम्पूर्णानगर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी के कब्जे में कुल कितनी भूमि है? क्या यह सही है कि उक्त परिवार के कब्जे में सैकड़ों एकड़ अवैध भूमि है जो शासन की योजनाओं/नीतियों के ठीक विपरीत है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कुल अवैध भूमि को नागरा परिवार से लेकर स्थानीय भूमिहीनों में वितरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच राजस्व परिषद् के माध्यम से कराई जा रही है।

कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार, गोरखपुर के लेखपाल (श्री सुभाष मल्ल) द्वारा अनियमित रूप से आराजी में हेराफेरी करने की जांच

12—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल (श्री सुभाष मल्ल) कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार गोरखपुर ने आराजी नं0 356/0-15 घ 358/0-8 व 429/04 व 473/06 व 475/076 व 475/8 भूमि से जागन पुत्र मुक्ति निवासी ग्राम खड़खड़ीया तप्पा रिगौली, परगना हवेली, तह0 सदर, गोरखपुर का नाम काट कर बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के फर्जी ढंग से बाल किशुन व ढुनमुन व भरख व कन्ता पुत्रगण राम प्रसाद ग्राम उपरोक्त का नाम मिसिलबन्द पर दिनांक 28-8-85 को कर दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

ग्राम खड़खड़ीया, तहसील फरेन्दा के आराजी नं0 356घ/0-15 व 358/0-8 व 429/0-42 व 474/0-76 व 475/8 डि0 को श्री जागन ने श्री हरीराम पुत्र मंगरू व गाटा संख्या—473/0-86 डि0 श्री उदय राज पुत्र त्रिवेनी के हक में किये गये बैनामा दिनांक 16-10-84 के आधार पर सर्वे नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-1-85 से उपरोक्त के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये गये हैं ।

13—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

14—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के ग्राम पचोखर में सीलिंग/ग्राम समाज की भूमि को हरिजनों में आवंटित किया जाना

15—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर में सीलिंग की बची भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि अलग-अलग कितनी है तथा इसमें हरिजन भूमिहीनों के आवास तथा कृषि के लिए कितनी भूमि के पट्टे कर दिए गए तथा कितनों का कब्जा मिल गया है ? सभी को कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या तुरन्त भूमिहीन हरिजनों को दिए गए भूमि के पट्टों पर कब्जा दे दिया जायेगा तथा शेष सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि का हरिजन भूमिहीनों में तुरन्त आवंटन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर में सीलिंग की अतिरिक्त भूमि 6.92 एकड़ तथा ग्राम समाज की 12.89 एकड़ भूमि कृषि योग्य है। इस भूमि में से हरिजन आवास हेतु कोई पट्टे चकबन्दी के बाद नहीं हुए हैं । ग्राम सभा में निहित 12.89 एकड़ भूमि में से 3.70 एकड़ के पट्टे 8 हरिजनों को दिए गए

हैं तथा उन्हें कब्जा भी दिया जा चुका है । शेष 9.19 एकड़ का आवंटन प्रस्ताव वरीयता क्रम न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है । निर्धारित वरीयता क्रम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

ग्राम नरैनी, जनपद बांदा की भूमि को भूमिहीन हरिजनों को आवंटित करने की मांग

16–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरैनी तहसील (बांदा) जनपद के ग्राम नरैनी में कितनी भूमिहीन हरिजनों के आवंटन के लिये शेष है और यह भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बांदा तहसील नरैनी के ग्राम नरैनी में कोई भूमि भूमिहीनों को आवन्टन के लिए शेष नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पुरैना जिला बस्ती के श्री अब्दुल मन्नान प्रधान आदि द्वारा फर्जी रूप से पंजीकृत कराये गये सार्वजनिक खलिहान की भूमि को खाली कराने तथा प्रधान को निलम्बित किये जाने की मांग

17–श्री सुख पाल पाण्डे—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पुरैना तप्पा उजियार परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में जमीन खसरा नं0 188 सार्वजनिक खलिहान के लिए छोड़ी गई थी ? यदि हां, तो क्या सही है कि उक्त खलिहान को अब्दुल मन्नान प्रधान आदि ने फर्जी कागज बनाकर सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में मदरसा अरबिया के नाम से रजिस्ट्रेशन दिनांक 14-3-84 को करा दिया है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक खलिहान को खाली कराने के लिए तथा प्रधान को निलम्बित करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

खलिहान गाटा संख्या-188 पर मदरसा अरबिया स्थापित कर सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ से रजिस्ट्रेशन कराये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है । उक्त खलिहान को खाली कराने एवं दोषी प्रधान के विरुद्ध अनुशासत्मक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

श्री ज्वाला प्रसाद लेखपाल तहसील नौगढ़ जनपद बस्ती के फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच

18–श्रीमती कमला साहनी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्वाला प्रसाद लेखपाल तहसील नौगढ़ जनपद बस्ती द्वारा प्राइमरी पाठशाला नौगढ़ बस्ती का जाली सर्टीफिकेट लेकर लेखपाल की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की थी जिसकी जांच भी 1982 में कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जाली सर्टीफिकेट लगाने के विरुद्ध लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जांच करायी जा रही है ।

निलम्बित अमीन श्री हरि शंकर निवासी तितुरा तह0 पुवायां जनपद शाहजहांपुर की सेवा बहाली

19—श्री सत्य पाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-3-83 को लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा श्री हरि शंकर (अमीन) पुत्र श्री श्याम सुन्दर निवासी तितुरा तह0 लुवायां जिला शाहजहांपुर को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए थे ? क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर अपील भी खारिज हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त व्यक्ति (अमीन शाहजहांपुर) को सेवा में क्यों नहीं लगाया गया है ? सरकार उपरोक्त अमीन को कब तक बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका पर निर्णय अपेक्षित है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग बस्ती द्वारा हरिजन/पिछड़ी जातियों के छात्रों को देय धनराशि

20—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग बस्ती से हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कितना धन 31 मार्च, 86 तक दिया गया और कितना धन देना शेष है? शेष धन में से कितना धन किन-किन तारीखों में संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया? एकमुश्त स्वीकृत छात्रवृत्ति को विभिन्न तारीखों में देने का क्या कारण है? उक्त मामले में 31 अक्टूबर, 1986 तक कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार की उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुईं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु क्रमशः 48,55,959·36 पैसे तथा 12,01,160·00 कुल 60,57,119·36 पैसे की धनराशि 31 मार्च, 86 तक दी गई तथा क्रमशः 696040·64 एवं 7,13,840·00 कुल रुपया 14,09,880·64 की धनराशि छात्रवृत्ति देने हेतु शेष थी।

शेष धनराशि रु0 14,09,880·64 हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार विभिन्न तारीखों में दी गयी।

व्यक्तिगत खाते बैंकों में समय से न खुलवाने तथा बिलों के समय से प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत विभिन्न तारीखों में दी जा सकी।

दिनांक 31-10-1986 तक 10 शिकायती पत्र प्राप्त हुए।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 126 पर)

जनपद मिर्जापुर के रिहन्दनगर (बीजपुर) प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर

21–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर के रिहन्दनगर (बीजपुर) प्रोजेक्ट में कितनी भूमि सीरदारी, ग्राम सभा, बन्जर नजूल एवं वर्ग–4 की अध्याप्त की गई है? उसमें कितनी भूमि का कितने काश्तकारों को मुआवजा मिल गया है?

श्री सुनील शास्त्री–

रिहन्द नगर (बीजपुर) प्रोजेक्ट में कुल 645–285 एकड़ भूमि अध्याप्ति की जा चुकी है जिसमें से 1002 व्यक्तियों को मु0 87,25,216·41 रुपये प्रतिकर के रूप में वितरित किया जा चुका है। अब केवल 118 व्यक्तियों को मु077,78,030·34 रुपये का वितरण अवशेष है। अवशेष धनराशि उन्हीं प्रकरणों की है जिसमें या तो प्रतिकर ग्रहीता प्रतिकर लेने उपस्थित नहीं हुए अथवा प्रकरण विवादग्रस्त है।

ग्राम गहीरा तप्पा राजधानी, परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के स्कूल/खेल के मैदान हेतु सुरक्षित भूमि को सरकारी कर्मचारी के नाम दर्ज कर देने की शिकायत

22–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गहीरा तप्पा राजधानी, परगना हवेली, तह0 सदर, जिला गोरखपुर में आराजी नं0 58/0-24 डि0 भूमि स्कूल व आराजी नं0 59/1-58 डि0 भूमि खेल के मैदान हेतु चकबन्दी द्वारा ग्राम सभा में स्कूल हेतु सुरक्षित की गई थी? यदि हां, तो क्या स्कूल व स्कूल के खेल के मैदान की भूमि श्रेणी–3 में पट्टे पर किसी सरकारी कर्मचारी के नाम से या उसके परिवार के व्यक्ति के नाम खसरा व खतौनी में दर्ज की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

23–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री जी को यह भी मालूम है कि सन् 1978 से आराजी नं0 59 में 51×21 फुट का कमरा बनाकर राजकीय कन्या बेसिक जू0 हाई स्कूल चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आराजी को स्कूल व स्कूल के मैदान की भूमि स्कूल के पक्ष में करने हेतु उचित आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील बांसगांव जनपद गोरखपुर के सेवा निवृत्त लेखपाल श्री जलेश्वर लाल को पेंशन आदि देयों का भुगतान

24–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जलेश्वर लाल लेखपाल सुपरवाइजर कानूनगो, क्षेत्र बांसगांव, तहसील बांसगांव जिला गोरखपुर से वर्ष 1984 से सेवा निवृत्त हो चुके हैं? यदि हां, तो श्री लाल द्वारा पेन्शन, ग्रेच्युटी, प्राविडेण्ट फण्ड आदि अन्य देय भुगतान संबंधी सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बावजूद भी अब तक पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रावीडेण्ट फण्ड आदि का भुगतान न करने का क्या कारण है? क्या सरकार पेंशन आदि का भुगतान शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन आदि देयों का भुगतान नहीं किया जा सका। महालेखाकार उ0 प्र0 से प्राधिकार पत्र प्राप्त होते ही पेंशन आदि देयों का भुगतान कर दिया जायगा।

देहरादून के प्राइवेट/मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने से सेवा समाप्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं को पुनः सेवा में लिए जाने की मांग

25–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में प्राइवेट एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होने से कितनी स्थाई अध्यापिकाओं एवं अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं? क्या सरकार इनको सेवा में लेने पर पुनः विचार कर रही है?

श्री सईदुल हसन–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं पर लागू होने के बाद की अवधि में देहरादून जनपद में प्राप्त उपालम्भ पत्रों के आधार पर आठ सेवायोजकों द्वारा 29 अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवायें समाप्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार अध्यापक कर्मकार नहीं हैं अतः वे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की सुरक्षा से आवृत्त नहीं होते। परन्तु मान्यता प्राप्त जूनियर बेसिक स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक की सेवा समाप्ति से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी का लिखित पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

वृहत तापीय परियोजना, मिर्जापुर के बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वासन

26–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर के वृहत तापीय परियोजना रिहन्द नगर (बीजपुर) में रामबली मेट व आधू सिंह ठेकेदार के यहां से 35 बन्धुआ मजदूर गत वर्ष मुक्त कराए गए थे? उन बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वास के नाम पर क्या दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

जनपद मिर्जापुर में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीजपुर में दिनांक 11-6-86 को श्री अवध नाथ सिंह उर्फ आँधू सिंह, ठेकेदार, मैसर्स चहल कम्पनी, बीजपुर के यहां से 36 (न कि 35) मजदूरों, जो सभी जिला विलासपुर (मध्य प्रदेश) के थे, को अवमुक्त करा कर पुनर्वासन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, विलासपुर को भेज दिया गया था।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बन्धुआ श्रमिक को अवमुक्त किये जाने के बाद उसके गृह राज्य में पुनर्वासन के लिए भेज दिया जाता है और उसके पुनर्वासन की कार्यवाही उसी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बाल विकास परियोजना अन्तर्गत कन्टेनर्स आपूर्ति में अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच

27–श्री अर्जुन सिंह यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि क्रय समिति की बैठकों में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी की हस्ताक्षर उपस्थिति हुयी थी और उन्होंने मामले में धांधली की जानकारी दी थी? क्या यह भी सही है कि उन्हीं बैठकों में उपरोक्त आपूर्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा लिये जाने की बात भी तय हुई थी तथा यह निर्देश दिये गये थे कि आपूर्ति लेने से पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी यह बात देखेंगी कि आपूर्ति किये जाने वाले कन्टेनर्स अनुमोदित नमूने के अनुरूप हैं अथवा नहीं परन्तु उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी ने ऐसा नहीं किया जिससे गड़बड़ी हुई? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आपूर्ति लेने वाले बाल विकास योजना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

गड़बड़ी अनुमोदित नमूने के अनुरूप आपूर्ति लेने पर न होकर नमूने को गलत ढंग से अनुमोदित करने के कारण हुई है, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी दोषी नहीं पाई गई। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री शर्मा) व आई0 सी0 डी0 एस0 सेल प्रभारी (श्री तिवारी) द्वारा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

28–श्री गोपाल दास यादव तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0/विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अक्टूबर, 1985 से अगस्त, 1986 तक दोनों योजनाओं हेतु उस समय के उप-निदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री शर्मा) व आई0 सी0 डी0 एस0 सेल प्रभारी (श्री तिवारी) की मिलीभगत से पचासों नियुक्तियां तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में बिना विज्ञापन आदि निकाले की गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या की गयी नियुक्तियों का सम्पूर्ण विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी जिससे स्पष्ट हो सके कि इन नियुक्तियों का आधार क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अक्टूबर, 1985 से अगस्त, 1986 तक कुल 17 तृतीय श्रेणी एवं 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं। 17 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से 13 दैनिक वेतन पर नियुक्त किये गये तथा शेष 4 की नियमित नियुक्ति सेवा योजना से मांगे गये नाम एवं सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर की गयी। 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां दैनिक वेतन पर की गई हैं।

दैनिक वेतन पर नियुक्तियों के लिए सामान्यतः विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है तथा नियमित नियुक्तियों के लिए सेवायोजन से नाम मांगे गये अतः विज्ञापन की आवश्यकता नहीं समझी गयी। सम्बन्धित अभिलेखों से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नियुक्तियां तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री शर्मा) व आई0 सी0 डी0 एस0 सेल प्रभारी (श्री तिवारी) की मिली भगत से की गईं।

अक्तूबर, 85 से अगस्त, 86 तक बाल विकास परियोजना सेवा के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों का ब्यौरा :–

तृतीय श्रेणी	(1) लिपिक पद दैनिक वेतन पर	11
	(2) शोसल वर्क इन्स्ट्रक्टर नियमित	3
	(3) जीप चालक, दैनिक वेतन पर	2
	(4) भण्डार पाल नियमित	1
चतुर्थ श्रेणी	दैनिक वेतन पर	6

29–श्री कौशिक रमाशंकर, श्री गोपाल दास यादव, श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, तथा श्री रिछपाल सिंह धंसल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ की उपाधीक्षिका श्रीमती सावित्री अवस्थी को निदेशालय से सम्बद्ध किये जाने का आधार

30–श्री रणजीत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संबंध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विभाग के ही एक निजी सचिव को वर्किंग वीमन्स हास्टल, अलीगंज में बिना सरकारी कार्य के किसी मुख्य सेविका से बार-बार मिलने हेतु जाने से नियमानुसार रोकने तथा बाद में हुयी एक घटना की रिपोर्ट निदेशक से करने के फलस्वरूप उक्त उपाधीक्षिका को निदेशालय में सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इस मामले की जांच किसी अन्य विभाग के अधिकारी से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से इस प्रकरण के बारे में आख्या प्रतीक्षित है।

समन्वित बाल विकास परियोजना कक्ष में अपर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर वित्तीय अनियमितता करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति

31—श्री मयंकर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना कक्ष उत्तर प्रदेश शासन में अपर प्रोजक्ट मैनेजर के पद पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 1986 में हुई है जिसके बिरुद्ध पूर्व सेवावधि में गोरखपुर, बांदा, मैनपुरी में भारी वित्तीय अनियमितता का दोषी सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो क्या शासन इस पर कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोष सिद्ध होने पर ही कार्यवाही करना उचित है ।

मण्डलीय उपनिदेशक वाराणसी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अनियमित पदोन्नति, स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों में किये गये भ्रष्टाचारों की जांच

32—श्री अर्जुन सिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि उक्त अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जानकारी शासन को कब हुई तथा सदन के संज्ञान में आने से पूर्व इस पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जानकारी शासन को दिसम्बर, 1986 में हुई । सदन के संज्ञान में आने से पूर्व ही अधिकारी को 2-1-87 को निलम्बित कर दिया गया था अतः कार्यवाही न किये जाने तथा किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33—श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

डुमरियागंज, बस्ती के काश्तकारों द्वारा की गयी चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

34—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चयसार तथा ग्राम पिपरा रामलाल तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती के काश्तकारों की शिकायत पर स0 च0 अ0 के स्तर तक का चक निर्माण कार्य शिकायतें सही होने पर समाप्त करके पुनः दूसरे सहायक चकबन्दी अधिकारी को उक्त कार्य सौंपा गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और किन शिकायतों पर इस गांव का चक निर्माण का कार्य निरस्त किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

सर्वश्री राम सागर यादव, सहायक चकबंदी अधिकारी तथा रंजीत सिंह स्थानापन्न सहायक चकबंदी अधि0 दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

ग्राम चपसार में काफी उड़ान चक देने, अधिक स्थानों पर बचत भूमि छोड़े जाने, अधिकांश चकदारों को चकरोड व नाली न दिये जाने, दो चकदारों को मूल की अपेक्षा कम मालियत प्रदिष्ट करने तथा ग्राम पिपरा रामलाल में काफी चकदारों को उड़ान चक दिये जाने, सड़क के किनारे अनधिकृत व्यक्तियों को चक प्रदिष्ट करने, सीमा से अधिक चकों के क्षेत्रफल में कमी बेशी करने, पुरानी नाली पर एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ चक प्रदिष्ट करने संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों पर चक निर्माण कार्य निरस्त किया गया।

प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जनपदवार विद्युतीकृत गांवों की संख्या

35–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जनपदवार कुल कितने गांव विद्युतीकृत करने को बाकी हैं? विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इस विषमता को दूर करने हेतु क्या मा0 मंत्री जी ने कोई सिद्धान्त बनाया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रदेश के जनपदों में कुल ग्रामों की संख्या, विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (31-3-87 तक), एवं अवशेष ग्रामों की संख्या संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है।

जी हां। कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले जनपदों के सभी विकास खण्डों की आर0 ई0सी0 की योजनायें बनायी जायं एवं योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित संसाधनों के अनुरूप तथा विद्युत सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार चयनित ग्रामों का तेजी से विद्युतीकरण किया जाय।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 127–128 पर)

जनपद बस्ती के विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांव

36–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कुल कितने गांवों का विद्युतीकृत किये जा चुके हैं और कितने गांवों का विद्युतीकरण करना बाकी है? शेष गांवों में विद्युतीकरण किए जाने हेतु सरकार ने कितने वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया है और प्रत्येक वर्ष कितने गांव विद्युतीकृत किये जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

बस्ती जनपद में दिनांक 31-3-87 तक 2752 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 4177 ग्रामों का विद्युतीकरण अवशेष है, जिनके विद्युतीकरण का निश्चित समय बताना इसलिए संभव नहीं है कि प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रहता है।

37–38–श्री रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्रम एवं सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0 द्वारा चयनित अनुदेशक आशुलिपिकों की वांछित योग्यता न रखने पर सेवा में रखा जाना

39—श्री गोपाल दास यादव—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्रम एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश संख्या 1497/ई-1/0903/को0से0 दिनांक 25-2-84 के अनुसार जिन अनुदेशक आशुलिपिक पद पर दिनांक 28-2-84 को नियुक्त किया गया था उन्हें उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 31-8-84 तक वांछित योग्यता पूरी करनी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सूची में नामांकित क्रम संख्या 5, 6, 8, 9 पर अंकित अनुदेशक आशुलिपिक आज तक तक उक्त निर्धारित योग्यता पूरी नहीं कर पाये हैं? यदि हां, तो इनको सेवा में बनाये रखने का क्या आधार है तथा इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या शासन द्वारा उक्त योग्यता में किसी प्रकार की छूट दी गयी है ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां, श्रम एवं सेवायोजन निदेशालय उ0प्र0 के आदेश दिनांक 25-2-84 द्वारा प्रश्नगत अनुदेशक आशुलिपिकों को दिनांक 31 अगस्त, 1984 तक हिन्दी आशुलिपिक एवं टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के निर्देश दिए गये थे ।

चूंकि प्रश्नगत अनुदेशक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं कर पाये थे, अतः उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जनपद बाराबंकी, तह0 फतेहपुर के ग्राम प्रधान धौखरिया द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर निलम्बन

40—श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौखरिया, परगना—रामनगर, तहसील—फतेहपुर, जिला बाराबंकी के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि एवं चक मार्गों पर अनाधिकार कब्जा पाये जाने एवं अन्य अनेक अनियमिततायें करने की शिकायतों को सही पाये जाने पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी/115 सी के अन्तर्गत मुकदमा कायम है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान को अब तक निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त प्रधान को दिनांक 13-4-1987 को निलम्बित कर दिया गया है, परन्तु प्रधान ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से अपील कर 21-4-1987 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिसके फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

कानपुर नगर/देहात में फर्जी संस्थाओं को अनुदान देने में निलम्बित उपनिदेशक एवं अन्य के विरुद्ध विभागीय जांच

41—श्री रमेश यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कानपुर (नगर) में फर्जी संस्थाओं को अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन (निलम्बित) उपनिदेशक लखनऊ मण्डल, लखनऊ के साथ विभाग के तेरह अन्य कर्मचारियों को भी विभाग द्वारा अनियमित रूप से निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच विशेष सतर्कता एजेन्सी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कानपुर नगर एवं देहात में हरिजन छात्रावासों के लिये स्वीकृत लगभग 9.00 लाख रुपये के अनुदान के दुरुपयोग के फलस्वरूप उप निदेशक एवं 13 अन्य कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

विभागीय जांच चल रही है। सतर्कता एजेन्सी से जांच कराने का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

जनपद बलिया के ब्लाक दुबहर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय भुगतान

42—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ब्लाक दुबहर, जनपद बलिया में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को गत दस महीने से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाल विकास परियोजना दुबहड़, बलिया की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को गत अक्टूबर, 1986 से उनके मानदेय भुगतान हेतु निदेश निर्गत किये जा चुके हैं। वर्ष 1986-87 के अवशेष मानदेय के भुगतान हेतु दिनांक 2-6-87 को निदेशालय से निर्देश निर्गत कर दिए गये हैं तथा वर्ष 1987-88 के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन भी उनके द्वारा दिनांक 19-6-87 को किया जा चुका है।

जापलिंगगंज, बलिया में अपूर्ण हरिजन आवास एवं दूकानों के निर्माण की मांग

43—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मंत्री को जानकारी है कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री और वर्तमान राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य ने बलिया नगर में जापलिंग गंज में रेलवे लाइन और स्टेशन कदम सड़क के बीच एक हरिजन आवास एवं दुकान के लिएं शिलान्यास किया था? यदि हां, तो अब तक इसके निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या उसके शीघ्र निर्माण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा उक्त स्थल पर हरिजन दुकानों का शिलान्यास किया गया था किन्तु शहरी क्षेत्र में निगम द्वारा आवास निर्माण योजना संचालित नहीं थी।

उक्त स्थल नगर पालिका, बलिया की थी जिस पर 30 वर्षों से 40 हरिजन अनधिकृत रूप से रहते हैं। शिलान्यास के समय जिनका अतिक्रमण हटाकर भूमि खाली कराई गई थी। बाद में उक्त 40 परिवार अस्थायी रूप से वहीं बस गये जिन्हें कोई पट्टा नहीं दिया गया है। जमीन प्राप्त करने के लिए नगर पालिका, बलिया से शासन द्वारा पत्राचार किया जा रहा है।

चूंकि भूमि अतिक्रमित है। अतः तत्काल कोई निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा खिचड़ी पैकेट निर्माण/वितरण में घोटाला

44—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10-10-86 को अपने पत्र द्वारा तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा खिचड़ी पैकेट के निर्माण एवं वितरण में भारी घोटाला की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। माननीय विधायक का सम्बन्धित पत्र दिनांक 10-10-86 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

जनपद बलिया, तहसील बांसडीह की ग्राम सभा साहपुर के प्रधान द्वारा किये गये फर्जी पट्टों की जांच

45—श्री राम नरेश यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील बांसडीह ग्राम सभा साहपुर में ग्राम सभा की भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में खलिहान के रूप में प्रयोग की जाती रही है, का फर्जी तौर पर ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा वर्ष 1973 में कर दिया गया जिसके विरुद्ध श्री पारसनाथ चौधरी, सदस्य भूमि प्रबन्धक समिति की प्रार्थना पर अपर जिलाधिकारी, बलिया के बाद भी थानाध्यक्ष बांसडीह रोड ने स्थगन आदेश को न मानकर कब्जा करा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

ग्राम शाहपुर, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में ग्राम प्रधान शाहपुर ने भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 20-9-73 द्वारा ग्राम शाहपुर की बंजर क्षेत्रफल 0—38 एकड़ का आवास स्थल हेतु आवंटन 19 अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को किया, जिसमें 13 आवंटियों को कब्जा दखल की कार्यवाही स्थगन आदेश प्राप्त होने के पूर्व की जा चुकी थी तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कोई कब्जा दखल की कार्यवाही नहीं की गयी और न ही न्यायालय के आदेश का किसी प्रकार का उल्लंघन किया गया। शेष 6 व्यक्तियों के सम्बन्ध में कब्जा दखल की कार्यवाही वाद विचाराधीन होने के कारण स्थगित है।

जनपद आजमगढ़, तहसील सदर, परगना निजामाबाद के ग्राम दमदियावन के चकों की पैमाइश

46—श्री राम नरेश यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम दमदियावन, तहसील सदर, परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के चक संख्या 9, 112, 113, 73, 90, 68, 59 की निशानदेही कर कब्जा कराने के सम्बन्ध में काली चरण एवं अन्य निवासियों ने 1984-85 में शिकायती पत्र भेजे थे? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम दमदियावन, तहसील सदर, परगना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के चक संख्या 9, 112, व 59 की निशानदेही कर कब्जा कराने के सम्बन्ध में कालीचरन तथा अन्य ग्रामवासियों का वर्ष 1984-85 का शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

स्थल पर चकों की पैमाइश की जा चुकी है। ग्राम के सभी चकदार नये चकों पर काबिज हैं।

जनपद लखनऊ के आश्रम पद्धति विद्यालय सलेमपुर के जर्जर भवन का निर्माण एवं प्रतिवर्ष व्यय किये जाने का प्राविधान

47—श्री शारदा प्रताप—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 19 दिसम्बर, 1986 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो आश्रम पद्धति विद्यालय सलेमपुर, जनपद लखनऊ के जर्जर भवन का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष उक्त विद्यालय में कितना धन किन-किन मदों में व्यय किये जाने का प्राविधान है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

उक्त भवन का निरीक्षण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, लखनऊ के अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। नये भवन के निर्माण का नक्शा व आगणन तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1986-87 में उक्त विद्यालय के संचालन पर निम्न व्यय किया गया :—

1—स्थापना	रु0 6,70,400
2—माल सम्पूर्ति	रु0 2,21,400
3—कार्यालय व्यय	रु0 16,400
योग :—	रु0 9,08,200

जनपद लखनऊ के ग्राम पिपरसण्ड व अन्य ग्रामों में गृह अनुदान वितरण में की गयी धांधली की जांच

48—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 अगस्त व 16 अगस्त, 1986 जिसमें ग्राम पिपरसण्ड, तहसील सदर, जिला लखनऊ के अन्य ग्रामों में गृह अनुदान वितरण में की गयी अनियमितता विषयक राहत आयुक्त के पत्र संख्या 6 (43)/86-21/86 दिनांक 25 अगस्त, 1986 के मूल पत्रों को प्रेषित करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया गया था कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायें, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो किस वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायी गयी तथा कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

परगनाधिकारी, लखनऊ से जांच कराई गई। वितरण में अनियमितता प्रकाश में आयी है जिसके बारे में क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभा मुरारपट्टी, जनपद इलाहाबाद के दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच

49—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुरारपट्टी, परगना झूसी, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद के ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में श्री महेश्वर पाण्डे, एम0 एल0 सी0 का शिकायती पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1987 जो मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?

क्या यह सही है कि उक्त पत्र में कानूनगो एवं नायब तहसीलदार की जांच आख्या की फोटोस्टेट कापी भी संलग्न की गई थी और उपरोक्त जांच आख्या के अनुसार ग्राम प्रधान दोषी पाया गया था?

यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

कानूनगो की आख्या जो नायब तहसीलदार द्वारा अग्रसारित थी, में प्रधान दोषी पाया गया था परन्तु परगनाधिकारी द्वारा स्थल जांच में प्रधान निर्दोष पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

50—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

51—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

52–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

53–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

54–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद पिथौरागढ़, तह0 डीडीहाट के थल नामक ऐतिहासिक स्थान पर श्री गौरी दत्त भट्ट के अवैध कब्जे को हटाने की मांग

55–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार के निर्धारित अता0 प्र0 सं0 53 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि व भवन पर श्री गौरी दत्त भट्ट पुत्र श्री धर्मानन्द का कब्जा कब से चल रहा है? इस अवैध कब्जे को सार्वजनिक/सांस्कृतिक महत्व होने के कारण तुरन्त खाली न कराये जाने का क्या कारण है? इस अवैध कब्जे को अतिशीघ्र पूरी तरह खाली कराने एवं इस अवधि में किये गये भूमि का व्यापारिक उपयोग के लिए अर्थ दण्ड देने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

56–58–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज पावर हाउस के खराब ट्रान्सफार्मर को बदलने की मांग

59–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज पावर हाउस में वर्ष 1982 से कोई ट्रान्सफार्मर खराब चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त ट्रान्सफार्मर किन-किन कारणों से खराब है तथा इसको कब तक चलाया जा सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

वर्ष 1982 में मोहनलालगंज में कोई ट्रान्सफार्मर खराब नहीं चल रहा है। मोहनलालगंज में दो 1500 के0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर लगे हैं उनमें से एक ट्रान्सफार्म लगभग दो वर्ष पूर्व खराब हुआ था उसे भी बदल दिया गया है और अब दोनों ट्रान्सफार्मर ठीक काम कर रहे हैं।

परतावल बाजार को नया तह0 मुख्यालय बनाये जाने विषयक जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा शासन को प्रेषित प्रतिवेदन

60–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर ने परतावल बाजार को नया तहसील का मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन शासन को भेजा है? यदि हां, तो इस नयी तहसील का निर्माण कब तक हो जायेगा तथा इसका सीमा क्षेत्र क्या होगा ? क्या मंत्री जी जिलाधिकारी के रिपोर्ट में संदर्भित तथ्य को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां,

तहसील के निर्माण एवं सीमा क्षेत्र का मामला अभी शासन के समक्ष विचाराधीन है।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्य मेरे कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे के ग्रामों में बसे अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की लड़कियों को शादी हेतु देय अनुदान

61–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के छानवे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में बसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों में से किन-किन लोगों को वित्तीय वर्ष 1985-86 और 86-87 में अपनी लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1985-86 और 1986-87 में मिर्जापुर जनपद के छानवे विकास खण्ड के ग्रामों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के, लड़कियों की शादी हेतु अनुदान सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

62–63–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

64–65–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

समाज कल्याण विभाग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित मुख्य सेविकाओं के परीक्षाफल की घोषणा

66–श्री रमेश यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग में मुख्य सेविकाओं के पद हेतु अप्रैल, मई, 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई लिखित परीक्षा का परीक्षाफल अभी तक इसलिए घोषित नहीं हो पाया है क्योंकि विभाग द्वारा परीक्षा व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय को नहीं किया गया है जबकि इस परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों से प्रति परीक्षार्थी 30/- का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से परीक्षा के पूर्व ही लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों? क्या इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी को तुरन्त दण्डित करने एवं परीक्षाफल घोषित कराने की सरकार व्यवस्था करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मुख्य सेविकाओं के पद हेतु दिनांक 4 मई, 1986 को लखनऊ विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा कराई गई थी। उक्त परीक्षा व्यय का भुगतान लखनऊ विश्वविद्यालय को दिनांक 18-10-1986 को किया जा चुका है। परीक्षा शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में 10 रु0 अनुसूचित जाति/जनजाति से तथा 30 रु0 अन्य परीक्षार्थियों से लिया गया था।

चूंकि परीक्षा व्यय का भुगतान कर दिया गया है अतः लापरवाही का प्रश्न नहीं उठता। लिखित परीक्षा का परीक्षाफल भी घोषित किया जा चुका है।

67—श्री कौशिक रमाशंकर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, जिला फैजाबाद में व्याप्त अनियमितता के विरुद्ध शिकायत व उसकी जांच

68—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कुमार सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न मीरा देवी पुत्री श्री जगन्नाथ व अन्य निवासीगण कौराह पटखौली, खण्डासा, फैजाबाद का शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा फैजाबाद में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता एवं क्षतिपूर्ति की वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 2-2-87 हरिजन एवं समाज कल्याण सचिव को तथा रजिस्टर्ड पत्र संख्या 5004 दिनांक 13-1-87 जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार शिकायतें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मा0 विधायक श्री कृष्ण कुमार के पत्र के साथ मीरा देवी पुत्री श्री जगन्नाथ आदि का पत्र दिनांक 2-2-87 शासन को प्राप्त हुआ है जिसपर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ने शासन के निर्देशानुसार उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल को मौके पर जाकर जांच करके स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं।

रजिस्टर्ड पत्र संख्या-5004 दिनांक 13-1-87 जो जिला अधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ।

उक्त शिकायतों में मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं:—

1—शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 74-75 में उक्त विद्यालय में अध्ययन नहीं किया और न उनके संरक्षकों ने दाखिला कराया जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अभिलेखों में नाम अंकित करके छात्रवृत्ति आदि की धनराशि प्राप्त कर ली।

2—यह भी शिकायत है कि अधिकांश छात्र उक्त विद्यालय में पढ़े हैं किन्तु उनके नाम से प्राप्त छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं दी गयी। छात्रों के नाम दिनांक 2-4-75 को डाकघर खण्डासा में 24 खाते खुलवाये गए और 31-7-75 को सभी पास बुकों का धन प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर निकाल लिया गया और पास बुकें निरस्त कर दी गयीं।

3—छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति मिलने पर उन्हीं के नाम से खाते पुनः खुलवाये गए और प्रधानाचार्य ने पूर्व की भांति स्वयं धन निकाल लिया।

चूंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी अन्य अभियोग में जेल में बन्द हैं और लिपिक ने बताया कि अभिलेख प्रधानाचार्य के पास हैं जिसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही अभिलेख प्राप्त होंगे, शिकायती पत्रों के आधार पर विस्तृत जांच की जाएगी।

बाराबंकी के काश्तकारों के चक दुरुस्ती की मांग

69—श्री मरगूब अहमद खां—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—156 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल गाटा संख्या 28 का रकबा अभिलेखागार बाराबंकी में मौजूद जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 में (411 एस 2:2) चार बीघा सत्रह बिस्वा दो बिस्वांसी अंकित है ? यदि हां, तो क्या चल रही चकबन्दी प्रक्रिया में काश्तकारों का चक व नक्शा उसी के अनुरूप बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी चक व नक्शा संशोधित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी नहीं ।

जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 में जो प्रति तहसील भेजी गई थी उसमें गाटा सं0 28 क्षेत्रफल 4-7-2 (चार बीघा सात बिस्वा, दो बिस्वांसी) अंकित किया गया है। उसी के अनुरूप गाटा सं0—28 का चक व नक्शा बनाया गया है ।

गाटा सं0—28 के क्षेत्रफल के संबंध में मुकदमा चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही दुरुस्ती सम्भव है । शासन स्तर से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

70—श्री मरगूब अहमद खां—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल गाटा संख्या 28 का रकबा चकबन्दी रिकार्ड आफिस भिटरिया में मौजूद पुरानी जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 एवं नयी जोत चकबन्दी आकार पत्र—5 में कितना अंकित है और पुरानी जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 में कितना अंकित है, क्या यह सही है कि पुरानी जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 रकबा ब्लेड से खुरच कर ओवर राइटिंग करके दिनांक 11-7-84 को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा सी0 एच0 फार्म (4) क्रमांक-5 भाग—1 में रकबा कम करने हेतु कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? कितना रकबा कम किया गया? इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी उक्त अशुद्धि को सही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मूल गाटा सं0—28 का रकबा चकबन्दी रिकार्ड आफिस भिटरिया में मौजूद पुरानी जोत चकबन्दी आकार पत्र—41 में 4-7-2 (4 बीघा 7 बिस्वा 2 बिस्वांसी) एवं नई जोत चकबन्दी आकार पत्र—45 में भी 4-7-2 (4 बीघा 7 बिस्वा 2 बिस्वांसी) अंकित है ।

जी नहीं ।

अभिलेखों के मिलान के समय चकबन्दीकर्ता ने गाटा सं0—28 के 10 रकबा का दोहरा इन्द्राज मानते हुए जोत चकबन्दी आकार पत्र—4 भाग-1 के क्रमांक-5 पर यह त्रुटि अंकित की कि गाटा सं0—28 का रकबा 10 बिस्वा डबल होने के कारण खारिज

होना चाहिए । स0 च0 अ0 ने दिनांक 10-7-84 को आकार पत्र–4 भाग-1 के क्रमांक क्रमांक–5 पर अंकित त्रुटि पर यह आदेश पारित किया कि खाता सं0-93 से गाटा सं0-28 रकबा 10 बिस्वा डबल होने के कारण खारिज किया जाय ।

10 बिस्वा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

रकबा दुरुस्ती न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होती है शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

71–73–श्री द्वारिका प्रसाद—

[न्यायिक कृत्यों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद झांसी का देय सूखा राहत अनुदान

74–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1986 में प्रदेश में सूखे की आपदा से निपटने हेतु किन-किन जिलों को प्रदेश सरकार द्वारा सूखा राहत अनुदान नहीं दिया गया है ? सूखे से प्रभावित झांसी जिले को सूखे की आपदा से निपटने एवं राहत कार्य कराये जाने हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो केवल झांसी जिले को धन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दैवी आपदा राहत कार्यों के लिये राजस्व विभाग के आय-व्ययक से जो आवंटन किया गया है वह सभी प्रकार की दैवी आपदाओं के लिये है और सूखा राहत कार्यों के लिये पृथक से आवंटन नहीं किया जाता है । इस आवंटन को अहेतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान, गृह निर्माण सहायता, नावों का किराया तथा पेयजल आपूर्ति आदि जैसी मदों पर व्यय किया जा सकता है । वर्ष 1986-87 में प्रत्येक जनपद को धनराशि आवंटित की गई थी जिसमें से झांसी जनपद को रु0 7.30 लाख की धनराशि उक्त मदों हेतु दैवी आपदा राहत बजट से आवंटित की गई थी । इसके अलावा 150 हैण्ड पम्पों के लगाने हेतु 30 लाख रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी । तहसील झांसी मौठ, मऊरानीपुर तथा गरौठा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के समस्त कृषि देयों की वसूली भी स्थगित रक्खी गई थी तथा मालगुजारी में छूट देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

75–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

76–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भटहट, विकास खण्ड पिपराइच व विकास खण्ड चरगांवा एवं विकास खण्ड सरदार नगर के 31 मार्च, 1986 तक किन-किन ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भटहट, पिपराइच, चरगांवा व सरदार नगर में 31 मार्च, 1986 तक ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों में किये गये विद्युतीकरण से संबंधित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 129–133 पर)

77–सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78–80–श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्लाक जखौली में ग्रामों के लिए पुनर्वासन तथा भूमि संरक्षण योजनायें

81–श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखौली में दिनांक 17 जुलाई, 1986 की रात्रि अतिवृष्टि से बहुत अधिक कृषि क्षेत्र में बाढ़-ग्रस्त/मजवा ग्रस्त होने के कारण क्षति हुयी है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ? इन ग्रामों का एक मात्र रोजगार कृषि कार्य होने के कारण इन्हें अन्यत्र कृषि भूमि दिये जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । असुरक्षित घोषित आबादी को अन्यत्र पुनर्वासित करने हेतु भूमि की तलाश की जा रही है । शेष ग्रामों के लिए भूमि संरक्षण योजनाएं तैयार की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल, ब्लाक जखौली के ग्रामों के लिए सुरक्षात्मक उपाय

82–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड जखौली में 10 पट्टियों के कई गांवों में दिनांक 17 जुलाई, 86 को हुयी बाढ़ व भू-स्खलन में हुई भयंकर त्रासदी के बाद से इन प्रभावित ग्रामों में से किन-किन ग्रामों को सुरक्षित घोषित किया गया था। इन ग्रामों में विशेष रोजगार हेतु किन-किन योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है? इन ग्रामों में टूटी सड़क पुलिया पनचक्की नहरें गूल को कब तक पूर्णतया ठीक करा लेने की योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

दिनांक 17/18 जुलाई, 1986 की रात्रि को अतिवृष्टि/मेघ/विस्फोट एवं भू-स्खलन के कारण टिहरी-गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड जखौली के लगभग 12 ग्रामों को जन-धन की हानि हुई थी जिसमें से निम्नलिखित छः ग्रामों को छोड़कर शेष को सुरक्षित बताया गया है :–

1–सिरबाड़ी 2–लिस्वाल्टा 3–पुजारगांव 4–जखबाड़ी तल्लीमल्ली हरिजन बस्ती 5–हरिजन बस्ती कोट 6–रहड़। प्रभावित क्षेत्र के लिए रोजगार योजनाएं बनाने,

निर्माण कार्य कराये जाने, भूमि संरक्षण कार्य किये जाने व सिंचाई की व्यवस्था आदि कराये जाने के आदेश संबंधित विभागों को दिये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धनसाली-तिलवाड़ा, मयाली-जखोली तथा जखोली-भीरी लिंक मोटर मार्ग पौठी ग्राम तक, खोल दिये गये हैं।

83–श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

84–श्री कौशिक रमाशंकर–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद, तहसील दादरी की न्याय पंचायत सूरजपुर के कतिपय भूमिहीन मजदूरों को असंक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की मांग

85–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूल सिंह पुत्र नत्थू, श्री रिछपाल पुत्र फूल सिंह, श्री बाबूलाल एवं बेदराम पुत्र गण बदले निवासी ग्राम तिलपता कारण बास न्याय पंचायत सूरजपुर, तह0 दादरी जिला गाजियाबाद जो अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूर हैं, ग्राम गुलिस्तानपुर न्याय पंचायत सूरजपुर तह0 दादरी जिला गाजियाबाद में गाटा संख्या 1089 कुल रकबा 34–16–0 पर 1971 से लगातार काबिज चले आ रहे हैं तथा ग्राम गुलिस्तानपुर की चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्रदत्त जोत चकबन्दी आकार पत्र–5 में बहैसियत काश्तकार दर्ज हैं उनको अभी तक असंक्रमणीय भूमिधर घोषित न करने के क्या कारण हैं जबकि समान परिस्थितियों में सर्वश्री धर्मा, चन्द्रपाल एवं खजान को असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जा चुका है फिर श्री फूल सिंह आदि को असंक्रमणीय भूमिधर घोषित क्यों नहीं किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

श्री धर्मा आदि पट्टे के आधार पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 7-11-69 द्वारा सीरदार घोषित किये गये थे। उनके द्वारा मालगुजारी का 20 गुना जमाकर देने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेश दिनांक 21-12-74 द्वारा 1382 फ0 से भूमिधर घोषित हुए थे।

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र लखनऊ की विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग तथा पांच वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच

86–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चिनहट विद्युत उपकेन्द्र से संबंधित विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग की जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में इन लाइनों की पेट्रोलिंग कब-कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि पेट्रोलिंग न होने से अनेक स्थानों पर तार ढीले पड़े हुए हैं तथा फेस टूटने की घटनायें होती रहती हैं, जिससे कृषकों को विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती है? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

श्री सुनील शास्त्री–

लखनऊ स्थित चिनहट 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र से संबंधित विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग आवश्यकतानुसार की जाती है।

विगत 5 वर्षों में इन लाइनों की पेट्रोलिंग का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है परन्तु विगत दो वर्षों में उक्त क्षेत्र की लाइनों की पेट्रोलिंग दो बार अवश्य की गई है। इसके अतिरिक्त ब्रेक डाउन होने पर यदा कदा पेट्रोलिंग होती रहती है।

यह सही नहीं है कि पैट्रोलिंग न होने से अनेक स्थानों पर तार ढीले पड़े हुए हैं तथा टूटते रहते हैं बल्कि पैट्रोलिंग रिपोर्ट के आधार पर लाइन की खराबियों को ठीक किया गया है तथा कृषकों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

87–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चिनहट विद्युत उपकेन्द्र में कार्यरत कितने अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारी हैं जो पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से इसी केन्द्र पर कार्यरत हैं? क्या शासन की नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि इस केन्द्र के कुछ कर्मचारियों ने जिसमें अवर अभियन्ता मुख्य हैं, ने लाखों रुपये की अवैध सम्पत्तियां अर्जित की है? क्या मंत्री जी इसकी विभाग के किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र में कुल 17 कर्मचारी (3 एस0 एस0 ओ0, 3 लाइनमैन व 11 स्किल्ड कुली) हैं जो पांच वर्षों से अधिक से तैनात हैं।

जी हां।

अवर अभियन्ताओं एवं अन्य कर्मचारियों से उनकी चल व अचल सम्पत्ति के विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं जिसके उपरान्त आवश्यक होने पर आगे यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र लखनऊ द्वारा कोल्ड स्टोरेजों को विद्युत आपूर्ति एवं धनराशि की वसूली

88–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिनहट विद्युत उपकेन्द्र लखनऊ से कितने कोल्ड स्टोरेज को विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं इन स्टोरेज की क्षमता कितनी-कितनी है? क्या मंत्री जी इन स्टोरेजों को पिछले दो वर्षों (1985-1986) में आपूर्ति की गई विद्युत एवं उनमें वसूल की गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

चिनहट विद्युत उपकेन्द्र लखनऊ के लकड़ी के खम्भों को बदलने की मांग तथा देवां फीडर से ट्यूबवेलों, कोल्ड स्टोरेजों को विद्युत आपूर्ति

89—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में लकड़ी के खम्भों को एक निश्चित अवधि के बाद बदल दिए जाने का प्राविधान है? क्या यह सही है कि लखनऊ स्थित चिनहट विद्युत उपकेन्द्र से सम्बन्धित लाइनों में अनेक स्थानों पर इन लकड़ी के खम्भों को काफी समय बीत जाने पर भी बदला नहीं गया है जिससे खतरा बना रहता है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है? क्या ऐसे खम्भों को तत्काल बदला जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। लकड़ी के खम्भों के दोषपूर्ण हो जाने पर उन्हें आवश्यकतानुसार बदल दिया जाता है।

विगत चार वर्षों में 60 से अधिक खम्भें आवश्यकतानुसार बदले जा चुके हैं। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं बनता है।

90—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के चिनहट विद्युत उपकेन्द्र में देवां फीडर से कितने गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं इनसे संबंधित ट्यूबवेलों की कुल संख्या कितनी है? क्या यह सही है कि अत्यधिक लम्बी विद्युत लाइन एवं ट्यूबवेल होने के कारण इस लाइन का रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है एवं शिकायतें व फाल्ट्स दूर करने में महीनों लग जाते हैं जिससे किसानों की फसलें प्रायः सूख जाती हैं? यदि हां, तो मंत्री जी इसके निराकरण की क्या कोई व्यवस्था करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक इस फीडर की शिकायतों का प्रतिमाह औसत क्या रहा एवं इस अवधि में अन्य फीडरों की शिकायतों का औसत क्या था?

श्री सुनील शास्त्री—

लखनऊ जनपद के चिनहट विद्युत उपकेन्द्र से निकले हुए 11 के0 वी0 देवां फीडर से 19 गांवों के आबादी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है एवं इनसे संबंधित निजी नलकूपों की संख्या 150 है। यह सही नहीं है कि अत्यधिक लम्बी लाइन एवं नलकूप होने के कारण लाइन का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता एवं उपभोक्ताओं की शिकायतें बहुत विलम्ब से दूर की जाती हैं। लाइन की लम्बाई और अधिक बढ़ने से रोकने हेतु चिनहट उपकेन्द्र से दूसरे फीडर की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 1-4-86 से 31-3-87 की अवधि में चिनहट उपकेन्द्र से निकले देवां एवं अन्य फीडरों की शिकायतों का प्रतिमाह औसत निम्नवत् है :—

1—देवां रोड फीडर	28
2—तिवारीगंज फीडर	59
3—गाजीपुर	23
4—कोल्ड स्टोरेज	4
5—एक्वाडक्ट फीडर	16

राज्य विद्युत परिषद् में संकलन कर्ताओं में अनुसूचित जाति की संख्या तथा सांख्यिकीय सहायक के पद पर पदोन्नति

91–श्री कल्यान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में संकलन कर्ताओं में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है तथा क्या उन्हें रिक्त सांख्यिकीय सहायक पदों पर प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विद्युत मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सांख्यिकीय सहायक पद कितने वर्षों से रिक्त हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत चार संकलनकर्ताओं में से 1 कर्मचारी अनुसूचित जाति का है।

जी हां, भविष्य में पद रिक्त होने पर संकलनकर्ताओं को प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

सांख्यिकीय सहायकों के दो पद स्वीकृत हैं और उन पदों पर दो सांख्यिकीय सहायक कार्यरत हैं। वर्तमान में सांख्यिकीय सहायक का कोई पद रिक्त नहीं है।

92–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में आबादी की भूमि के बन्दोबस्त हेतु पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र पर कृत कार्यवाही

93–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली ने वर्ष 1983 में कोई पत्र प्रदेश में आबादी की भूमि के बन्दोबस्त के लिए तत्कालीन राजस्व मंत्री को लिखा था? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 राजस्व परिषद् ने स्वीकार करते हुए राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 अनुभाग–9 ने अ0 शा0 प0 सं0 5129/9-26/83 दिनांक 28 नवम्बर वर्ष 1983 इस आशय का लिखा था कि वे उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं पर अपनी आख्या प्रस्तुत करें साथ ही साथ वे प्रयोग के आधार पर बन्दोबस्त के लिए किसी ग्राम का नाम प्रस्तावित करें? यदि हां, तो राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी को लिखा मूल पत्र क्या है तथा श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा कौन सा ग्राम प्रस्तावित किया गया था? शासन द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वांछित परिषद् पत्र संख्या 5129/9-26/82, दिनांक 24 नवम्बर, 1983 की प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा ग्राम लोरपुर प्रस्तावित किया गया था।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 134 पर)

मो0 नवी निवासी ग्राम सिभौली तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद पर बकाया विद्युत देय

94–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद ग्राम सिभौली में मो0 नवी के नाम पावर कनेक्शन था जो भारी बकाये में उपभोक्ता द्वारा कटवा दिया गया था लेकिन बाद में उसी बकाये कनेक्शन पर उनके पुत्र के नाम विभाग द्वारा दूसरा कनेक्शन दे दिया गया है? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा किस नियम के अन्तर्गत? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मो0 नवी के नाम कितना बकाया था और अब उनके पुत्र नाम 31-12-86 तक कितना बिल बकाया है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं। प्रश्नगत श्री मो0 नवी ग्राम–सिभौली, तहसील–अकबरपुर, जिला–फैजाबाद के नाम कोई पावर कनेक्शन नहीं था और न ही है, अतः बकाये के कारण इसे कटवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मो0 नवी के पुत्र के नाम भी विद्युत परिषद् द्वारा कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, अतः इन पर विद्युत देय का कोई बकाया नहीं है और न ही किसी नियम का उल्लंघन किया गया है।

ब्लाक हरैया, तहसील बलरामपुर, जनपद गोण्डा के ग्राम खेरहरियां की चकबन्दी करने की मांग

95–श्री मयंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील विकास खण्ड हरैया सतधरवा में ग्राम सभा खेरहरियां में चकबन्दी लागू की गयी है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी चकबन्दी कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गोण्डा की बलरामपुर तहसील विकास खण्ड हरैया सतधरवा में खेरहरियां नाम का कोई ग्राम नहीं है। अतः चकबन्दी प्रक्रिया लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

96–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हरिजन एवं अनुसूचित/जनजाति सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 गोपालपुरा आगरा को राजकीय आस्थान भूमि पट्टे पर दिये जाने की मांग तथा गैरकानूनी कब्जे

97–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं अनुसूचित/जनजाति सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 गोपालपुरा आगरा को राजकीय आस्थान भूमि पट्टे पर देने का मामला 4 वर्षों से मंत्रिमण्डल में पड़ा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

98–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त सहकारी गृह निर्माण समिति को जिलाधीश आगरा के पत्र संख्या 912/नजूल राजकीय आस्थान 17 फरवरी, 1976 को किसानों से बिना शर्त भूमि का समर्पण सरकार के पक्ष में करने का निर्देश समिति को दिया था और समिति ने अपने द्वारा यह समर्पण 60,365 रुपया काश्तकारों को देकर सरकार के पक्ष में कराया था? यदि हां, तो उक्त भूमि इस हरिजन समिति को आवंटित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

99–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या यह भी सत्य है कि उक्त सहकारी समिति का यह मामला शासन के समक्ष 14 वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है और इस सरकारी आस्थान पर गैर कानूनी ढंग से कुछ तत्वों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है? इस संदर्भ में शासन की ओर से क्या कार्यवाही हुई या हो रही है मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

100–श्री फजलूलबारी–

[दिनांक 23-6-87 को अता0 प्र0 सं0 156 के द्वारा उत्तरित]

उद्योग नगर फिरोजाबाद जनपद आगरा में मजदूर भवन के निर्माण की मांग

101–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी के प्रतिष्ठानों में सेवारत श्रमिकों की मण्डी, फिरोजाबाद में उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खुले में नाली और गन्दगी के स्थान पर लगती है? यदि हां, तो क्या शासन फिरोजाबाद में श्रमिकों के हित में और वर्षा तथा धूप एवं जाड़े से बचाव के लिए मजदूर भवन का निर्माण करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

सेवारत श्रमिकों की मण्डी लगने की बात सही नहीं प्रतीत होती। लगभग प्रत्येक बड़े शहर में दैनिक मजदूरी की खोज में कुछ लोग अपनी सुविधानुसार विभिन्न स्थानों पर एक निर्धारित समय पर थोड़े समय के लिए एकत्र होते हैं। ऐसे स्थानों पर मजदूर भवन निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

102–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग वाराणसी के निलम्बित प्रोग्राम अधिकारी (श्री राय) के नवनिर्मित भवन निर्माण में व्यय की गयी धनराशि की जांच

103–श्री मयंकर सिंह तथा श्री रिछपाल सिंह वंसल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन प्रोग्राम अधिकारी (निलम्बित) वाराणसी (श्री राय) का मोहल्ला महमूरगंज वाराणसी में कोई निजी (नवनिर्मित) मकान बना है? यदि हां, तो इस भवन की मौजूदा कीमत क्या होगी? क्या शासन इस बात की जांच करना चाहेगा कि उक्त कीमती भवन के निर्माण में लगे धन का क्या स्रोत है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 टिकरा हाउस लखनऊ द्वारा सुल्तानपुर/प्रतापगढ़ की योजनाओं हेतु घटिया कन्टेनर्स की आपूर्ति की जांच

104–श्री रिछपाल सिंह वंसल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि कार्यालय अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 टिकरा हाउस लखनऊ के आदेश सं0 98–99/हसक/बा0 वि0 परि0/86-87 दि0 21 मई, 1986 के द्वारा सुलतानपुर जनपद की ग्यारह तथा प्रतापगढ़ की एक परियोजना हेतु कितने रुपये के कन्टेनर्स एवं अन्य सामग्रियां अलग-अलग वित्तीय वर्ष 1986-87 में खरीदी गयी थी? क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि उक्त परियोजनाओं में सप्लाई किये गये कन्टेनर्स की क्षमता लखनऊ में उक्त अवधि में आपूर्ति किए गये कन्टेनर्स (जिस पर जांच चल रही है) की अपेक्षा कम क्षमता एवं घटिया किस्म के हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 टिकरा हाउस लखनऊ के आदेश संख्या 98–99/ह0स0क0/बा0 वि0 परि0/86-87 दिनांक 21-5-86 द्वारा सुल्तानपुर की 11 तथा प्रतापगढ़ की एक परियोजना हेतु रुपये 3,16,520 के 100 कि0 ग्रा0 क्षमता वाले कन्टेनर्स रु0 1,59,225 के 50 कि0 ग्रा0 क्षमता वाले कन्टेनर्स, रुपया 35,705 के पीतल के ताले, रुपया 1,06,150 के लकड़ी के छोटे कैरेट तथा रु0 19,300.00 वाटर एण्ड आयल मुफिंग कम्पाउण्ड के क्रय हेतु व्यय किया गया।

सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ की परियोजनाओं के लिए कन्टेनर्स 100 कि0 ग्रा0 एवं 50 कि0 ग्रा0 क्षमता के क्रय किए गए हैं और लखनऊ जनपद की परियोजनाओं में केवल 100 कि0 ग्रा0 क्षमता वाले कन्टेनर क्रय किए गए हैं। जहां तक कन्टेनर्स की किस्म घटिया होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जांच करायी गई थी जिसमें पाया गया कि उक्त कन्टेनर की किस्म घटिया है।

यह निर्णय ले लिया गया था कि इस सामान का भुगतान तब तक न किया जाय जब तक स्पेसिफिकेशन के अनुसार नया सामान प्राप्त न हो जाय। यह भी निर्णय लिया गया था कि सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय।

प्रदेश की सम्पूर्ण बाल विकास परियोजनाओं द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु साइन बोर्डों की आपूर्ति में अनियमितता

105–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में प्रदेश की सम्पूर्ण बाल विकास परियोजनाओं द्वारा संचालित 15 हजार आगंनबाडी केन्द्रों हेतु साइन बोर्ड बनाने हेतु लगभग 15 लाख रुपये के आपूर्ति आदेश तत्कालीन अपर निदेशक आई0सी0डी0एस0 के पत्र संख्या-102/हसक/बा0 वि0 परि0/86-87 दिनांक 22 मई, 1986 की आपूर्ति में हुई अनियमितता के संबंध में शासन को कई शिकायतें मिली है? यदि हां, तो इन साइन बोर्डों के भुगतान किन-किन तिथियों में कहां-कहां सप्लाई आदि किये जाने का सम्पूर्ण विवरण शासन सदन के पटल पर रखना चाहेगा ? शिकायत व जांच के चलते रहने पर भी भुगतान करने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या शासन इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

दिनांक 18-6-87 को अग्रिम रुपये 3,56,250.00 तथा शेष रुपये 10,68,750.00 का भुगतान 25-4-87 को पंचायत उद्योग सरोजनीनगर को जांचोपरान्त जांच के निष्कर्षों के अनुरूप पंचायत उद्योग सरोजनीनगर को किया गया । साइन बोर्ड संलग्न सूची† के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में सप्लाई किये गये हैं ।

अग्रिम भुगतान शर्त के अनुसार तथा अवशेष धनराशि का भुगतान जांचोपरान्त जांच के निष्कर्ष के अनुरूप किया गया है ।

अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

107-108–श्री श्रीप्रकाश सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

109–श्री श्रीप्रकाश सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर की ग्रामसभा फिरोजपुर की हवाई पट्टी की भूमि पर अवैध कब्जा

110–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा फिरोजपुर में हवाई पट्टी की मद की कुल कितनी भूमि है और इस समय कितनी भूमि पर हवाई पट्टी है तथा कितनी भूमि जोती बोई जा रही है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इस भूमि के अतिरिक्त भी 97 बीघा भूमि इस गांव सभा में गांव समाज की है जो अवैध रूप से कब्जा करके जोती बोई जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय विशेष दल भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद सब स्टेशन के माण्ड क्षेत्र में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की सूची

111–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद सब स्टेशन के माण्ड क्षेत्र में अगस्त, 1986 से नवम्बर, 1986 के बीच कुल कितने ट्रान्सफार्मर किन-किन स्थानों पर किस-किन तारीखों में जल गए या खराब हो गये ? उन स्थानों पर नया ट्रान्सफारमर कब-कब और किस तरह की वरीयता को आधार मानकर लगाया गया। क्या यह सही है कि अधिक समय को वरीयता का आधार नहीं बनाया तथा पक्षपातपूर्ण और मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस नीति के लिए कौन उत्तरदायी है ? इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री–

अगस्त 1986 से नवम्बर 1986 की अवधि में 33/11 के0 वी0 मुहम्मदाबाद विद्युत उपकेन्द्र के माण्ड क्षेत्र में कुल 17 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें से सभी ट्रान्सफार्मर बदले जा चुके हैं (सूची संलग्न है) क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर दूसरे ट्रान्सफार्मर अधिक समय का वरीयता का आधार बनाकार उपयुक्त क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता के अनुसार लगाये गये, जिसमें राजकीय नलकूपों को जनहित में यथा आवश्यक विशेष वरीयता प्रदान की गयी । जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 135 पर)

भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सुरतापुर, जनपद गाजीपुर द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भूमि पट्टा वितरण की जांच

112–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरतापुर खास में दिनांक 6-5-86 को भूमि प्रबन्धक समिति ने गांव सभा की भूमि के पट्टे का कोई प्रस्ताव किया था, जिसके अनुसार अपात्र व्यक्तियों में गांव सभा की भूमि वितरित की गई है ? क्या इसके सम्बन्ध में गांव के भूमिहीनों ने व प्रश्नकर्ता ने परगनाधिकारी, मुहम्मदाबाद को इस प्रस्ताव की जांच करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राजस्व परिषद् में विचाराधीन वाद

113–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् में कितने वाद 3 मार्च, 1987 तक विचाराधीन थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् में 31 मार्च, 1987 तक कुल 31,848 वाद विचाराधीन थे ।

सैनिक कल्याण विभाग में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों में विषमता

114—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के सैनिक कल्याण विभाग में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पदों पर पुनर्नियुक्त सेना के भूतपूर्व एमरजेन्सी कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनमानों एवं सेवा शर्तों में विषमता क्यों है? क्या इन अधिकारियों में ऐसे अधिकारी भी हैं जो पूर्ण-कालीन पद पर नियुक्त हैं तथा बहुत लम्बे समय से सेवा कर रहे हैं, फिर भी अराजपत्रित अधिकारी हैं तथा कम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं और जो संविदा पर नियुक्त हैं, वे प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं और अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां तो क्यों? क्या मंत्री जी तत्काल स्थायी तथा पूर्व नियुक्त अधिकारियों को राजपत्रित घोषित करके कम से कम संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के बराबर वेतनमान देने तथा उनकी ज्येष्ठता को ज्येष्ठता सूची में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों से ऊपर निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1975 के पूर्व नियुक्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के वेतनमान तथा सेवा शर्तें भिन्न थी और वर्ष 1975 के बाद नियुक्त अधिकारियों की सेवा शर्तें शासन के निर्णय के आधार पर बदली गयी जिसके कारण यह विषमता हुई ।

जी हां । जैसा ऊपर व्यक्त किया गया है इनकी नियुक्त विभिन्न समय पर विभिन्न सेवा शर्तों के अधीन की गयी । यह मामला वेतन समिति के समक्ष विचाराधीन है उसका निर्णय प्राप्त होने पर ही आगे विचार किया जायेगा।

जनपद हरदोई के ग्राम मानपुर में विद्युत दुर्घटना में मृत आश्रितों के परिवारों को आर्थिक सहायता

115—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 2 अक्टूबर, 1986 को ग्राम मानपुर, जनपद हरदोई में गम्भीर विद्युत दुर्घटना हुई थी जिसमें 7 युवा लोगों की जानें गयी थीं ? क्या प्रश्नकर्ता ने इन सातों मृतकों की आश्रित विधवाओं को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो क्या अभी तक इन मृतक आश्रितों को किसी भी प्रकार की सहायता माननीय मुख्य मंत्री अथवा विद्युत परिषद् द्वारा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मुख्य मंत्री जी इन विधवाओं को अविलम्ब आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । दिनांक 2 अक्टूबर, 1986 को ग्राम मानपुर जनपद हरदोई में एक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप सात ग्रामवासियों की मृत्यु हुई थी ।

जी हां ।

मृतकों के आश्रितों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तत्काल ही एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह धनराशि की अन्तरिम सहायता दी गयी है। मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति शीघ्र देने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

चकबन्दी अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम खुनशेखपुर की ग्राम समाज की भूमि पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा

116–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुनशेखपुर, तहसील कादीपुर, ब्लाक लम्बुआ की मूल निवासी श्री भारत शत्रुघन सिंह, प्रसिद्ध नरायन सिंह ग्राम प्रधान हंस बहादुर सिंह पत्रुगण बजरंग बली सिंह की मूल जोत की खतौनी जो मात्र 3 बीघा थी उक्त व्यक्तियों ने सम्बन्धित ग्राम के चकबन्दी अधिकारियों को मिलाकर ग्राम समाज की भूमि अपने नम्बर में लिखवाकर 20 बीघा का चक बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल जांच करायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुनशेखपुर में वर्तमान समय में ग्राम समाज की कितनी भूमि जनहित में छूटी है तथा उसका नम्बर रकबा और मौके की नवैयत क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उक्त ग्राम में सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सुरक्षित की गई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–सा0 आबादी 5 गाटे	2–0–9
2–नाली–11 गाटे	2–2–18
3–देव स्थान 1 गाटा	0–2–0
4–रास्ता 1 गाटा	0–2–16
5–चक मार्ग 82 गाटे	15–6–87
6–मुख्य मार्ग 41 गाटे	17–3–19
7–खलिहान 2 गाटे	0–16–2
8–खाद मड्ढा 3 गाटे	0–4–10
कुल	37–18–11

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधुना, इटावा पर बकाया बिक्रीकर की वसूली

17–श्री आसान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधुना, इटावा में वर्ष 1969-70 से 1974-75 के बकाया बिक्रीकर धनराशि 63,535-56 रु0 की वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध आयुक्त इलाहाबाद के यहां अपील नं0 14/1979 सन्तोष कुमार बनाम सरकार दायर की थी जो 23-3-82 को निरस्त की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त फर्म पर बकाया बिक्री कर वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

फर्म गजेन्द्र सिंह सन्तोष कुमार ईंट भट्ठा विधुना, इटावा से वर्ष 1969-70 से वर्ष 1974-75 तक 70,569.00 रुपये की वसूली हेतु बिक्रीकर विभाग से प्राप्त मांग पत्रों पर की गयी वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के यहां दायर अपील दिनांक 23-3-82 को निरस्त कर दी गयी थी, किन्तु आदेश की प्रति कलेक्टर के कार्यालय में 12-8-86 को प्राप्त हुई । बकायेदार से वसूली हेतु दिनांक 23-3-87 को उपस्थित पत्र जारी किया गया । बकायेदार के उपस्थित न होने पर दिनांक 15-4-87 को वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया गया, जिसकी तामील न हो सकी । तदुपरान्त दिनांक 18-4-87 को अचल सम्पत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश जारी हुए । नीलामी की तिथि दिनांक 30-6-87 निर्धारित है ।

वाराणसी, बस्ती व गोरखपुर कलेक्ट्रेट में शासनादेश से लाभान्वित चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत कर्मचारी

118–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 में कोई ऐसा शासनादेश हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत लोगों की अर्ह होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति दी जायेगी ? यदि हां, तो वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर कलेक्ट्रेट में ऐसे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं ? क्या यह निर्देशित प्रतिशत को पूरा करता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

कलेक्ट्रेट वाराणसी व बस्ती में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में क्रमशः 7 व 4 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, जो निर्धारित प्रतिशत को पूरा करता है । जनपद गोरखपुर में प्रतिशत के आधार पर 12 कर्मचारियों की पदोन्नति होनी थी जिनमें से गतवर्ष तक 9 अर्ह कर्मचारी पदोन्नत कर दिये गये हैं ।

ग्राम झगरपुर जनपद उन्नाव में खुले विद्युत तारों से मवेशियों की मृत्यु तथा मुआवजे का भुगतान

119–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखई पुत्र राम चरन, ग्राम झगरपुर, पो0 वारा, जिला उन्नाव ने दिनांक 9-9-86 को अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत शाखा उन्नाव को कोई ऐसा प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने खुले तारों से बिजली का करेन्ट लगने से अपने-अपने बैलों के मरने की शिकायत करते हुए मुआवजा के रूप में रु0 4555.00 की मांग की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? मुआवजा की रकम का भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

मुआवजे की धनराशि की स्वीकृति हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद की संस्तुति अपेक्षित है, जिसके प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

भगवन्तनगर क्षेत्र जनपद उन्नाव के बीघापुर, सुमेरपुर तथा पुरवा ब्लाकों के ग्रामों में विद्युत चालित नलकूप हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

120—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवन्तनगर क्षेत्र, जनपद उन्नाव (विकास खण्ड बीघापुर, सुमेरपुर तथा पुरवा) के कितने और किन-किन ग्रामों में बिजली चालित नलकूप लगे हैं ? क्या उन ग्रामों तथा उनकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं तो उनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

भगवन्तनगर क्षेत्र जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापूर, सुमेरपुर तथा पुरवा में क्रमशः 33, 45 तथा 11 ग्रामों में विद्युत चालित नलकूप लगे हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

उक्त ग्रामों के समक्ष विकास खण्ड बीघापुर, सुमेरपुर तथा पुरवा में क्रमशः 23, 21 व 11 ग्रामों व उनकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है जिनकी सूची भी संलग्न है । ब्लाक-बीघापुर व सुमेरपुर में क्रमशः 10 व 24 ग्राम अवशेष हैं । इन अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण सीमित संसाधनों की कमी के कारण अभी संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 136-137 पर)

जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद के करईल क्षेत्र के कृषकों को लगान माफी की मांग

121—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में भयंकर पाला पड़ने के कारण इस वर्ष मसूर की फसल पूर्णतया तबाह हो गयी है ? क्या यह सही है कि करईल क्षेत्र के किसानों की एक मात्र मुख्य फसल मसूर ही है ? यदि हां, तो किसानों की इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार इस वर्ष की लगान माफ करने की घोषणा करेगी तथा प्रभावित किसानों से कर्ज की धनराशि भी आसान किश्तों में वसूलने का मंत्री जी आदेश देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस वर्ष जनपद गाजीपुर के करईल क्षेत्र में पाला नहीं पड़ा । अतः क्षेत्र की मसूर की फसल को क्षति नहीं पहुंची और इन परिस्थितियों में क्षेत्र के किसानों को लगान माफी या आसान किश्तों में कर्ज आदायगी की सुविधा देने का औचित्य नहीं पाया गया ।

ग्राम सभा तमलपूरा तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की नक्शा दुरुस्ती

122—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा तमलपूरा का बन्दोबस्ती नक्शा गलत बन गया है ? क्या प्रश्नकर्ता ने पिछले वर्ष राजस्व स्थायी समिति की बैठक में मंत्री जी से आग्रह किया था कि उक्त गांव का पैमाईशी नक्शा दुरुस्त करा दिया जाए ? क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? कब तक उक्त ग्राम का पैमाईशी नक्शा दुरुस्त कर दिया जाएगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

नक्शे की त्रुटियों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच करायी जा रही है ।

जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद की हरिजन बस्ती को जाने हेतु चकरोड की मांग

123—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम हुरडहीं की हरिजन बस्ती में जाने का कोई रास्ता नहीं है ? क्या यह सही है कि रास्ते के लिए भूमि एक्वायर करने के सम्बन्ध में तहसील से कोई रिपोर्ट बनाई गई है ? यदि हां, तो भूमि एक्वायर करके हरिजन बस्ती तक रास्ता देने में विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक अधिग्रहीत करके रास्ते की व्यवस्था कर दी जाएगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम हुन्डरही की हरिजन बस्ती में जाने के लिए कोई सुविधाजनक चकरोड नहीं है । सुविधाजनक चकरोड दिये जाने के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । विलम्ब का कारण अर्जन प्रस्ताव के विरुद्ध काश्तकारों द्वारा आपत्तियों का प्राप्त होना है । इन आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात यथाशीघ्र चकरोड की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

124—श्री अफजाल अन्सारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम गौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत भूमिदान की भूमि के अनियमित पट्टे

125—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौरा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के भूमि नम्बर, 1450 में कितनी भूमि भूमिदान की थी, उसमें से कितनी भूमि का पट्टा हुआ और कब-कब ? क्या यह सही है कि उक्त पट्टेदारों ने पट्टों की भूमि को दूसरों के नाम बैनामा कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने तथा कितनी भूमि का बैनामा किया गया है ? क्या शासन इस प्रकार के पट्टों पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम गौरा तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के भूमि नम्बर 1450 में 301 बीघा 3 बिस्वा 5 धुर भूमि भूदान की थी । उक्त सभी भूमि के पट्टे वर्ष 1956 व 1962 में हुए हैं । पट्टेदारों में से किसी ने भूमि का बैनामा नहीं किया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

126—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

विद्युत तार से मृत श्री गरजन निवासी रामनगर जनपद बस्ती के आश्रितों को मुआवजे की मांग

127—कर्नल केशरी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के रामनगर गांव (ब्लाक रामनगर) में अप्रैल, 1985 में विद्युत के तार टूट जाने के कारण करेन्ट लगने से श्री गरजन की जो मृत्यु हो गयी थी उसके परिवार को प्रश्नकर्ता के बार-बार अनुरोध पर भी अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक इस असहाय परिवार को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के पदों की बगैर अधिसूचना के नियुक्ति

128—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय लखनऊ में वर्ष 1985 में बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा प्रेषित कितने शिकायती पत्र इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के पदों की अधिसूचना किए बगैर ही नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

129—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में कार्यरत श्री छोटे लाल प्रेट्रोल मैन की मृत्यु तथा मुआवजे की मांग

130—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में काम करते हुए कितने बिजली कर्मियों की मौतें हुई हैं ? क्या विद्युत मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में कार्यरत छोटे लाल प्रेट्रोल मैन की मृत्यु का कारण किसी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित विद्युत थी ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् ने अपने कर्मचारी की मौत का अपराधिक मुकदमा व क्लेम का मुकदमा फैक्ट्री पर चलाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

उन्नाव जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में काम करते हुए किसी भी बिजली कर्मी की मृत्यु नहीं हुई है ।

जी नहीं । विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में कार्यरत श्री छोटे लाल प्रेट्रोल मैन की मृत्यु पोल से फिसलकर गिरने के कारण हुयी थी । मृत्यु का कारण फैक्ट्री से उत्पादित विद्युत नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पारीक्षा तापीय परियोजना के विस्तार का प्रस्ताव

131—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारीक्षा तापीय परियोजना के और विस्तार किए जाने की लगभग पांच सौ करोड़ की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं तथा शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

पारीक्षा तापीय परियोजना के प्रस्तावित विस्तार की 175.45 करोड़ रुपये लागत की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जून, 1979 में स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गयी थी ।

उक्त विस्तार योजना में 210-210 मेगावाट क्षमता की दो इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है । इस योजना के लिये वांछित कोल लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर दिया गया है साथ ही परियोजना का प्राक्कलन भी पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

132—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

श्रीमती विजय लता श्रीवास्तव, भू0 पू0 सहायक विकास अधिकारी (महिला) विकास क्षेत्र माया बाजार, फैजाबाद के अवशेष वेतन तथा सेवा पुस्तिका की वापसी

133—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती विजय लता श्रीवास्तव, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी (महिला) विकास क्षेत्र माया बाजार, जनपद फैजाबाद के अवशेष वेतन रु0 1076-40 पैसे के भुगतान तथा सेवा-पुस्तिका वापस करने के संबंध में उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का 19-10-86 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और अवशेष वेतन का भुगतान तथा सेवा पुस्तिका की वापसी का कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

सेवा पुस्तिका तथा अवशेष वेतन बिल गायब हो जाने के कारण उन्हें दुबारा बनवाने का प्रयास किया जा रहा है । तैयार होने पर अवशेष बिल का भुगतान किया जा सकेगा । सेवा पुस्तिका भी वापस कर दी जायेगी ।

जनपद फैजाबाद की तहसील सदर में शारदा सहायक समादेश परियोजना के अन्तर्गत निर्मित क्षतिग्रस्त हुई नालियों के पुनः निर्माण की मांग

134—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में शारदा सहायक समादेश परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कच्ची नालियां नई चकबन्दी में 90 प्रतिशत से अधिक समाप्त कर दी गई हैं और उनकी मालियत लगाकर चकदारों की चकों में शामिल कर दी गई है ? यदि हां, तो नई नालियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में 1980 से पुनः चकबन्दी आरम्भ की गयी है। कच्ची नालियां चकबन्दी प्रारम्भ होने के पूर्व से ही बनी थीं। चकबन्दी प्रक्रिया में चौकोर चक बनाने के कारण कच्ची नालियों को यथावत रखना सम्भव नहीं है। चकबन्दी में प्रत्येक चक के लिए नाली की व्यवस्था की जाती है परन्तु नालियों का निर्माण चकबन्दी विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

135—श्री शारदा नन्द अंचल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा शेरपुर की कुल भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में आवन्टन

136—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा शेरपुर में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है? वर्ष 1986 तक कुल कितनी भूमि का आवंटन भूमिहीनों में करके कब्जा दखल दे दिया गया? बाकी ग्राम समाज की भूमि किस उपयोग में कितनी-कितनी आ रही है और जमीन किस-किस श्रेणी की है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव सभा में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गांव सभा शेरपुर में ग्राम शेरपुर व जलालपुर सम्मिलित है। दोनों गांवों की कुल गांव सभा भूमि 745 बीघा 17 बिस्वा है। वर्ष 1986 में कुल 5—10—0 भूमि का आवंटन आवास हेतु 111 पात्र परिवारों को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के अनुसार करके कब्जा दखल दे दिया गया है। चूंकि ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया में है और अन्तिम होना शेष है, अतः शेष बिन्दुओं पर स्थिति वर्तमान में स्पष्ट नहीं की जा सकती है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, आजमगढ़ के स्थानान्तरण आदेश

137—श्री राम नरेश यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान चकबन्दी आयुक्त के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आजमगढ़ की शिकायतों के बारे में जांच के पूर्व स्थानान्तरण की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्थानान्तरण आदेश हुआ था? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त स्थानान्तरण आदेश रोका गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

शासन द्वारा शिक्षा सत्र तक के लिए स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया गया।

138—श्री राम नरेश यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने पर मुख्यालय के संयुक्त संचालक चकबन्दी का घेराव हुआ था और उन्हें जीप छोड़कर भागना पड़ा था ? यदि हां, तो उस अधिकारी के स्थानान्तरण किये जाने में क्या कठिनाई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मुख्यालय के संयुक्त संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के विरुद्ध जांच करने नहीं गये थे बल्कि वे स्क्वैड की जांच के सम्बन्ध में गये थे। वहां पर उनका घेराव हुआ था।

सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी निलम्बित चल रहे हैं इसलिए उनका स्थानान्तरण अभी किया जाना उचित नहीं है।

समाज कल्याण विभाग के उपसचिव (श्री राम स्वरूप) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

139—श्री राम नरेश यादव—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग के उप सचिव (श्री राम स्वरूप) के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र मिले थे एवं उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के पत्र संख्या पी0 एस0/380/सी0 एम0 2/86 दिनांक 15-1-86 सचिव, समाज कल्याण विभाग को भेजा था ? यदि हां, तो इस पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 8 शिकायती पत्र उप सचिव (श्री राम स्वरूप) के विरुद्ध प्राप्त हुए। पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं।

सैनिक कल्याण अधिकारियों के पदों पर विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेंशन अप्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

140—कर्नल केशरी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैनिक कल्याण अधिकारियों के पदों पर पिछले 5 वर्षों में कितने सेना से विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेंशन अप्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त प्रकार के अधिकारियों का पुनर्नियोजन राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रदेश सरकार का दायित्व है? यदि हां, तो उसके अनुपालन में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सैनिक कल्याण विभाग में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के पदों पर गत 5 वर्षों में सेना से विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेन्शन अप्राप्त अधिकारियों की कोई नियुक्ति नहीं की गयी।

शासन को जानकारी के अनुसार ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है जिसके अनुसार प्रदेश सरकार का दायित्व विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेंशन अप्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति करने का हो। परन्तु 1975 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पदों पर प्राथमिकता सेना से सेवा निवृत्त अधिकारियों को दी जायेगी और यदि वे उलब्ध न हों तो सेना के विनियोजित इमरजेन्सी/शार्ट सर्विस/पेन्शन अप्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। चूंकि सेवा निवृत्त अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं अतः किसी अन्य प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गयी।

141—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के विद्युतीकृत गांव व उनका प्रतिशत

142—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिये प्रतिवर्ष कितने-कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? निर्धारित लक्ष्य के विपरीत उक्त जनपदों में कितने-कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है?

श्री सुनील शास्त्री—

पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजना में नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिये ग्रामों के विद्युतीकरण का वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 138 पर)

143—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन तीनों जनपद में अलग-अलग वर्ष 1986 के अन्त तक कुल कितने-कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री सुनील शास्त्री—

नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में वर्ष 1986 के अन्त तक क्रमशः 88.9 प्रतिशत, 57.0 प्रतिशत व 36.7 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।

144—श्री शारदा नन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद उन्नाव के पूरवा विधान सभा क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

145—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 व 86-87 में उन्नाव जिले की कितनी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था और उनमें से कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की

कृपा करेंगे कि पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कितनी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण किया गया और कितनी का लक्ष्य था ?

श्री सुनील शास्त्री–

वर्ष 1985-86 व 1986-87 में उन्नाव जिले की क्रमशः 73 एवं 63 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था । जिसके विपरीत क्रमशः 123 एवं 73 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गईं।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में क्रमशः 15 एवं 16 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गईं। लक्ष्य क्रमशः 15 एवं 16 हरिजन बस्तियों का था ।

प्रदेश में विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगों के लिए पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवंटित धन

146–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 में प्रदेश में विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगों की पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कितनों पर पेंशन के आदेश हुए ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ने उक्त वर्षों में उक्त मामलों हेतु धन आवंटित किया ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विधवा तथा विकलांगों को वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर अनुदान स्वीकृत करने के आदेश नहीं हुए हैं। 31-3-86 तथा 31-3-87 को जीवित वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या क्रमशः 103548 तथा 114025 थी, जिनको पेंशन देने हेतु श्रम विभाग द्वारा धन आवंटित किया गया था ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शासन द्वारा वर्ष 1985-86 व 86-87 में प्राप्त विधवाओं तथा विकलांगों के नवीन आवेदन पत्रों पर अनुदान स्वीकृति हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

147–श्री विष्णु देव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

148–149–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

150–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

151–152–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

153–155–श्री राम सजीवन

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद बांदा, ग्राम कालिंजर तथा कटरा कालिंजर के हरिजन मुहल्लों का विद्युतीकरण करने की मांग

156—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम कालिंजर तथा कटरा कालिंजर में हरिजनों के कितने मुहल्ले विद्युतीकृत हैं तथा कितने शेष हैं, इनके विद्युतीकृत न होने के क्या कारण हैं ? क्या इन्हें अविलम्ब विद्युतीकृत कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम कालिंजर एवं कटरा कालिंजर में एक-एक हरिजन मुहल्ले का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब केवल ग्राम—कालिंजर के ही तीन हरिजन मुहल्लों का विद्युतीकरण होना शेष है। वर्तमान में राज्य विद्युत परिषद् की निर्धारित नीति के अनुसार अभी उक्त तीनों हरिजन मुहल्लों का विद्युतीकरण सुलभ नहीं है।

जनपद बांदा के ग्राम कटरा कालिंजर के भूमिहीन हरिजनों को आवंटित पट्टों पर कब्जा

157—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के तहसील नरैनी ग्राम कटरा कालिंजर में सन् 1974-75 तथा सन् 1975-76 में कितने भूमिहीन हरिजनों को पट्टे हुए हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक उपरोक्त सन् में हुए भूमि के पट्टेदारों को मौके पर कब्जा नहीं मिला ? यदि हां, तो इन्हें कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो भूमिहीन पट्टेदारों के भूमि पर काबिज होने का अलग-अलग रकबा व नम्बर क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम कटरा कालिंजर में वर्ष 1974-75 में भूदान भूमि के चार पट्टे क्षेत्रफल 11-38 एकड़ एवं वर्ष 1975-76 में गांव सभा की कृषि भूमि के 35 पट्टे क्षेत्रफल 78-48 एकड़ भूमिहीन हरिजनों को हुए थे। उक्त सभी भू आवंटियों को सीमांकन करके कब्जा व दखल दिया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नियम 115 डी0 की विधिक स्थिति

158—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धारा 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत नियम 115 सी के अन्तर्गत विवादों को निपटाने के लिए मौके की जांच करके निस्तारण करने शासनादेश भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम—115 डी0 के उप नियम—(2) में वांछित विधिक व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। अतिरिक्त शासनादेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ क्षेत्र खेर के तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी व लेखपाल द्वारा चकबन्दी कार्य में की गई घोर अनियमितता

159–श्री कल्यान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और सम्बन्धित हल्के के लेखपाल क्षेत्र खेर, जनपद अलीगढ़ द्वारा चकबन्दी के कार्यों में की गई घोर अनियमितताओं के विरुद्ध श्री मक्खन सिंह प्रधान तथा अन्य कृषक निवासी ग्राम राम नगर, तहसील और जिला अलीगढ़ के हस्ताक्षरों से युक्त तथा डिप्टी डाइरेक्टर चकबन्दी एवं जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सम्बोधित दिनांक 16-10-86 का शिकायती प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है? क्या यह सच है कि उक्त शिकायती पत्र पर दिनांक 16-10-86 को ही ए0 डी0 एम0 (ई0) अलीगढ़ ने एस0 ओ0 सी0 अलीगढ़ को इस प्रकरण की जांच करने के आदेश पारित किये हैं ? यदि हां, तो जांच कब की गई और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ? क्या जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र और उसके आधार पर की गई जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जिलाधिकारी व डिप्टी डाइरेक्टर को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 16-10-86 प्राप्त हुआ है।

जी हां ।

दिनांक 23-10-86 को स्थल पर विस्तृत जांच की गयी। शिकायतकर्तागण न्यायिक प्रक्रिया अपना कर उपचार मांग सकते हैं। अलग से शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि जांच तथ्यहीन पायी गई अतः सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है।

सूखाग्रस्त आगरा मण्डल को राहत की मांग

160–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि 1986 में आगरा मण्डल के समस्त जनपद भयंकर सूखे की चपेट में थे ? यदि हां, तो इन जनपदों में सूखा राहत अति विलम्ब से पहुंचने के क्या कारण थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आगरा मण्डल के समस्त जनपदों में वर्ष, 1986 की खरीफ की फसल सूखे से प्रभावित हुई थी। सूखा राहत पहुंचाने में विलम्ब नहीं हुआ था बल्कि यथा-शीघ्र एवं यथा सम्भव कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी।

161-162-श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

श्री मुन्ना लाल भू0पू0 लिपिक कलेक्ट्रेट, खीरी को पुनः सेवा में लिये जाने विषयक शासन को प्रेषित डी0 एम0 खीरी की आख्या पर कृत कार्यवाही

163-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना लाल भूतपूर्व लिपिक कलेक्ट्रेट, खीरी का पुनः नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र के बारे में जिलाधिकारी, खीरी द्वारा जो आख्या सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 (विभाग 12) को पत्र सं0 9/जी सी0 दिनांक 13-12-85 के जरिये प्राप्त हुई है तथा उसकी प्रतिलिपि उन्हीं तिथियों में उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-4 को शासनादेश संख्या 486/1-4/85-340 बी0 4/85 दिनांक 13-2-85 के सन्दर्भ में सूच्य है, के बारे में अब सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य-

मामला शासन के समक्ष विचाराधीन है।

रोजगार कार्यालय पिथौरागढ़ में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या

164-श्री काशी सिंह ऐरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विगत पांच वर्षों में वर्षवार क्रमशः कितने बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय पिथौरागढ़ में पंजीकृत किये गये जिन्होंने कामर्शियल सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस का डिप्लोमा प्राप्त किया था ? इन्हीं वर्षों में जिला चयन समिति ने उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त कितने अभ्यर्थियों को चयन कर नौकरी दी ? क्या कथित अभ्यर्थियों को सेवा में लगाते समय किसी प्रकार की वरीयता दी जाती रही है ? यदि हां, तो किस अनुपात में किस मानकानुसार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन-

पिछले पांच वर्षों में कामर्शियल सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस डिप्लोमा प्राप्त पंजीकृत तथा सेवायोजित अभ्यर्थियों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ को आशुलिपिक तथा टंकक लिपिक की रिक्तियों की अधिसूचना होने पर सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को सम्प्रेषण में ज्येष्ठतानुसार वरीयता दी जाती है। इसका कोई अनुपात या मानक निर्धारित नहीं है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 139 पर)

165-श्री काशी सिंह ऐरी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जरबोली को स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन देय धनराशि

166–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जरबोली विकास खण्ड में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अधीन विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि वर्षवार दी गयी थी ? इस धन से हुए कार्य के लिये प्रमुख क्षेत्र समिति जरबोली, जनपद टिहरी गढ़वाल ने क्या अपनी असहमति असन्तोष समय-समय पर क्षेत्र समिति की बैठक में उठायी थी ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सदन में पुलिस बल का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को वापस लिये जाने की मांग

(श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन में जो विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है। कल सदन के अन्दर पुलिस बुलाने का जो काला कानून बनाया गया है, उसके तहत आपने आदेश दिया था कि इस सदन में पुलिस बुलाई जाय । मान्यवर, जब तक इस सदन में इसके बारे में चर्चा नहीं कराते हैं, तब तक यह सदन नहीं चलने दिया जायगा ।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये । नेता विरोधी दल खड़े हैं, उनकी बात तो सुन लूं, वह क्या कहना चाते हैं। आप लोग बैठिये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इस सदन के अन्दर जो काला कानून लगा दिया गया है, जब तक वह काला कानून वापस नहीं लिया जायगा, तब तक यह सदन नहीं चलने दिया जायगा।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर में श्री भोपाल सिंह, प्रधान प्रभु दयाल, श्री शारदा प्रताप, श्री सरदार सिंह, श्री विजय सिंह रंगा तथा कई अन्य विरोध पक्ष के सदस्य आ गये

और नारे लगाने लगे—"पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।" "वीर बहादुर मुर्दाबाद" "काला कानून वापस लो।")

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 2 मिनट पर घोर व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधा घंटा और बढ़ा दिया है।

1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई।)

(कई सदस्य फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे—
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(शोर)

मा0 वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन की मान्यताओं, परम्पराओं के विपरीत कल के उपवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, वह संसदीय परम्पराओं का हनन है। उस समय सदन अव्यवस्थित था। सदन के अव्यवस्थित रहते इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ। हमारी कार्य संचालन नियमावली के विपरीत, हमारी मान्यताओं के विपरीत किस प्रकार पुलिस को इस विधान सभा परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दी गयी....

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी सदन व्यवस्थित नहीं है, इसलिये कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[x x x]

(शोर)

(तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेइमानों का राज बदल दो के नारे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें । सदन अव्यवस्थित है।

(शोर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निम्न सदस्यों को इंगित करता हूं।

श्री जगमोहन सिंह यादव, श्री जाहिरी लाल त्रिवेदी, श्री परमाई लाल, श्री पारसनाथ यादव, श्री अशोक बाजपेयी, श्री मित्र सेन, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री मो0 आजम खां, श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा, श्री राम सागर, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री रमाकान्त, श्री हृदय नारायण दीक्षित । जिनके नाम पढ़े गये हैं, मैं उन मा0 सदस्यों से कहूंगा कि वह सदन का त्याग करें। मैं इनको इंगित करता हूं कि यह सदन त्याग करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि फ्लोर पर बैठे जिन मा0 सदस्यों को मा0 उपाध्यक्ष ने इंगित किया है, उनको इस सदन की शेष सत्रावधि के लिए निलम्बित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि फ्लोर पर बैठे जिन मा0 सदस्यों को इंगित किया गया है, उनको सदन की शेष सत्रावधि के लिये निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

(शोर)

आप लोग सदन छोड़ें । मार्शल इनको सदन त्याग करायें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष –

मार्शल रक्षकों के द्वारा इनको बाहर करें ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे सभी सदस्य रक्षकों द्वारा उठाकर सदन से बाहर ले जाए गए ।)

आप सभी लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

श्रीमन्, मेरा आपसे अनुरोध है कि. . . .

(मा0 नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

. . . . श्रीमन् पहले आपने मुझे बुला दिया है । मा0 नेता विरोधी दल से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे मुझे 2–4 शब्द आपसे निवेदन कर लेने दें, मैं मा0 नेता विरोधी दल का आदर करता हूं । मान्यवर, कल और आज जो घटनाएं हुईं, वह हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं । मान्यवर, हाउस आफ कामन्स को हम कोट करते हैं, बात बात में कि संसदीय मर्यादाओं और परम्पराओं के लिए वह आदर्श है । संसदीय सर्वोच्चता का जो सिद्धान्त आज ब्रिटेन में है और आज भी कायम है उसके लिए ब्रिटेन में आपके आसन पर बैठे स्पीकर फांसी के फन्दे तक पर झूले हैं । तब वहां संसदीय सर्वोच्चता कायम हुई है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट संसदीय जनतंत्र की जननी कही जाती है । मान्यवर, किस किस तरह से वहां पर परम्पराओं का पालन किया जाता है और किस तरह से हमने परम्पराओं को तोड़ना शुरू किया है । इसके लिए हम और आप दोनों पक्ष समान रूप से भागीदार हैं। मान्यवर, आज जो गिरावट यहां आई है, सन् 1969 में इसी संबंध में सभी दलों के नेताओं की एक समिति बनी थी, इसी प्रकार की एक घटना को लेकर और उस समिति ने सर्व-सम्मति से सिफारिश की थी कि इस परिसर में पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं बुलाई जायेगी । लेकिन 1969 से आज तक 18 वर्षों तक हमने परम्पराओं का पालन किया, लेकिन आज उन परम्पराओं की बखिया उधेड़ दी गई और यह हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है, इधर के लोगों के लिए भी और उधर के लोगों के लिए भी ।

श्री उपाध्यक्ष –

सदन में शान्ति बनायें रखें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, उधर के लोग केवल विरोध पक्ष को गाली देंगे लेकिन आज यह समस्यायें क्यों पैदा हो रही हैं, उस संबंध में उस पक्ष के लोग अपनी खामियां भी देखें । मान्यवर, वृहत्तर जिम्मेदारियां संसदीय मर्यादाओं के पालन की सत्ता पक्ष में जो बैठेगा, उसकी होती है । मान्यवर, कल जिस बात को लेकर सदन में विवाद उठा, वह स्थानीय निकायों के चुनाव की बात थी, उसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था । उसको लेकर माननीय कल्यान सिंह और दूसरे अन्य माननीय सदस्यों तथा माननीय नेता विरोधी दल ने एक अनुरोध किया था कि चुनाव की बाबत निश्चित घोषणा हो । स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में उच्च न्यायालय के दो फैसले हुए हैं, एक लखनऊ खंड पीठ का दूसरा इलाहाबाद खंड पीठ का, जिसका कि कल जिक्र यहां हुआ था इलाहाबाद महापालिका के बारे में ।

मान्यवर, इलाहाबाद की महापालिका को वर्ल्ड बैंक ने कुछ सहायता दी, लेकिन उसमें यह भी शर्त थी कि इस सहायता के प्रयोग के साथ-साथ अपने साधनों को भी बढ़ायेंगे,

25 परसेंट हाउस टैक्स बढ़ायें । उसके बाद महा नगरपालिका ने 25 परसेंट टैक्स बढ़ा दिया । वहां के कुछ वकील लोग हाईकोर्ट में गये और बढ़े हुए टैक्स पर स्टे मिल गया। उच्च न्यायालय ने जो सिद्धान्त निरूपित किया वह यह था कि जब तक चुनी हुई संस्थायें नहीं होंगी, तब तक इन संस्थाओं को टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीं है । अब मान्यवर, वही सिद्धान्त सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा ।

मान्यवर, हर जगह टाउन एरियायें, जिला परिषदें, नगरपालिकायें टैक्स बढ़ा रही हैं, अगर वहां के नागरिक हाईकोर्ट में जायं तो उस सिद्धान्त पर उन्हें स्टे मिल जायेगा मान्यवर, जरा भी आदर की भावना अगर होती इस सरकार में स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में तथा न्यायालय के निर्णय के बारे में, तो यह गड़बड़ियां न हों । अब पता चला है कि उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंड पीठ का जो फैसला है, उसके खिलाफ भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रही है। लखनऊ बैंच ने महापालिकाओं के चुनाव के संबंध में जो निर्णय दिया था, उसके बारे में भी एक रिव्यू एप्लीकेशन पड़ी हुई है हमारी सरकार की । उसका बहाना लेकर सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव नहीं करना चाहती है । मान्यवर, जिस भी तरफ से जो भी आचरण गलत हुआ है उस पर हम सबको खेद प्रकाश करना चाहिये लेकिन, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का जो नजरिया है स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में, सरकार को उस नजरिये में परिवर्तन करना होगा अगर आप जनतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । मान्यवर, हमारी मान्यता है न्यायपालिका, स्वायत्तशासी संस्थायें, विधायिका, मीडिया-संचार साधन और मौलिक अधिकार-यह ऐसी चीजें हैं जिनकी लोकतंत्र में वही मान्यता है जैसी कि जीवन शक्ति के संचार के लिए रक्त वाहिनी धमनियों की होती है । लेकिन, इन एक-एक चीज की अवहेलना हो रही है । जो कुछ यह सामने आ रहा है इसमें दोनों पक्षों की भागीदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष –

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, मैं कोई बात रिपीट नहीं कर रहा हूं । यह सरकार लगातार नियमों की अवहेलना कर रही है । सदन के 90 दिन के उपवेशनों की बात हुई, लेकिन मान्यवर, आप रिकार्ड उठा कर देख लें, इसी सदन में पहले 94 दिन की औसत बैठक होती थी,

आज हम कहां पहुंच गये हैं । 90 दिन भी उपवेशन नहीं होते ।

श्री उपाध्यक्ष –

माननीय तिवारी जी अब आप खत्म करें । माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, गलती चाहे जिसकी रही हो, लेकिन एक परम्परा हमने जो बड़ी मुश्किल से डाली थी कि यहां पर सदस्यों के साथ काम करने के लिए हम पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे कल सरकार ने तोड़ दिया है। सरकार को इस पर खेद प्रकट करना चाहिये और इसे वापस लेना चाहिए और सरकार को स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं । मैं कोई वेल पर आने वाला नहीं हूं । आज लोकतंत्र में अधिकारों की

हत्या हो रही है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हमें संरक्षण प्रदान करें, भले ही इसके लिए आपको अपने प्रभाव का प्रयोग करना पड़े ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप आसन ग्रहण करें। मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

(माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर अत्यधिक शोर होने लगा तथा माननीय मैनेजर सिंह अपनी सीट से खड़े होकर कुछ कहने लगे)

(अत्यधिक घोर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आज तक नेता सदन व माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर कभी नहीं उठा। आपने नियमों को तोड़ा है और हमारा सम्मान गिराया है। इसलिए मैं आज नहीं बैठूंगा। भले ही आप मुझे इंगित कर दीजिए।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया था पहले, इसलिए आपको मुझे सुनना चाहिए था।

(श्री मैनेजर सिंह अपनी सीट पर खड़े रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मैनेजर सिंह जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन का त्याग कर दें वरना मैं आपको इंगित करता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह अपनी सीट पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान)

(श्री मैनेजर सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप आसन ग्रहण करें वरना मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपका समय आयगा, तब सुनूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

समय आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री मैनेजर सिंह जी को इंगित करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री मैनेजर सिंह जी को, जिन्हें श्री उपाध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है, इस सदन की सेवा से केवल आज के लिए निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन मा0 संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जो उन्होंने अभी प्रस्तुत किया है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मार्शल के अनुरोध पर श्री मैनेजर सिंह सदन से बाहर गये)

(श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप बैठें।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा बिना अनुमति बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री रघुबर दयाल वर्मा को इंगित करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुबर दयाल वर्मा को, जिन्हें श्री उपाध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है, इस सदन की सेवा से केवल आज के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जो उन्होंने अभी इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मार्शल के अनुरोध पर श्री रघुबर दयाल वर्मा सदन से बाहर गये)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

(बिना अनुमति के बोलने पर) मेरा अनुरोध है कि जब तक सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा नहीं करेगी, 38 सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव वापस नहीं होगा, और पुलिस को परिसर में बुलाने का प्रस्ताव वापस नहीं होगा, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को इंगित करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को, जिन्हें श्री उपाध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है, इस सदन की सेवा से केवल आज के लिए निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन मा0 संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जो उन्होंने अभी इस सदन में प्रस्तुत किया है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मार्शल के अनुरोध पर श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदन से बाहर चले गये)

*श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा में विपक्ष के कुछ नेताओं तथा कुछ माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव नियम 311 के अन्तर्गत इस आशय का दिया है कि जो काला कानून, काला प्रस्ताव कल हमारी इस विधान सभा के अन्दर लाया गया, मैं समझता हूं कि वह काला प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति अव्यवस्थित सदन में, जब कि सदन में व्यवस्था नहीं थी और सदन चल रहा था और जब सदन में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, उन हालात के तहत सत्ता पक्ष के लोगों ने उस काले प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। हम सबका प्रस्ताव है कि वह काला प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति मात्र सत्ता पक्ष ने दी है, उसको वापस लिया जाय और इसी के पक्ष में मैं इस समय सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के अन्दर मुझे भी पिछले 14–15 सालों से आप लोगों के बीच इस सदन में बैठने का मौका मिला है और हमको जो यह अवसर प्राप्त हुआ है तो हमेशा ही मैंने विरोधी पक्ष की भूमिका अदा की है और हमने बखूबी देखा है कि जब भी सदन में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गयी, कभी भी जब सदन अव्यवस्थित होता है, जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं वहां से कन्ट्रोल किया जाता है। हम लोग जब भी आपके सम्मुख अपने क्षेत्र की समस्या रखते हैं या सरकार की गलत नीतियों को यहां सामने रखते हैं और आपकी चेयर से जब हमको न्याय नहीं मिलता है, उस समय मजबूरी की हालत में सदन में अव्यवस्था फैलती है और सदन अव्यवस्थित हो जाता है।

मैं समझता हूं कि एक लम्बे अरसे से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर, शायद एक बार का ही प्रकरण मुझे याद है जब श्री राज नारायण जी नेता के समय में पुलिस बल का प्रयोग किया गया था अन्यथा हमेशा अध्यक्ष पीठ से सदैव ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसी व्यवस्थायें की गयीं कि जिससे कभी भी सदन में पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया गया और इस तरह का काला प्रस्ताव लाने का मौका नहीं आया। कल की घटना से ज्यादा शर्मनाक बात इस सरकार के लिए और कोई नहीं है। काला कानून लाकर विरोध पक्ष की आवाज को बन्द करने की कोशिश की गई है लेकिन इससे विरोध पक्ष की आवाज नहीं बन्द होगी बल्कि इससे सरकार ने अपनी असफलता का परिचय दिया है कि यह इस हाल में न्याय देकर सदन को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं।

जो सदस्य सत्ता पक्ष में हैं और चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले तो विरोध पक्ष के सदस्य भी यही चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित रूप से चले। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग उस जनता के प्रति इन्साफ नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिये जनता ने हमें यहां भेजा है। वह कार्य अगर हम नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हमारी जवाबदेही होगी। लेकिन जब हमारी जायज बातों के लिए सत्ता पक्ष अपने जवाब को टालता है, अपनी संख्या के बल पर हमारी बातों को सुनना नहीं पसन्द करता है उसी समय ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सम्बन्ध में दो उदाहरण हमको याद आ रहे हैं इसलिए मैं यहां उनको बतलाना चाहता हूं कि सन् 1979 में प्रेसाइडिंग आफिसर्स कांफ्रेंस में वहां के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आई थिंक दयेर इज ए जनरल कन्सेप्ट एबाउट वाट आई हैव मेन्शन्ड.

आई फील दि पुलिस शुड नाट बी काल्ड इन दि हाउस; वी शुड डिपेन्ड आन अवर आन वाच एण्ड वार्ड. इट इज दि मार्शल टू गेट मोर पुलिसमैन वेनएवर रिक्वायर्ड डेप्यूटेड आन दि स्टाफ. इस तरह से पुलिस को सदन के अन्दर नहीं बुलाया जाना चाहिए।

यह सरकार और मुख्य मंत्री पुलिस के माध्यम से सारे प्रदेश की जनता में आतंक फैलाते हैं, पिटवाते हैं और इसी तरह से इस सदन में सदस्यों की जबान को बन्द करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के माध्यम से सदन नहीं चलेगा। सदन यदि चलेगा तो सत्ता पक्ष के सहयोग से चलेगा। ऐसा काला कानून आज तक कोई मुख्य मंत्री नहीं लाया जैसी कि आज इसे लाने की कोशिश की गयी। इससे गलत, मैं समझता हूं कि इतिहास के अन्दर, दूसरा और कोई कदम न होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक मिनट रुकिये। कल प्रस्ताव किया गया था कि 1.45 बजे से 2.45 बजे तक भोजनावकाश रहा करेगा, तो अगर सदन सहमत हो तो आज रहने दिया जाये, सदन चलने दिया जाये और सोमवार से लागू हो।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है, आज सदन चलने दिया जाये।

श्री सत्यपाल सिंह–

जो अव्यवस्था कल हुई है, हमारे सदस्यों ने कल प्रश्न सं0 2 के माध्यम से यह जानने की कोशिश की थी कि जो स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनाव न कराये जाने का क्या कारण है। सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है, तो माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाये और चुनाव की कोई तारीख निश्चित कर दी जाये। यह सरकार जनता को कोई राहत नहीं दे पा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने बरेली में कहा था कि जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा और उनकी इस घोषणा का जनता ने हर्ष ध्वनि से स्वागत किया था। टैक्स की कोई वसूलयाबी नहीं की जायेगी, यह अखबारों में भी निकला था, उसको वह पूरा क्यों नहीं करते हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने कल यहां पर कहा था स्थानीय निकायों के चुनाव न होने के कारण टैक्स की वसूलयाबी नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि, कहीं पर टैक्स की वसूलयाबी बन्द है और कहीं पर वसूली की जा रही है और जो गरीब लोग हैं, टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनको बन्द किया जा रहा है और उनकी कुर्की की जा रही है। आपने किस आधार पर कह दिया कि टैक्स नहीं लगाया जायेगा। आप इस तरह की घोषणा करके जनता पर जुल्म ढा रहे हैं।

यह तरीका जो आपका है, मैं समझता हूं कि जनता के लिए अच्छा नहीं है। आप चुनाव के लिए कोई तारीख नहीं दे पा रहे हैं, समिति नहीं बना पा रहे हैं,

तो कम से कम यह घोषणा कर दें कि फलां तारीख को चुनाव कराये जायेंगे। मान्यवर, मैं "नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रजन्टेशन" के सिद्धान्त पर माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम वह यह घोषणा करें कि करों का रिवैल्युएशन नहीं होगा, जब तक चुनाव नहीं करा दिये जायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि रिवैल्यूएशन में आपके कर्मचारी गलत ढंग से टैक्स लगा रहे हैं, जिन लोगों को अधिकार दिया गया है, वह नहीं जाते हैं, उनके चपरासी और क्लर्क जाते हैं, जो उनके भवनों का निरीक्षण करते हैं और पैसा कमाते हैं। जो पैसा दे देता है, उसका टैक्स कम हो जाता है और जो पैसा नहीं दे पाता है, उसका टैक्स तिगुना आ जाता है। आप इस बात की घोषणा करें कि रिवैल्यूएशन नहीं होगा, जब तक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं पहुंच जाते हैं। तो मैं मान्यवर, अपनी इस बात पर बल देता हूं।

मान्यवर, प्रिसाइडिंग आफसर्स कान्फ्रेन्स में एक पत्र रखा गया था, एक समिति बनायी गयी थी, तत्कालीन अध्यक्ष श्री ए0 जी0 खेर की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी। मान्यवर, इस समिति ने 13 सितम्बर, 27 सितम्बर, 25 नवम्बर और 15 जनवरी, 1970 को अपनी बैठकें कीं और बैठकों के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 15 जनवरी 1970 को प्रस्तुत की थी। मान्यवर, उस रिपोर्ट में पहला मुद्दा यह था, मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको देखा होगा और उसकी जानकारी उनको होगी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "सदन के सदस्यों को हटाने के लिए किसी भी दशा में पुलिस न बुलायी जाये और अगर बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो रक्षकों (विधान सभा) का प्रयोग किया जाये जो कि पूर्णकालीन विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी होंगे और मार्शल के अधीन कार्य करेंगे।" तो मान्यवर, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हीं रक्षकों की सहायता ली जायेगी जो पूर्णकालीन विधान सभा के कर्मचारी हों और मार्शल के अधीन कार्य करते हों। उस रिपोर्ट में यह भी है कि "यदि सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति दीर्घाओं में अव्यवस्था उत्पन्न करें तो उनको वहां से निकालने के लिए पुलिस का प्रयोग वर्जित न होगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप नेताओं की बैठक बुला लें और उनको आप कान्फीडेंस में लें, जो कमियां हैं उनको आप देखें। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए। न कि आप इस परिस्थिति के अन्तर्गत पुलिस बुलाने का प्रस्ताव सदन में लायें।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुराने उदाहरण इस बात के लिए मौजूद हैं, प्रिसाइडिंग आफीसर्स कांफ्रेन्स के निर्णय मौजूद हैं, समिति की रिपोर्ट मौजूद है आज तक यहां पर पुलिस बुलाने का प्रस्ताव नहीं आया, विधान सभायें चलती रहीं, संसद चलती रही, बीच-बीच में शोर-गुल और अव्यवस्थायें भी हुईं लेकिन आपने नेताओं को बुलाकर आपस में एक साथ बैठकर सदन की कार्यवाही चलाई। मैं समझता हूं कि यह आपका बहुत बड़ा काला प्रस्ताव है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जो अव्यवस्था फैलती है, वह फैलती रहेगी। इसलिए आप मेरी इस बात पर विचार करें।

आपसे और मुख्य मंत्री जी से यहां पर कहा गया कि मेरठ में पुलिस जुल्म ढा रही है, वहां पर कत्ले आम हो रहा है, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन आपने

मलियाना के लिए तो न्यायिक जांच बिठाई है मेरठ के लिए नहीं बिठाई है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। आज सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक भावना फैल रही है। मेरठ के दंगे अलीगढ़ में भी शुरू हो गये हैं। सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए विचार करें ताकि यहां पर रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों के बीच कोआपरेशन की भावना पैदा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सरकार की विफलताओं को देखते हुए और अत्याचार को देखते हुए जो कि उसने हम विधायकों के लिए और विशेषकर विरोध पक्ष के लोगों के लिए उनकी जबान बन्द करने के लिये, उनका मुंह बन्द करने के लिए हौवा दिखाया है, उसमे हम विरोध पक्ष के लोग दबने वाले नहीं हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी, इस सरकार में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे माननीय कल्याण सिंह जी सहित विरोध पक्ष के कई माननीय नेताओं ने एक बड़ा गम्भीर मामला नगर पालिकाओं के चुनाव कराने तथा मेरठ के मामले में एक समिति बनाये जाने के बारे में उठाया था लेकिन उस बात पर बल प्रदान करने के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने जो तरीका अपनाया मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा लेकिन मान्यवर, उस समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से जो रास्ता अपनाया गया वह वैसा ही था जैसे किसी रोगी के रोग का जो निदान प्रस्तुत किया गया वह रोग से भी ज्यादा गम्भीर था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाय, वही कम है।

मान्यवर, यहां पर पुलिस बुलाना हमारी मान्य संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। अभी एक कमेटी का हवाला दिया गया, प्रिसाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेन्स का हवाला दिया गया। इसी से स्पष्ट है कि हमारी वे सारी परम्परायें गवाह हैं कि यहां पर पुलिस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आपको भी अंधेरे में रखा गया था। यदि आपके सामने यह बात आयी होती कि यहां पर पुलिस बुलाने का प्रस्ताव किया जा रहा है तो मैं यह समझता हूं कि आप भी उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान न करते। कल जो कुछ यहां पर हुआ वह दिन हमारे संसदीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जायेगा। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता पक्ष की ओर से सरकार खड़े होकर इस बात की घोषणा करें कि कल यहां पर जो प्रस्ताव हुआ है वह वापस होना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घृणित कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसके लिए सरकार को खेद भी प्रकट करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कल यहां पर जो कुछ भी कार्यवाही हुई वह अवैधानिक हुई। इसलिए हमारी भावना अपनी जगह हो सकती है लेकिन इस सदन का कार्य, उसका कार्य संचालन संविधान और नियमावली के तहत होना चाहिए। मान्यवर, आपकी अध्यक्ष पीठ से एक व्यवस्था दी गई है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब तक सदन अव्यवस्थित हो, कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मान्यवर, अव्यवस्थित सदन के रहते हुए कोई भी विधायी कार्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये एक फैसले की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मान्यवर, 1955 से लेकर 1965 तक माननीय अध्यक्ष पीठ से समय समय पर लिये गये निर्णयों की पुस्तिका में दिया हुआ है उसको आप देखने का कष्ट करें। 2 मार्च, 1963 को एक अभिसूचित कार्यस्थगन पर जब सदन में विवाद हो रहा था तब श्री उपाध्यक्ष ने निलम्बन का प्रस्ताव पास होने का प्रस्ताव रखा था जिसके कारण श्री नेकराम शर्मा को सदन छोड़ने की आज्ञा दी। इस बीच अनेक माननीय सदस्यों ने व्यवस्था आदि के प्रश्न उठाने चाहे लेकिन उपाध्यक्ष ने कहा "आखिर तो इस सदन की मर्यादा कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि चाहे कोई गलत हो या सही, चेयर की रूलिंग को आपको मानना चाहिए। उसके पहले और कोई काम नहीं हो सकता। तो जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाय जब तक इंगित करने की कार्यवाही पूरी न हो जाय कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। यही बात शकधर की पुस्तक में भी कही गयी है सदन में व्यवस्था होना, कोरम का पूरा होना और अध्यक्ष पीठ पर आपका बैठना तथा उनके निर्णयों का पालन होना जरूरी है तभी कार्यवाही होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो कल कार्यवाही हुई थी वह विधि संगत नहीं है।

एक और बात जो कल निलम्बन हुआ उसका जो प्रस्ताव पास हुआ उसके संबंध में मैं आपका ध्यान नियम 299 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें व्यवस्था दी गयी है कि इसका उपयोग कैसे होगा यदि पीठासीन अधिकारी जब अपने को असमर्थ पाते हैं और आपकी ओर से दी गयी आज्ञा का कोई पालन नहीं करता है। आप उसे सदन के माध्यम से इंगित करते हैं जो एक प्रकार से आप पर अविश्वास है और सदन उसे आप पर रिस्टोर करता है उस पर संसदीय कार्यमंत्री का प्रस्ताव आता है। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। तो इसमें एक वचन में दिया है बहुवचन में नहीं है एक एक करके प्रस्ताव होना चाहिए तभी निलम्बन नियमानुकूल समझा जायेगा।

इसी प्रकार इसमें आगे दिया हुआ है कि किसी सदस्य के निलम्बित किये जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि 3 उपवेशनों के लिए होगी, दूसरी बार 7 उपवेशनों के लिए अनुवर्ती अवसरों पर यदि सदन अन्यथा विनिश्चय न करे, सत्र का अवशिष्ट कालावधि के लिए होगी। तो कल जो हुआ वह भी नियमानुकूल नहीं हुआ है। गलती हमारी तरफ से भी हो सकती है और सत्तापक्ष की तरफ से भी हो सकती है लेकिन कल जो कार्य हुआ वह नियमानुकूल नहीं हुआ। इस सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही शासन पक्ष की है। जो कल परिस्थितियां पैदा हुई वह क्यों पैदा हुई इसके रहस्य पर जाना पड़ेगा जिसके विषय में माननीय तिवारी जी ने दो जजमेंट्स का हवाला दिया मैं तीसरे जजमेंट की बात कहना चाहता हूं।

मेरे पास लखनऊ खण्डपीठ के जनवरी, 87 का एक निर्णय है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई वाटर टैक्स देने में डिफाल्टर है तो उसका कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उन निर्णयों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बहुमत का सहारा लेकर कोई भी कार्य कर सकती है। लेकिन जनहित में कार्य करने

की उससे उपेक्षा की जाती है । तो बात साफ है अगर लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल का विश्वास है वह चाहे हिन्दुस्तान का लोकतंत्र हो या विलायत का हो नियमों का पालन उसे करना पड़ेगा। और यदि हमें लोकतंत्र नहीं चलाना है, तो किसी कीमत पर लोकतंत्र नहीं चल सकता है चूंकि हम प्रतिपक्ष के पास बहुमत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र चलाने की नीयत है तो सदन को चलाने के लिए प्रतिपक्ष की न्याय संगत बात को सुनना सत्ता पक्ष का कर्तव्य है।

मान्यवर, हमारे नेता श्री कल्याण सिंह ने बात रखी थी कल कि हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है, उसकी भावना को आप ध्यान में रखकर फैसला कर दें। संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती पद्मा सेठ की ओर से कल उत्तर दे रहे थे तो वह बारबार गोल बात करते थे कि उसका हम आदर करेंगे, हमने कहा था कि आप आदर नहीं करेंगे क्योंकि यदि सरकार आदर करना चाहती है तो कहे कि हम सुप्रीमकोर्ट में नहीं जायेंगे और जो हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार चुनाव करायेंगे। लेकिन सरकार साफ-साफ नहीं कहना चाहती है इसलिए हमें सरकार की नीयत खराब लगती है। इसलिए हमारे पास और क्या चारा हो सकता है अलावा यहां ऊंची आवाज में कहने के। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में आन्दोलन हो चुके हैं कि चुनाव कराये जायं लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है। यह सरकार चुनावों की उपेक्षा कर रही है। इसलिए मेरा आरोप सही है कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संसदीय परम्पराओं में विश्वास नहीं है और लोकतंत्र की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर करने का काम सरकार जान बूझकर कर रही है। इसलिए मैं प्रस्ताव पर बल देकर कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन साफ साफ खड़े होकर, जिस तरह कल यहां पुलिस बल प्रयोग करने का प्रस्ताव लाये उस पर खेद प्रकाश करें। सदन को चलाने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए नेता सदन और विरोध पक्ष के नेता आपस में बैठकर इस पर विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकाल सकते थे और यदि कोई बात आड़े आती तो मेरा दल उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पुलिस बल प्रयोग का प्रस्ताव तत्काल वापस लेना चाहिए।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 25 जून 1987 को इस उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया जो जनतंत्र के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है । मुझे याद है कि 25 जून, 1975 में इस देश में आपात स्थिति की घोषणा हुई थी और 25/26 जून की रात में राष्ट्रीय बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उसी तरह से कल 25/26 जून की रात को 2 बजे यहां पर एक हजार पुलिस वाले इस विधान सभा परिसर में आये और 38 सम्मानित सदस्यों को यहां से गिरफ्तार करके ले गये । मुझे नहीं मालूम इसे श्री वीर बहादुर सिंह गिरफ्तारी कहेंगे कि नहीं चूंकि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बारे में तर्क चल रहा है । मान्यवर, मुझे नहीं मालूम कि उन 38 माननीय सदस्यों को पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया चूंकि आज इसी सदन में जब कुछ माननीय सदस्यों को जब वे धरना पर थे तो आपके निर्देश पर सभी माननीय सदस्यों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जबरदस्ती उठाकर यहां से बाहर कर दिया गया जिसको हम सभी ने देखा, पूरा सदन गवाह है कि आपके निर्देश का उल्लंघन किसी भी सम्मानित सदस्य ने नहीं किया भले यहां से उठाकर उनको ले जाना पड़ा । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल ऐसा कोई आचरण सदन के किसी सदस्य ने उपस्थित नहीं किया था कि यह सदन चलाने के लिए आपको कोई आदेश पारित कराना पड़ेगा और आपको सदन की कार्यवाही चलाने के लिये दरोगा या सब इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ जायेगी । हम सब लोग जो चुनकर यहां आये हैं, सदन के बाहर रोज पुलिस की प्रताड़ना और जुल्म के शिकार हो रहे हैं और यहां कोई ऐसा विधायक नहीं है जो पुलिस के कारनामों से खुश हो । यहां तक कि अच्छे विधायक, जो सत्ता पक्ष के हैं उनको भी दरोगा ने पीटा है ।

मान्यवर, हम समझते हैं कि लोकतंत्र के जो उच्च आदर्श और मानदण्ड स्थापित किये गये हैं हम सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं लेकिन अगर लोकतान्त्रिक परम्पराओं, नियमों और संविधान का हम निवर्हन नहीं कर पाए, तो क्या हम सन् 87 में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को अब इस प्रदेश के दरोगा और सिपाही आकर संसदीय लोकतन्त्र का पाठ पढ़ाएंगे । ऐसा सोचना यदि वीर बहादुर सिंह या अम्मार रिजवी का हो तो उनको मुबारक हो । परन्तु काशीपुर की जनता ने चुनाव में यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे सोच और काले कारनामों को जनता का समर्थन कभी भी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल पाएगा । इस समय एक बड़ा संकट आ गया है माननीय मुख्य मंत्री पर कि किस तरह से सदन को चलाया जाए । मैं चाहता हूं कि सदन चलाना चाहिए, लेकिन कुछ परम्पराओं और नियमों के अनुसार चलना चाहिए । मैंने उनकी इधर चिन्ता और अकुलाहट को समझा है और देखा भी है । मैंने कल माननीय अध्यक्ष के कमरे में भी उनकी अकुलाहट और गुस्से को देखा है। आपकी यह दशा शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कारण है, आपका यह गुस्सा उन पर है । किन्तु आप उसका परिचय यहां पर न दें, सदन में उस गुस्से की अभिव्यक्ति न करें । सदन में और सदस्यों के सामने आप उसे न दिखाएं ।

एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे प्रदेश में पुलिस राज्य चल रहा है (व्यवधान) माननीय देवेन्द्र पान्डेय के बारे में बता दूं, मेरे अच्छे साथियों में से हैं, लेकिन पुलिस ने कभी उनको भी बहुत परेशान किया है, यह भी उसके जुल्म और अत्याचारों के भुक्तभोगी हैं, जो लखनऊ के दरोगा ने उनके साथ सलूक किया था, जब जनता राज्य में इन्होंने एक हवाई जहाज का अपहरण किया था । उस केस में इनको जेल में डाला गया था और वहां उनके साथ . . . (व्यवधान) मैं सब जानता हूं, क्यों मुझ से कहलवाना चाहते हैं । यदि आपने पुलिस को हर रोग का इलाज सौंप दिया, हर समस्या का समाधान पुलिस के हाथों कराने का विचार कर लिया, तो देश में आप नहीं वह राज्य करेंगे और आप जो जनता के अगुवा होते हैं नहीं कर पाएंगे ।

यदि पुलिस के बारे में आपने नई दृष्टि नहीं रखी, उस पर पर्याप्त नियंत्रण और सीमा न रखी, तथा पूरे पुलिस बल का पुनर्गठन नहीं किया, तो वह आप पर हावी हो जाएगी और हम और आप जैसे सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा तो आप यह काला प्रस्ताव, जिसने संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों का हनन कर दिया है और जिसने पूरे प्रदेश और देश की जनता को सोचने पर विवश कर दिया है कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है, वापस लें ।

किसी लोकतंत्री शासन के तीन अंग जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हैं, उनमें विधायिका सर्वोच्च और स्वायत्त है, उसकी अपनी विशिष्ट गरिमा है। इसीलिए विधायिका का अपना पृथक से सचिवालय है, मार्शल व सुरक्षा दल है। वह अपने कार्यों आदि का खुद मुख्तार है। जो खुद मुख्तार है, उसमें पुलिस दरोगा आकर आपके ऊपर आपके निदेशों के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे तो हमें जो वाक-स्वातंत्रय मिला हुआ है, सर्वोच्चता मिली हुई है वह नष्ट हो जायेगी। जो सदन नहीं चल पा रहा था तो उसके लिए एक संसदीय मान्य तरीके हैं, जिसके अन्तर्गत उसका रास्ता खोजा जा सकता है। विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के नेतागण आपस में बैठकर किसी भी स्थिति का हल निकाल सकते हैं। किसी सदस्य को कोई गलती है तो उसको बैठकर तय किया जा सकता है, लेकिन उस समस्या का समाधान यदि आप पुलिस की लाठी-गोली के बल पर ढुढ़वाने लग जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र नहीं चल पाएगा उसकी जितनी भी निन्दा की जाए कम है। कल रात्रि को दो बजे इस सदन के 38-38 माननीय सदस्यों का जिस प्रकार पुलिस के हाथों, उसके बल प्रयोग से अपमानित और बेइज्जत होना पड़ा और उनको ले जाएगा वह संसदीय लोकतंत्र का एक काला दिन है। उसकी जितनी भी निन्दा की जाए कम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कल वीर बहादुर सिंह की सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसको तत्काल वापस ले लिया जाए।

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी अभी नियमों के बारे में कह रहे थे। नियमों और कानूनों की बात तो उस सरकार से होनी चाहिए जिसकी मंशा नियमों और कानूनों के अनुसार चलने की हो। किन्तु यह सरकार जो संविधान के मूल आदर्शों और बुनियादी ढांचे का ही आदर नहीं करती है, उनका सम्मान नहीं करती है, उसके लिए छोटे छोटे कानूनों और नियमों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यह प्रस्ताव कल पारित किया गया है इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेना चाहिये। यह प्रस्ताव काला प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बदनुमा दाग है। इसका जितना विरोध कर सकें हर विपक्ष के दल के लोग इसका विरोध करें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल इन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और निलंबन के बाद भी बैठे रहे और इतना लम्बा भाषण दे रहे हैं। खुद इन्होंने कानून को तोड़ा है, निलम्बन दिन भर के लिये किया गया था लेकिन आपके आदेश के बावजूद भी बैठे रहे।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो कल निपट गया।

(श्री लाल प्रताप सिंह को पुकारे जाने पर।)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था क्यों चाहता हूं? माननीय शतरुद्र प्रकाश ने, मैंने और राम आसरे वर्मा जी ने, गालिबन कल्यान सिंह जी ने और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, इन सब लोगों ने नियमों के निलम्बन के लिये नियम 311 के तहत एक नोटिस दी थी उसी के सिलसिले में यह बहस हो रही है लेकिन आपने बीच में माननीय लाल प्रताप सिंह जी को बुला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह विषय ऐसा है, आप लोगों को समय मिल जायगा । अगर इधर के विचार इस पर आ जायं तो अच्छी बात होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब तक सारे तथ्य न आ जायं तब तक दूसरे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए । उनका अधिकार बनता है उनको मौका मिलना चाहिए लेकिन कम से कम जिन लोगों ने नोटिस पर दस्तखत किये हैं, जिनकी तरफ से प्रस्ताव आया है पहले आप उन्हें सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने लाल प्रताप सिंह जी को बुलवाया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई प्रस्ताव नहीं था । केवल व्यवस्था के संबंध में विचार-विमर्श की बात थी । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेता इस पर बोले । अगर इधर के 2-4 लोगों के विचार इस पर आ जायं, समय चाहे लग जाय, समय की बात नहीं है, इधर के लोगों के भी विचार आ जायं तो पता लग जायगा कि किस तरह की व्यवस्था हो।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो प्रक्रिया है उसके तहत जो प्रस्ताव आया है, तो जिन लोगों ने रखा है पहले कम से कम उनके विचार आ जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्ताव नहीं है कोई । प्रस्ताव पास नहीं हुआ । नेता विरोधी दल ने चर्चा शुरू की है । प्रस्ताव कोई नहीं है । कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । चर्चा स्वीकार की गयी है । विचार-विमर्श हो रहा है, इधर के लोगों के भी विचार आ जायं । विचार-विमर्श के बाद कोई तत्व निकलेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

नियम 311 में नियमों के निलंबन का प्रस्ताव दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या आपके यहां प्रस्ताव भी गायब होने लगे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सुन रहा हूं कि क्या व्यवस्था बनायी जाय ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

नियमों के निलम्बन के लिये जो हम लोगों ने प्रस्ताव किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्ताव पेश भी नहीं हुआ, मैंने अनुमति भी नहीं दी है मैंने विरोधी दल के नेता को बुलवाया, और लोगों को बुलवाया ताकि पता लग जाय कि सदन चलाने के लिये किस तरह की व्यवस्था की जाय । आप सबका सहयोग इसमें हो जाय इसलिये मैंने चर्चा शुरू करा दिया था । मैं सबके विचार सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो रोज का यह ड्रामा समाप्त हुआ । मुझे याद आती है एक नावेल की बात, "इट वाज ए गुड मार्निंग, इट वाज ए गुड मार्निंग" । "इट वाज ए बैड वेदर, इट वाज ए गुड वेदर" । उसी तरीके से यह दो रोज का ड्रामा समाप्त हुआ। जो कुछ माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं ने कहा, उसको सुन कर मुझे बड़ा ही सदमा हुआ । सारे फैक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर रखा गया । इस दो रोज में विरोध पक्ष ने जो कंडक्ट का प्रदर्शन किया, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । एक बात मैं माननीय उपाध्यक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई भी सदस्य फ्लोर में आता है, इतने दिनों से जब से लोकतंत्र कायम हुआ ? मैं आपकी मिमोरी पर जोर डालता हूं । सिर्फ एक बार लोक सभा में लोक दल के एक सदस्य फ्लोर में आ गए, स्पीकर ने मिस्टर चरण सिंह को चिट्ठी लिखी कि कल से हाउस आप चलाइये । मिस्टर चरण सिंह ने उस सदस्य को निष्कासित करने का फैसला किया और भर्त्सना भी की और माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं, आप मुझे कन्फर्म करें, काराबोरेट करें और वेयर आउट करें, इस बात को कि ऐसा हुआ कि नहीं । जिस तरह से फ्रीक्वेन्टली यहां आ जाते हैं, वह कौन सी लोकतांत्रिक परम्परा है, जिसको आप कायम कर रहे हैं ? दुनियां में कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस प्रकार से जरा-जरा सी बात में वेल में आ जाते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रस्ताव के संबंध में, जब प्रस्ताव यहां पर निष्कासन का हो गया, तो उन्हें स्वयं ही यहां से चला जाना चाहिए था।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय लाल प्रताप सिंह पार्लियामेन्ट का हवाला दे रहे थे कि पार्लियामेंट में ऐसा हुआ । मान्यवर, पार्लियामेन्ट में इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं । जो ये कह रहे हैं बिलकुल गलत कह रहे हैं, बिलकुल झूठ बात कह रहे हैं । मान्यवर, पार्लियामेन्ट में उस समय मैं भी था, वहां पर इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई और न ही किसी प्रकार की इस तरह की चिट्ठी ही लिखी गयी ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब एक प्रस्ताव पारित हो गया, तो मा0 सम्मानित सदस्यों को स्वयं चला जाना चाहिए था कि आप इससे निष्कासित हो गए हैं, आप इससे सस्पेंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुनुवा पुत्र श्री शिव नरायन ग्रा0 किरतापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

116–श्री मूल चन्द–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनुवा पुत्र श्री शिव नरायन ग्राम किरतापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर के खिलाफ कितने मुकदमें हैं? क्या उनके खिलाफ कोई गिरोहबंदी का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया? उस मुकदमें के पहले क्या यह जानकारी की गयी कि मुनुवा घर से पकड़ कर लाये गये गये या पुलिस ने गिरोहबंदी के मौके पर पकड़ा? क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी और जांच के बाद दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुनुवा पुत्र शिव नरायन निवासी ग्राम किरतापुर थाना सकरन जिला सीतापुर के विरुद्ध स्थानीय थाना सकरन पर दो मुकदमें पंजीकृत हैं।

श्री मुनुवा के विरुद्ध पुलिस ने गिरोहबंदी का एक मुकदमा धारा 399/402/307 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया है। अभियुक्त मुनुवा घर से पकड़ कर नहीं लाया गया, बल्कि डकैती की योजना बनाते समय पुलिस द्वारा गिरोहबन्दी के मौके पर पकड़ा गया। मामले में सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बहराइच में फखरपुर मिलौरा बासू मार्ग को ग्राम दहौरा तक निर्माण कराने की मांग

117–श्री मयंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बहराइच जनपद में फखरपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फखरपुर मिलौराबासू मार्ग ग्राम सभा-दहौरा तक का निर्माण कार्य कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बहराइच में फखरपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फखरपुर-मिलौरा बासू मार्ग से दहौरा तक के मार्ग का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गवर्निंग बाडी की स्वीकृति/निर्णय के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र

118–श्री मयंकर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के पुलिस अधीक्षक को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र संख्या 524/86 दिनांक 16-7-86 रजिस्ट्री संख्या 1442 में थाना हरैया अन्तर्गत 15 घटनाओं के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उपरोक्त शिकायती पत्र के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र संख्या 524/86 दिनांक 16-7-86 की जांच कराई गई। जांच से 10 घटनाओं के सम्बन्ध में आरोप असत्य पाये

विचार हैं, भावनायें हैं उन्हें सदन के सामने आना चाहिए। जब कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाय तब कदाचित् इस हथियार का प्रयोग किया जाय तो उचित समझा जा सकता है। इस तरह से छोटी-छोटी बातों पर बार बार अपने इस हथियार का प्रयोग करके हम इसका महत्व कम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ साथी इसका बुरा मानेंगे लेकिन इस तरह से कोई अच्छी परम्परा विकसित नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि हमें बेल में नहीं आना चाहिए लेकिन आप ऐसी परिस्थिति क्यों आने देते हैं कि हमें बाध्य होना पड़े। आपको क्या दिक्कत है चुनाव कराने की घोषणा करने में? सरकार की प्रतिष्ठा इतनी गिर चुकी है कि उसके किसी वायदे पर विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार इस तरह के वायदे किये गये परन्तु एक बार भी उन वायदों का पालन नहीं हुआ है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार की इस समय की घोषणा भी केवल आंसू पोंछने के लिए है। इसका पालन नहीं किया जायेगा तो क्या कसूर है विपक्ष का? आप ईमानदारी से चुनाव की घोषणा क्यों नहीं करते ऐसा न करने से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। बार-बार घोषणाएं हो रहीं हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन हर बार कोई न कोई विधेयक आ जाता है कि स्थानीय निकायों के चुनाव 6 माह के लिए टाल दिए जायें। जनता पर दिन पर दिन टैक्स बढ़ रहा है और नागरिक सुविधाएं दिन पर दिन घटती जा रही हैं। जनता पिस रही है टैक्स के पीछे और त्राहि-त्राहि मची हुई है हर जगह। जरूरत के सामान उचित मूल्यों में मिल नहीं रहे, स्कूलों में पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही, गांवों की समस्याएं अपनी जगह पर बनी हुयी हैं, शहरों की सड़कें ठीक नहीं हैं, गांवों की खड़ंजे के रास्ते दुरुस्त नहीं हैं, हर जगह की नालियां सही नहीं हैं, कीचड़ उनमें बेहिसाब भरा हुआ है, शहरों की गलियों में भी यही हाल है कि हर जगह नालियां बजबजा रहीं हैं, मनो कूड़ा जगह-जगह पर ढेर है, कोई देखने वाला नहीं है, गांव की पुलिया टूटी पड़ी हुयी है, लेकिन टैक्स बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे जबकि पहले यह था कि "नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन" और जनता के प्रतिनिधियों का यह दायित्व है।

जनता को पहले यह हक हासिल था कि जब जनता द्वारा चुना गया जन-प्रतिनिधि जनता की आवश्यकतानुसार अगर सुविधाएं नहीं जुटा पा रहा है तो उसे आगे के चुनाव में हटा दे, लेकिन आज जनता के हाथों में कुछ नहीं है, वह डी0 एम0 व एस0 डी0 एम0 को तो हटा नहीं सकती। जबकि यह सारे अधिकार आपके पास हैं और चुनाव आप करा नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से परिषद के चुनाव का मामला तो यह बेचारे "बैल" पर क्यों न आएं यह स्थिति आज किसने पैदा की है? कितनी ही बार इस संबंध में भी आपने घोषणाएं कीं, आश्वासन दिए लेकिन किसी एक घोषणा व आश्वासन को आप स्वयं पूरा नहीं करना चाहते, तो करें क्या मजबूरन इनको ऐसा करना पड़ता है।

मान्यवर, मैं आज भी आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में तत्काल घोषणा करें जैसा कि हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, उसका आप पालन करें। लेकिन कुछ सम्मानित सदस्य यह कह रहे हैं कि यह मैनडेटरी नहीं है केवल सुझाव है। मैं मान लेता हूं कि वह केवल सुझाव ही होगा, मैनडेटरी नहीं है लेकिन

आज लोकतांत्रिक तकाजा क्या है, इस संबंध में सरकार को क्या रुख अपनाना चाहिए। खैर इस बात को भी छोड़ दो। जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो रहे हैं और इस वजह से आज इन जिला परिषदों की हालत क्या हो रही है, इनके चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है?

पिछली बार का भी आपका और हमारा दोनों का तजुर्बा है कि 11-12 वर्षों के बाद ग्राम सभाओं के चुनाव हुए जबकि आज इन ग्राम सभाओं की अवधि भी समाप्त हो गयी है क्या अब आप इन डी0 आर0 डी0 के चुनाव कराएंगे? अगर आप यह विश्वास जनता को दें कि आप अपने आश्वासन को और अपनी घोषणाओं को स्वयं रद्द नहीं करेंगे तो स्थिति बहुत जल्द सुधर सकती है हर जगह की और अगर आप स्वयं अपने विश्वास को खोते रहेंगे तो आगे भी इसी प्रकार से "वैल" पर आने वाले लोग पैदा होते रहेंगे। मैं अंत में एक बात और कह कर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि कल जो शासन पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया वह संसदीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। सदन के अन्दर पुलिस बुलाने का प्रस्ताव या सदन में पुलिस का बुलाना इससे बड़ी अवमानना लोकतांत्रिक परम्पराओं में नहीं हो सकती है। सदन चले, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन पुलिस को सदन में बुलाने का प्रस्ताव जो आया है, इसे मैं फिर अपनी बात को कहते हुए दोहराऊंगा कि यह बात, यह प्रस्ताव काले अक्षरों में लिखा जाने वाला है। इसे आगे आने वाली पीढ़ी कभी भी माफ नहीं करेंगी और वह यह सोचने पर मजबूर होगी कि कैसे शासन पक्ष व विपक्ष के लोग थे। इसलिए आपको इस पर अफसोस होना चाहिए, और माफी मांगनी चाहिए, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए इस सिलसिले में, इससे आपकी शान घटेगी नहीं, बल्कि इससे आपकी शान बढ़ेगी। वरना आपके इस रवैये से ऐसा होने लगा था कि शायद फिर कहीं ऐसा समय न आ जाए कि अन-डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू हो जाए।

ठीक ही कहा भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने कि 25 जून, 1975 को देश में इमरजेंसी लगी और आज 25 जून, 1987 को यहां पर भी इमरजेंसी जैसी लगी हुई है। पुलिस राज कायम हो रहा है। पत्रकारों के लिखने पर रोक लगाई जा रही है। उन्हें बार-बार जेल में डाला जा रहा है। मुख्य मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनकी घोषणा के बाद पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बता दें कि मा0 वीर बहादुर सिंह बड़े हैं या एक थाने का थानेदार बड़ा है? यह अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इसी प्रकार से यहां पर भी इमरजेंसी लगी हुई है। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं कोई वकील नहीं, पुलिस राज कायम है। इसी तरह से यहां पर भी कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं कोई सुनवाई नहीं और पुलिस के द्वारा निकलवाकर बाहर कर दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक प्रस्ताव जो सरकार की ओर से आया, मा0 मुख्य मंत्री जी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक मान्यताओं में अटूट विश्वास करती है।

पहले 25 जून, 1975 को लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लेकिन उसके बाद के इतिहास को आपको भूलना नहीं चाहिए। इस देश के लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की

हत्या करने वालों को सजा दे दी । आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार क्या हश्र हुआ, इससे आपको सबक लेना पड़ेगा । 25 जून, 1987 को आपकी सरकार यहां पर पुलिस बुलाने का प्रस्ताव लायी है, लेकिन यह प्रस्ताव आपको और आपकी सरकार को ले डूबेगा। मान्यवर, इस सदन के अन्दर विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए जाते हैं, हमें शिकायत है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहती। हम नहीं कहते हमारे शत-प्रतिशत मुद्दों पर ध्यान दिया ही जाय, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि हम शत प्रतिशत गलत ही कहते हैं । हमारी कुछ बातें न मानी जायं तो कुछ तो हम सही भी कहते होंगे, आपने राय बना ली है कि विपक्ष जो कहेगा, सरकार नहीं मानेगी। लेकिन क्या लोकतंत्र केवल बहुमत की शक्ति के आधार पर चलेगा, क्या आम राय के आधार पर, विचार-विमर्श के आधार पर नहीं चलेगा । आज विपक्ष में कम सदस्य हैं, लेकिन अगर एक भी सदस्य कोई अच्छी बात कह दे सरकार का दायित्व बन जाता है कि वह यह न देखे कि कितने लोग कह रहे हैं, वह यह देखें कि क्या कह रहे हैं। उसकी बात सत्य और ठीक हो तो एक-एक सदस्य की बात पर ही ध्यान दिया जाना चाहिये। यह मानकर चलने से कि विपक्ष जो कहेगा, ठीक नहीं होगा, क्या सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल जायगी । अतः जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था, इस सदन को चलाने का दायित्व दोनों पक्षों का है और सरकार का कुछ ज्यादा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि सदन में खड़े होकर सदन से क्षमा याचना करें कि इस माननीय सदन में पुलिस बुलाने का जो प्रस्ताव कल पारित कराया गया, उसको वापस लेते हैं। मैं टैक्निकेलिटी में नहीं जाना चाहता हूं, यदि सदन व्यवस्थित भी होता और यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो भी हम यही कहते। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का यह प्रयास होना चाहिये कि सदन सुचारु रूप से चले। इस सदन का समय बहुत कीमती है और इसमें काफी पैसा खर्च हो रहा है। जनता इस सदन की कार्यवाही को सुन समझ कर न सत्ता पक्ष को माफ कर रही है और न विपक्ष को ही माफ कर रही है। दोनों तरफ के लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं । इसलिये सत्ता पक्ष के लोगों से मेरी फिर से प्रार्थना है कि कृपा करके सदन को सुचारु रूप से चलाएं, सबके विचार सुनें और विपक्ष की ओर से जो मुद्दा उठाए जाते हैं, उन पर कार्यवाही करें और जिस अहम मुद्दे को लेकर सदस्यगण वेल में आए, मा0 मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक निश्चित तारीख के अन्दर स्थानीय निकायों के चुनाव करवा देंगे और फैसले के रिव्यू के लिये जो दर्खास्त पड़ी हुई है, उसको रिव्यू नहीं किया जायगा । सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने नहीं जायेगी । आपको अधिकार है यह सब कुछ करने का, लेकिन मैं यह अपेक्षा करूंगा कि कांस्टीट्यूशन अधिकार के साथ-साथ जो आपकी मारेल बाइंडिंग्स हैं, उनको भी यह सरकार निभायेगी ।

(श्री राम आसरे वर्मा—को बुलाये जाने पर)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, आपने उस पक्ष के सदस्यों को भी मौका दिया, आप इस पक्ष के लोगों को भी सुनें। मुझे दो मिनट का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । मैंने मा0 राम आसरे वर्मा को बुला लिया है।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र का जो दंभ सत्ता-पक्ष की ओर से भरा जा रहा है, उसकी मिसाल इसी सदन में मौजूद है। सदन में चुनकर आये हुए माननीय सदस्यों को सदन से निलम्बित किया जाता है उस व्यक्ति के प्रस्ताव पर, जो सदन में चुनकर आ ही नहीं पाया। यह संसदीय लोकतंत्र की जीती-जागती मिसाल है इसी सदन के सामने। माननीय अम्मार रिजवी ने यह प्रस्ताव किया, जो अभी काशीपुर के चुनाव में जनता द्वारा ठुकराये गये हैं। कल हमारे 38 माननीय सदस्यों के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव किया था आज लगभग 19 माननीय सदस्यों के खिलाफ प्रस्ताव किया। मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र के प्रति इनके दिल में कितनी जगह है यह इसी बात से साबित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से न चले । लेकिन, सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है, उससे ज्यादा सत्ता पक्ष की भी है ।

यहां पर कुछ माननीय सदस्य वेल में आये, कोई असहमत हो सकता है उनके आचरण से कोई सहमत हो सकता है उनके आचरण से, मैं उस आचरण से असहमत हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वह परिस्थितियां पैदा किसने की ? मान्यवर, सत्ता पक्ष के संबंध में कहूंगा कि आज उनका आचरण जिस तरह का है वैसा पहले देखने को नहीं मिलेगा । मान्यवर, कार्यवाहियों के पिछले पन्ने अगर पलटकर देखें, तो जिस तरह से गुमराह करने वाले उत्तर आज सत्ता पक्ष की ओर से आ रहे हैं, इससे देखने को नहीं मिलेगा । मान्यवर, आप देखें यह सत्ता पक्ष के लोग न तो न्यायपालिका के निर्णय को मानने के लिये तैयार हैं जिसने यह निर्णय दिया है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के चुनाव 6 महीने के अंदर करा दिये जायं और न जन भावना का सम्मान करने के लिये तैयार हैं, जहां से यह मांग आ रही है कि इनके चुनाव जल्द से जल्द करा दिये जायें । अभी माननीय नेता विरोधी दल सदन में दो दिन पहले बोल रहे थे कि जब तक आप चुनाव नहीं कराते तब तक के लिये कोई ऐसा उपाय निकालें ताकि स्थानीय निकायों की कार्यवाही में माननीय सदस्यों का भी योगदान रहे । लेकिन, उस मत को भी यह मानने के लिये तैयार नहीं है। जब न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान नहीं होगा, जनभावना का सम्मान नहीं होगा, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठुकराया जायेगा, तो मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य के सामने कोई और विकल्प नहीं रह जाता कि वह सारे नियमों को तोड़कर सदन के वेल पर जाय और अगर उससे भी आगे कोई गुंजाइश हो, तो उसको भी टटोले। मान्यवर, इन सब परिस्थितियों के लिये अगर जिम्मेदार है, तो वह सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। माननीय लाल प्रताप सिंह जी उस तरफ से कह रहे थे कि कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि इतने सारे लोग एक साथ वेल पर आये और धरना दिये । मैं उसके जवाब में यह कहना चाहता हूं कि जितना निकम्मापन, जितनी अक्षमता, आज के सत्ता पक्ष में मौजूद है, उतनी अक्षमता, निकम्मापन कभी रहा भी नहीं।

मान्यवर, कल एक प्रस्ताव यहां पर लाया गया पुलिस को इस परिसर में प्रवेश करने की छूट देने का । मान्यवर, प्रवेश की ही छूट नहीं ली गयी बल्कि पुलिस को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस सदन के अन्दर घुस कर, जो माननीय सदस्य यहां पर धरना दिये हुए बैठे थे, उनको सदन से बाहर करने तक की छूट मिल गयी। मान्यवर, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने उस समिति का हवाला दिया जो माननीय आत्माराम गोविन्द खेर के सभापतित्व में 15 सदस्यों की एक समिति बनी थी और जिसने स्पष्ट रूप से कई सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश थी कि किसी भी हालत में पुलिस को सदन के परिसर में घुसने की छूट नहीं दी जायेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षा गार्डों से काम चलाया जायेगा। संसदीय परम्पराओं की हिमायती एवम् संसदीय लोकतंत्र का दम भरने वाले लोग अगर उन सिफारिशों के पहले ही सूत्र को मान लेते तो पुलिस को यहां पर लाने की न सोचते।

मान्यवर, मैं उन तथ्यों व तर्कों से अपने को सम्बद्ध करता हूं जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी, माननीय शतरुद्र प्रकाश व माननीय नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे हैं और यह मांग करता हूं कि जो सदस्य निलम्बित किये गये हैं, उनका निलम्बन वापस लिया जाय। दूसरा, यह कि जो कल यहां पर काला प्रस्ताव अवस्थित सदन में रखा गया था, उसे भी वापस लिया जाय और सरकार को इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका के प्रति सरकार को सम्मान व्यक्त करना चाहिए, जन भावनाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करे व माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वायत्तशासी संस्थाओं में चुनाव कराने की तारीख न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर आज इस सदन में करे। जो असामान्य स्थिति पैदा हो गई है, जिसके रहते हुए सदन की कार्यवाही सुचारु से नहीं चल पा रही है, उसके लिए सत्ता पक्ष को पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही एक बार मैं पुनः अपनी बात पर बल देना चाहता हूं कि कल यहां पर जो काला प्रस्ताव रखा गया, उसे वापस लिया जाना चाहिए।

(डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय श्री राम नरेश यादव जी को बुलवा लिया है, कृपा कर आप बैठ जायं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह तय हुआ था, शायद आपको भी स्मरण होगा कि जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है और माननीय नेतागण बोलेंगे लेकिन आपने श्री लाल प्रताप सिंह जी को बुला लिया इसलिए कुछ माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप समय निश्चित कर दें कि 2-2 या 3-3 मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात खतम कर दें जो इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इस बात की अपेक्षा करता है कि जो प्रदेश की समस्यायें हैं उन समस्याओं का यह सदन प्रतिबिम्ब बने और जनता की बीच में ऐसी भावनायें जायें ताकि वह समझ सके कि सदन के माध्यम से इस प्रदेश के लिए कुछ किया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह सरकार ऐसी बन चुकी है कि कहीं भी कुछ सोचने व समझने को तैयार ही नहीं है। मान्यवर, प्रदेश के किसानों की मूल्य समस्या है गेहूं खरीद की, जिसके कारण आज प्रदेश का किसान तबाह हो रहा है। 120 रु0 और 125 रु0 प्रति क्वि0 के

हिसाब गेंहू की खरीद हो रही है। सरकार एक तरफ तो ढिंढोरा पीटती है कि खरीद का मूल्य तय कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश के किसानों का शोषण हो रहा है, यह आवाज यहां उठनी चाहिये थी और सरकार को आश्वासन देना चाहिये था कि ऐसा नहीं होगा ।

दूसरी ओर पीने के पानी की विकट समस्या है । मिर्जापुर, इलाहाबाद, मैनपुरी और आगरा के क्षेत्र पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं ।

तीसरी ओर मेरठ में जिस तरह से साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, उस पर जो कुठाराघात हुआ है और प्रदेश में साम्प्रदायिकता की जो गन्दगी फैली है, उसके विषय में इस सरकार को आश्वस्त करना चाहिये था।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

इसके साथ-साथ ऐसे भी ज्वलन्त प्रश्न आते हैं कि यह सदन कैसे चले ? सदन तो चल सकता है, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि लोक सभा में कभी ऐसा नहीं हुआ, विधान सभा में भी चौधरी चरण सिंह के पहले ऐसी घटना नहीं घटी । उस समय इस पीठ से जो निर्देश होते थे और सरकार की तरफ से जो जवाब आते थे, उसके कारण यह स्थिति नहीं पैदा होती थी, लेकिन आज सरकार स्वयं ही ऐसे जवाब नहीं देती, जैसे जवाब आने चाहिये। आज सत्ता पक्ष की तरफ से सही जवाब नहीं आते हैं और केवल वायदे के बल पर चलते हैं। 1980 की मार्च में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस समय इस सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया था और उसकी शब्दावली यह थी कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे। आज 1980 से 1987 हो गया लेकिन वह "शीघ्रातिशीघ्र" शब्द समाप्त नहीं हो पा रहा है । कल भी विधान सभा में यही जवाब आया था कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायेंगे। मैं नेता, सदन से जानना चाहता हूं कि वह "शीघ्रातिशीघ्र" कब आयगा? जो अभी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसका पालन करना चाहिये, लेकिन अगर पालन नहीं करेंगे और माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे, तो सदन में ऐसे ही होगा । कल माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने और मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने सवाल उठाया था, उसका जवाब नहीं देंगे तो व्यवधान पैदा करने का काम आप करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जैसी शर्मनाक घटना कल हुई और आपकी तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरह से इस प्रस्ताव को लाकर संसदीय प्रणाली के इतिहास में काला अध्याय जोड़ने का काम किया है, जिस पर अनुमति भी आपने ली है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस पुलिस के बल पर आप अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बल पर आपने पुलिस राज्य कायम कर दिया है। अगर विधान सभा में पुलिस का प्रवेश कराकर सारा काम करायेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा कार्य आपने किया है जो आपके माथे पर कलंक है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यादव जी, अब आप बैठें ।

श्री राम नरेश यादव–

विचार करके घोषणा करें कि स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । कृपया बैठ जायं । श्री जयदीप सिंह बरार बोलें ।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब कुछ भी लिखा नहीं जायगा । आप बैठें । मैंने श्री जयदीप सिंह बरार को बुला लिया है। मेरे कहने के बाद कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे । आप लोग कृपया निर्धारित समय में ही बोलिये । श्री जयदीप सिंह बरार से निवेदन कर रहा हूं कि 5 मिनट में संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, आज सदन के अन्दर जो विषय पुलिस बुलाने के बारे में विचाराधीन है जिसके ऊपर इस समय हमारे माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यगण अपने विचार रख रहे हैं, इसमें शक नहीं है कि यह बहुत अफसोस की बात है और हम विरोधी पक्ष के सदस्यों को आश्वासन देना चाहते हैं, हालांकि हमें नहीं मालूम है कि इस पर हमारी सत्ता पक्ष का हमारी सरकार का क्या रवैया है हम भी इससे दुखी हैं। यह निश्चित है कि जब अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया होगा तो उनको भी भारी दुख हुआ होगा, उनके हृदय पर वजन रहा होगा।

यह सरकार जो यहां बैठी है जिसकी जवाबदेही के लिये बराबर कहा जा रहा है। मैं मा0 विरोध पक्ष के सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकार तो सदन के प्रति जवाबदेह है लेकिन क्या सदन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है ? क्या हम लोग सर्वोच्च हैं, भगवान हो गये हैं कि हमारी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है? क्या जो लोग हमें चुन कर भेजते हैं, वह जनता जिसके बीच से हम चुन कर आते हैं क्या हमारी उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है ? कृषक, मजदूर किसान और दूसरे लोग जिनकी समस्याएं यहां हम निरन्तर उठाते हैं और बहुमत हमें यहां चुन कर भेजता है जनता की समस्याओं को हल करने के लिये तो क्या हम उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं? क्या वहां बहुमत के आधार पर चुने जाने के बाद हम सदस्य बनते हैं तो लोकतंत्र का बहुमत का सिद्धान्त इस सदन में लागू नहीं है?

क्या जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम सदन के "वेल" में आकर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को रोक दें? क्या ऐसा करने से उत्तर प्रदेश की जनता गर्व महसूस करेगी? जिन्होंने कहीं-कहीं पर तो अपनी जान देकर भी क्या हमको इसीलिये चुना है ? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इस सर्वोच्च सदन का सदस्य है और उसके द्वारा चुनी हुई यह अध्यक्ष की सर्वोच्च पीठ है। माननीय मुख्य मंत्री भी तो सदन में प्रशासन के मंत्री पर वह भी अध्यक्ष के निर्देश से सदन में बाध्य हैं । क्या अध्यक्ष का पद, क्या उसकी अवहेलना आपके द्वारा की जाय, यह प्रदेश की जनता चाहती है ? क्या इस पक्ष और इस पक्ष के सदस्य चाहते हैं कि इस सदन को जिसे कि आप सर्वोच्च कहते हैं, बहुमत के सिद्धान्त पर कोई फैसला हो जाय तो उसको जबरदस्ती बिना किसी तर्क के, बिना किसी नियम के उसका उल्लंघन करें? जिस सदस्य का निलम्बन हो जाय वह सदस्य यहां आ कर बैठे हैं और आप

यहां बैठ कर लोकतंत्र का हवाला दें, संविधान की मर्यादा को रखने का यह कोई तरीका नहीं है।

पुलिस के यहां आने से कोई सदस्य खुश नहीं है लेकिन अगर यहां के एक या दो, बीस या चालीस सदस्य यह समझते हैं कि इस सदन को, जिसे वह सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन अपने रवैये से यहां की कार्यवाही को बन्धक बना सकते हैं, कार्यवाही को पंगु कर सकते हैं तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उन 40 सदस्यों को फिर सोचना पड़ेगा कि अगर वे अमर्यादित कार्य करेंगे तो उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा।

श्रीमन्, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस बल की बात आयी है और बार-बार यह कहा गया है कि पुलिस बल का प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिये। मैं कहता हूं कि सदन में ही नहीं बल्कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में पुलिस का प्रयोग अपने आप ही कम हो जाता है। आज हमारी समझ में चाहे कार्यपालिका की बात हो जहां माननीय सदस्य कोई बात नोटिस में लायें, और जब उसका पालन नहीं होता है तब यही माननीय सदस्य स्वयं मांग करते हैं कि पुलिस बल की सहायता ली जाय। मान्यवर, न्यायपालिका के निर्देशों को लेकर जब जाते हैं और उनका पालन नहीं होता तब जाकर पुलिस का सहारा लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

जयदीप सिंह जी, आप समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, पुलिस शक्ति के प्रयोग करने का। न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर पुलिस प्रयोग में लायी जाती है। यहां पर ऐसी परिस्थितियां आयी हैं कि पुलिस बुलाई जाती है तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन दोषी है। नियमों का पालन न हो, तो बल प्रयोग होगा ही।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 बरार जी, कृपया आप बैठ जायें।

श्री फजलुल बारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, कल हम लोगों ने ऐसे मुद्दे को उठाया था.....

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जब बारी जी बोल रहे हैं तो आप बैठ जायें। हमने आपकी तरफ नजरें कर लीं, आपको अपनी आंखों से देख लिया।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि गल्ती हमारी है। हमें ऐसे मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहिये था। चाहे कितनी ही जनता पीड़ित हो, सड़कों पर बदबू फैली हो, शहरों में बीमारी फैल रही हो, पानी न मिल रहा हो, हमको खामोश रहना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका अपना ही चुनाव नहीं हो पाया तो, म्यूनिसिपिल के चुनाव कहां से करा देंगे। गलती हमारी है, हम मानते

हैं। बरार जी ने कहा सिविलाइज्ड सोसाइटी में पुलिस नहीं आनी चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

एक सदस्य–

माध्यम से पूछिये, सीधे नहीं।

श्री फजलुल बारी–

मैं उनसे ही मुखातिब हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में बहस न करें। जब आप उनको सुन लेंगे तब आप तर्क देने में समर्थ रहेंगे। जब आप सुनेंगे नहीं तो तर्क दे ही नहीं पायेंगे।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, सिविलाइज्ड सोसाइटी में सिविलाइज्ड लैंग्वेज होती है। नेता सदन, सदन के नेता हैं। मा0 सदस्यों को उनकी इज्जत और मर्यादा करनी चाहिये और उनको भी मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिये। आप देखें, सारे प्रकरण को। जब सदन शुरू हुआ सारे सदस्य अपनी-अपनी जगह पर थे। जिस भाषा का प्रयोग हुआ, इस सदन में, इसके पहले उस कुर्सी पर जिस पर बड़े-बड़े लोग बैठ चुके हैं, नेता सदन शायद उस पर बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके मुख से ऐसी अनसिविलाइज्ड बात निकल गयी जिससे रोष उत्पन्न हो गया और सारे सदस्य फ्लोर पर चले आये। उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्हें गलती महसूस हुई, माफी मांग ली। मैं बरार जी से कह रहा था सिविलाइज्ड सोसाइटी में सिविलाइज्ड भाषा का इस्तेमाल होता है। पुलिस का इस्तेमाल किया गया, आपको हक हासिल है। आपने तो पूरे प्रदेश में पुलिस का इस्तेमाल इस तरह से शुरू किया है जो इसके पहले कभी नहीं किया गया। अपने आर्थिक अपराधों के बारे में, इस खतरे से कि कहीं पोल न खुल जाये, किसानों की चमड़ी उधेड़ कर जो रुपया स्विस बैंक में चला गया है, उसकी पोल खुलने के डर से आप पुलिस का इस्तेमाल करते रहे।

(शोर)

मान्यवर, नियम 286 के सब क्लाज 3, 7 और 9 के तहत हमको इस बात का हक है कि हम अपनी बात कह सकें।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। समय तो इसी में से जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट में अपनी बात कहें। आधा मिनट बढ़ा दिया है।

श्री फजलुल बारी –

मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आपकी पार्टी हुकूमत में थी। उस पार्टी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये। मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता–

बारी साहब, अच्छे हक में यह होता है कि जो बार-बार कहा जा चुका है, उसे न दोहरायें ।

श्री फजलुल बारी–

मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कोई तर्क रिपीट नहीं करना चाहता हूं । डा0 कौशल साहेब मौजूद हैं, 1977 में एक माननीय सदस्य . . . . .

श्री दिवाकर बिक्रम सिंह –

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय बारी साहेब जो उदाहरण देना चाहते थे, उस समय तो आप भी उसमें शामिल थे । तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या उस उदाहरण को पेश करना उचित नहीं है, इस सदन में । आप भी साथी थे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह कहा कि अगर वही तर्क बार-बार रिपीट किया जायेगा, तो सदन का समय नष्ट होगा, तो उससे बचने की कोशिश की जाये और उससे आपके तर्कों में बल आयेगा ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इसी सदन में राज बली तिवारी जी सदस्य थे, उस समय वह विपक्ष में थे, आप तो रूलिंग पार्टी में थे और आज भी हैं, भले ही पार्टी बदल गयी है। उनका सिर टूट गया था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल पीठ को इशारा करें। इधर-उधर इशारा न करें।

श्री फजलुल बारी–

इसलिये बेहतर था कि पुलिस बुलाई जाती, क्योंकि कहीं पर आई0 पी0 सी0 का उल्लंघन न हो जाये, लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर पुलिस को नहीं बुलाया जाना चाहिये था और न बुलाने की कोई जरूरत थी । मान्यवर, यह जो हुआ है, यह किताबों में लिखा रहेगा कि कौन उस समय पीठासीन था, एक कमजोर वर्ग के माननीय श्री त्रिलोक चन्द्र जी पीठासीन थे और यह प्रस्ताव उनके सामने पारित हुआ था और जो लोक दल (ब) के सदस्य हैं । हैं, अब भी हैं । मेरा अनुरोध है और पूरे सदन की ख्वाहिश है कि इस काले रिजोलूशन को वापस लिया जाये और सरकार माफी मांग कर वापस ले ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता –

आज जो विषय सदन में चल रहा है, उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिये आये थे । अगर समय की कमी होगी, तो बाद में माननीय सदस्यों का समय कम करना पड़ेगा । आप 5 मिनट में अपनी बात कहें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

अधिष्ठाता जी, आपकी बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर कि न चाहते हुये आपने हमको समय दिया, उसके लिये मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आप एक बार कह दें, जो लोग बोलने वाले हैं उनके नाम नोट हो जायें, और वह बैठे रहें, बार-बार की एक्सरसाइज से बड़ा कष्ट होता है और अच्छा भी नहीं लगता है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

जो बात माननीय सदस्य ने कही, उसको मैं देख लूंगा ।

*डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं संसदीय मान्यताओं में विश्वास रखने वाला हूं । पहले ही दिन सदन में जिस प्रकार का घटना क्रम जारी हुआ, उससे मानसिक क्लेश हुआ । मान्यवर, मैं सन् 1974 से इस सदन का सदस्य रहा हूं और जब 1979 में यह फैसला लिया गया कि सदन में पुलिस प्रवेश नहीं । पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेगी, पुलिस का सहारा नहीं लिया जायेगा । तब से लेकर सन् 1980 तक एक भी घटना वेल में आने की नहीं हुई । लेकिन 1980 से लेकर आज 1987 तक एक-एक दिन में तीन-तीन और चार-चार बार माननीय सदस्यों ने वेल में आकर जिस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत किया वह आपके सामने है और सभी सम्मानित सदस्य इस बात को जानते हैं । आज प्रश्न यह है कि पुलिस का प्रयोग क्यों करना पड़ा, इसके लिये आपको उसके मूल कारणों पर जाना पड़ेगा । श्रीमन्, कल सुबह मैं यहां पर उपस्थित था । माननीय सदस्य का एक प्रश्न था । माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उसका जवाब दिया । मैं समझता हूं कि उनके अनुपूरक प्रश्नों का जो उत्तर यहां पर दिया गया उससे ज्यादा स्पष्ट उत्तर और कोई हो नहीं सकता था । माननीय सदस्य ने पूछा कि चुनाव कब होंगे । इसका जवाब उन्होंने यह दिया कि जो हाई-कोर्ट का फैसला है उसके अन्तर्गत ही हम चुनाव करायेंगे । इसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता है। लेकिन श्रीमन्, सवाल हाई-कोर्ट के फैसले का नहीं है, सवाल स्थानीय निकायों के चुनाव का नहीं है । सवाल इस बात का है कि हमारे लायक दोस्त इंच-टेप लेकर यह देखते हैं कि यह और एक सेंटीमीटर आगे बढ़े है तो हम 10 सेंटीमीटर आगे क्यों न बढ़े और अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे बढ़े हैं तो हम 20 सेंटीमीटर आगे क्यों न बढ़ें । सवाल इस बात का है, झगड़ा इस बात का है । . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांति बनाये रखें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बीच में व्यवधान न डालें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मेरे बहुत से मित्र जिनकी मैं कद्र करता हूं उनकी विद्वत्ता के लिये, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे पर लांछन लगाने से पहले अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घर को देख लें । यदि पहले वे अपने घर को व्यवस्थित नहीं करते हैं तो उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वे दूसरे पर कीचड़ उछालें और उगंली उठायें । श्रीमन्, हमारे यहां कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं उनके इंट के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते ।

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि माननीय सदस्यों को साढ़े तीन बजे रात को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया और तब संसदीय मान्यताओं की दुहाई दी जा रही है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय दिया, एक व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य सदन से बाहर चले जायं, क्यों नहीं गये ? मैं कहना चाहता हूं कि वे साढ़े तीन बजे रात में इस सदन में बैठकर क्या कर रहे थे ? क्या यही संसदीय परम्पराओं की मान्यता है । संसदीय परम्परा और उसकी मान्यता तो यह थी कि जैसे ही माननीय अध्यक्ष ने आपको बाहर चले जाने के लिये कहा था, उनको बाहर चले जाना चाहिए था , सदन का त्याग कर देना चाहिए था । माननीय अध्यक्ष के आदेश के बावजूद माननीय सदस्य बाहर नहीं गये, तब भी आप संसदीय मान्यताओं की दुहाई देते हैं । आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता ।

मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नेता बी0 जे0 पी0 को, उन्होंने उस काले दिन की हकीकत को सामने रखा और कहा कि क्या कमियां थीं सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की जिससे यह परिस्थिति पैदा हो गई । उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । श्रीमन्, अगर विरोध पक्ष चाहे कि उसके दबाव से शासन चले, सरकार चले, तो यह हरगिज नहीं हो सकता । सत्ता पक्ष ईमानदारी और नेक-नीयती से तथा स्वतंत्र रूप से सदन चलाने में विश्वास करता है लेकिन जिस प्रकार हमारे माननीय दोस्त चुनाव की राजनीति में लाठी और डन्डे के बल पर चुनाव कराना चाहते हैं और उसी तरह की परिस्थिति सदन में पैदा करते हैं तो सत्ता पक्ष को यहां पर पुलिस बुलानी पड़ेगी । कोई भी सदस्य यहां पर पुलिस बुलाना अच्छा नहीं कहेगा लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि वह क्या कारण है जिनसे मजबूर होकर माननीय अध्यक्ष जी को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा । श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वह काला दिन और काला कानून हमारी आने वाली पीढ़ी याद करेगी लेकिन इसके साथ ही उन परिस्थितियों की भी याद करेगी जिनके काले कारनामों की वजह से यह काला कानून लाना पड़ा । वे क्या कारण थे, क्या कारनामें थे जिनके कारण पुलिस को यहां बुलाना पड़ा, उन कारनामों को भी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात खतम करें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं समाप्त कर रहा हूं मैं लम्बी चौड़ी बात पर नहीं जाना चाहता हूं बहुत माननीय सदस्य कह चुके हैं । लेकिन इन काले कारनामों से आपको वोट मिलने वाला नहीं है। आपके कारनामें जब जनता अखबारों में पढ़ती है तो आपको कोसती है माथा ठोकती है। खुदानखास्ता अगर यह सब टेलीवाइज हो जाता तो जनता देखती कि यहां पर क्या बर्ताव होता है जिस प्रकार का यहां बर्ताव होता है, अध्यक्ष पीठ के निर्णयों की जिस प्रकार

अवहेलना होती है, जिस प्रकार संसदीय मान्यताओं का उल्लंघन होता है उसको देखकर दुबारा आपको भेजने के लिये जनता तैयार नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कौशल जी अब आप बैठें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

अभी भी समय बचा है ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से हम तय करें कि सदन में माननीय अध्यक्ष पीठ पर जो भी बैठे हैं उनके निर्णयों को हम मान्यता देंगे यह बात तय करें । ऐसा कोई आचरण न करें जिससे यह स्थिति पैदा हो ।

श्री सरदार सिंह—

लगता है मंत्री बनने की उम्मीद है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में टिप्पणी न करें उसके लिये भी मुझे ही रास्ता बनायें . (व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

उसमें आप भी हैं . . . . . .

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सदन सुचारुरूप से चल सकता है इसके लिये आप वातावरण बनायें यह आपसे अपेक्षा है ।

श्री हरिश्चन्द्र "हरीश जी"—

मान्यवर, इस विधान सभा में जब से मैं आया हूं पिछले दो सालों से जिस एक गम्भीर विषय को मैं बार-बार सदन में उठाना चाहता था वह अवसर आज आया है, इस गम्भीर परिस्थिति में आज यहां सदन में चर्चा हम कर रहे हैं। इधर से और उधर से दोनों तरफ से सब लोग इस बात के लिये सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि पुलिस को बुलाना गलत हुआ है । सत्ता पक्ष के लोग दबी जबान से बोल रहे हैं कि किस मजबूरी में पुलिस को बुलाया गया । मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष इस बात को मान रहे हैं कि पुलिस को बुलाना बुरा था । सत्ता पक्ष का कहना है कि यह उनकी मजबूरी थी । मैं आशा करता हूं कि, आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वह मजबूरी समाप्त हो गयी है इसलिये पुनः प्रस्ताव लाकर पुलिस को वापस करने का प्रस्ताव आज ही सदन में स्वीकार कराना चाहिए । अगर पुलिस को बुलाना मजबूरी थी तो क्या कुएं में कूदने की मजबूरी पर विचार नहीं किया जा सकता है । मैं कुएं में कूदना बुरा नहीं कहूंगा । वह आखिरी हथियार बन सकता है । आखिर विपक्ष के पास क्या हथियार है । सत्ता पक्ष के पास तो बहुमत का भारी हथियार है उससे वह जो चाहें कर सकते हैं । अगर किसी को बोलने नहीं दिया जायेगा । परेशान किया जायेगा तो वह कुएं में कूद पड़ेगा । मुझे इस बात का दुख है कि घर के भाई को निकाल कर बाहर किया गया है और पुलिस को बुला कर अन्दर लाया गया है । मैं दोनों पक्षों की बात समझता हूं । जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है यह वह पार्टी है कि अगर वह किसी बात को जनहित के खिलाफ हुई समझती है तो उसमें नहीं कूदी है । पिछले सत्र में ही आपने देखा है हम सत्र का बहिष्कार कर बाहर चले गये थे ।

मान्यवर, यह परिस्थितियां क्यों आती हैं कि हम वाक-आऊट करें, कुंए में कूद जायं, सत्र छोड़कर चले जायं। मैं चाहूंगा सत्तापक्ष इस पर आज विचार करे। यदि विरोध पक्ष से कोई गल्ती हो रही है तो उसको भी हम कभी स्वीकार नही करेंगे। हमारे नेता श्री कल्यान सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा फिर मैं भी कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष से कि क्या उन कमियों और गल्तियों पर विचार नहीं करेंगे जिनके कारण मजबूर होकर गल्तियां करनी पड़ती हैं। आपको पुलिस बुलाने की गल्ती करनी पड़ी तो किस मजबूरी में करनी पड़ी, इन बातों पर आपको विचार करना होगा।

मान्यवर, मैं दो-तीन बातों के संबंध में कहना चाहता हूं। जैसे नियम 301 में जनता की समस्यायें उठाकर शासन का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जाता है और आपकी पीठ से निर्देश दिया जाता है कि एक दो सप्ताह में उनका उत्तर दिया जाये। मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि नियम 301 में मेरे द्वारा उठाये गये एक भी सवाल का जवाब सही नही आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने षड़यंत्र-पूर्वक जवाब दिया और मंत्री जी ने जवाब भेजकर हमारा मुंह बंद कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी संकल्प, कोई भी प्रस्ताव क्या विपक्ष का पास होने लायक नहीं है। क्या औचित्य के आधार पर कभी विचार नहीं होगा? मैं एक अनुरोध करूंगा कि 3½ एकड़ तक की जोत पर के बकाए कर्जे माफ करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। जिस पर मैं इसी सदन में 35 मिनट बोल गया । आपने लालबत्ती कर दी । राजस्व मंत्री, श्री बल्देव सिंह आर्य, थे तो उन्होंने उस समय कहा कि इनको बोलने दें हम सुनना चाहते हैं लेकिन इसके बाद भी उस समय प्रस्ताव स्वीकार नही हो पाया था। इस प्रकार हम प्रस्ताव रखें लेकिन उसको गिरा दिया जाये, संकल्प रखें, गिरा दिया जाये। नियम 301 में सही जवाब न दिया जाय। बोलना चाहें तो बोलने न दिया जाये। सारे नलकूप खराब हैं, बिजली और पानी नहीं मिलता है, हम लोग तबाह हैं लेकिन यहां जवाब मनमानी तरीके से दिया जाता है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि यदि बहुमत के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाकर आग सुलगाई जायेगी तो हम, आप और सदन सभी जलेंगे। इस परिस्थिति में सदन को, सत्ता पक्ष को जरूरत है विचार करने की कि यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं जिनके जरिये विरोध पक्ष गलती करने पर मजबूर हो रहा है । मान्यवर, मैं मानता हूं कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर विचार करना चाहिए कि आगे सदन कैसे चलाया जाये जिससे सदन की कार्यवाही ठीक से चले।

मान्यवर, मैं सबेरे जब यहां आया तो देखा कि यह परिसर पुलिस छावनी बन गयी है फलत: विधान सभा डरावनी बन गयी थी। मान्यवर, स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि घोषित करने की बात थी तो 23 जून को सदन में बात उठी थी। 24 को छुट्टी थी और 25 जून को यहां घोषणा करनी चाहिए थी कि हम अमुक तिथि को चुनाव कराने जा रहे हैं। इस घोषणा द्वारा इस बुरी स्थिति को बचाया जा सकता था।

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मुझे इस चर्चा में आपने बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज दो दिनों से एक दल विशेष द्वारा यहां नौटंकी चलाई जा रही थी और जिसके जरिए यहां अव्यवस्था पैदा की गयी थी। तीसरे दिन पक्ष और विपक्ष के नेताओं की समझ में आया कि जो विश्वासघात प्रदेश की 12 करोड़ जनता के साथ किया जा रहा था उसे समाप्त होना चाहिए। दो दिनों से प्रदेश की जनता की ज्वलन्त समस्याओं को यहां नही रखा जा सका, यह विश्वासघात था जिसके लिये हम और आप बख्शे नहीं जायेंगे और जनता इसको माफ नही करेगी। मान्यवर, मैं कल ही सुबह समझ गया था जब सुबह अखबार पढ़ा था और उसमें माननीय अध्यक्ष के फैसले के बारे में जानकारी मिली थी। उन नेता के खिलाफ वह फैसला था, उनको नेता विरोधी दल की मान्यता नहीं मिली थी, तब ही मैं समझ गया था कि जो नौटंकी चल रही है वह बढ़ जाएगी। उनके लिए और भी तमाम रास्ते खुले थे, लेकिन शाम तक बैठे रहे, रात तक बैठे रहे। जब सदन एडजर्न हो गया तो यहां सदन के अन्दर बैठे रहने का क्या औचित्य था? यों सभी विपक्षी पार्टियों के नेता लोग और हम सत्ता पक्ष वाले तमाम लोग उनके साथ रहे, मार्शल और स्टाफ के लोग भी साथ रहे और सब उन लोगों को बार-बार समझाते बुझाते रहे कि यह उनका आचरण नियमों के खिलाफ है। उनका यह कार्य सदन की मर्यादा, व्यवस्था और मान्यता तथा परम्परा के भी खिलाफ है लेकिन वह किसी भी प्रकार नहीं माने। तो जाकर अन्त में 12-2 बजे पुलिस आई। तो यह किन परिस्थितियों में आई, इसको भी देखना था। जिस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े मसले-मेरठ दंगे पर चर्चा स्वीकार हो चुकी थी और वह उस समय हो रही थी, भूतपूर्व नेता विरोधी दल और वर्तमान नेता लोकदल (ब) ने उस मेरठ जैसे महत्वपूर्ण मसले पर गलत व्यवहार से चर्चा नहीं होने दी। उससे हमारे दिलों पर उस दंगे को लेकर जो बात थी, उसको हम कह नहीं पाए।

इसके अलावा गेहूं बरसात में सड़ गया था, उसको बेचने में किसान की परेशानी थी, उसको हम नहीं कह पाए। क्या आप ही अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं, क्या आपको ही यह अधिकार है? क्या हम अपनी बात इस सदन में नहीं रख सकते हैं? उनको यदि यह पूर्ण अधिकार दे भी दिया जाए तो वह उसका प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार को नियमों से दबाया जा सकता है, लेकिन कोई यह कह दे कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे यह बिलकुल गलत बात है और संसदीय परम्पराओं और प्रजातांत्रिक मान्यताओं के भी खिलाफ है। यहां आप बैठकर नाश्ता करेंगे, यहां खाना खाएंगे, यहां ताश खेलेंगे, तो क्या यह पिकनिक प्लेस था। यह मानता हूं, यदि दारुलशफा में गर्मी ज्यादा थी तो आप किसी इंस्पैक्शन हाउस में चले जाते जिसमें एअर कंडिशनर लगे होते और आप वहीं आराम करते। (व्यवधान) देखिए हमें अपनी बात को कहने से रोका जा सकता है, जो हमने देखा है वह हमको कहने दिया जाए। जिस मुद्दे को लेकर यहां बैठकर जनता को दिखाने के लिए यह कहा गया कि इसके लिए हम सदन को नहीं चलने देंगे, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य-मंत्री जी ने चुनाव कराने के लिए स्पष्ट कहा था कि बरसात के बाद शीघ्रातिशीघ्र करा दिये जाएंगे। उनका यह कहना काफी था। मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी यदि उनकी जगह पर मुख्यमंत्री होते तो क्या वह इसी सदन में चुनाव कराने की घोषणा कर देते कि 15 नवम्बर, 18 नवम्बर या 20 सितम्बर को चुनाव हो जाएंगे। आप में से भी कोई मुख्य मंत्री की सीट पर होता तो वह भी तिथि घोषित न कर पाता।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठें बहुत देर से कह रहा हूं।

श्री मुईद अहमद–

यों जिन परिस्थितियों में यह पुलिस आगमन का न्यौता आया है, उन स्थितियों का विश्लेषण होना चाहिए। यह जो बात आई है, पुलिस की बात उचित नहीं है, लेकिन पुलिस बुलाने की मजबूरी क्या थी इसको भी साथ में देखना पड़ेगा। यहां पर बैठकर पिकनिक स्पाट बनाकर हाउस को न चलने देना, मैं समझता हूं कि प्रदेश की 12 करोड़ जनता के साथ यह केवल विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं था. (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

विराजें, अब आप विराजिये, मुझे मजबूर मत कीजिए।

बहुत माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। आप लोग 2-2 मिनट, इस पर ले लें।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता जी, कृपया यह निर्धारित कर दें क्योंकि अभी आगे का एजेंडा भी है, तो किस समय तक आप सम्मानित सदस्यों की बातें सुनेंगे। उसके बाद जो कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा है उसका जवाब भी मुझे देना है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप ही बता दें कि कितना समय आप लेंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो आप आदेश देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इसको पौने 4 बजे तक खत्म करना चाहता हूं उसके बाद जवाब देने के लिये भी समय देना चाहूंगा।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बनारस के एक पंडित जी भांग खाकर जा रहे थे। बरसात का मौसम था। सड़क खराब थी। बिजली कड़क नहीं रही थी। भांग के नशे में वह एक गड्ढे में गिर गये और उनके कपड़े खराब हो गये। जब कपड़े खराब हो गये तो बिजली कड़की। बिजली कड़की तो उनको महसूस हुआ कि उनका फोटो उतारा जा रहा है। वह बोले वाह बाबा विश्वनाथ जी, पहले गड्ढे में गिराया और कपड़े खराब किये फिर फोटो भी उतार रहे हो। उसी तरह से अम्मार साहब ने कल का प्रस्ताव रखा है और वह समझ रहे हैं कि इससे कांग्रेस की छवि बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल उसी भंगेड़ी की तरह जो बनारस में घूमता था और गिर गया था।

श्री अधिष्ठाता–

आपका एक मिनट चला गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है। मान्यवर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जब जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय यह लोग विरोध पक्ष में थे तो उस समय इन्होंने क्या किया अगर उसको मैं कहना चाहूंगा तो समय लग जायेगा। जैसा कि भाई कल्याण सिंह ने कहा मैं उनसे सहमत हूं, हम लोग अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्यायें रखने के लिये यहां चुन कर आये हैं। हम लोगों के सामने चारा क्या रह जाता है। सरकार के मंत्रिगण चाहे बख्शी जी हों या चाहे गौरीशंकर जी हों या श्री हुकुम सिंह जी हों, उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने चारागाह समझ लिया है। खूब अरना चर रहे हैं जिस तरह से मन आता है। उत्तर प्रदेश की जनता और किसान परेशान है। गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, बिजली और पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। यह सरकार सरकारी वसूलियाबी में लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरह से लोग चकबंदी में परेशान थे उससे ज्यादा वसूलियाबी में परेशान हैं। हम इन समस्याओं को कैसे यहां पर रखें ? मैं आपसे अधिष्ठाता महोदय कहना चाहता हूं कि जब आप विरोध पक्ष में थे तो आप भी यही करते थे। यह जो पुलिस बल की बात आयी यह बहुत खराब है, यह जो काला प्रस्ताव आया है इसको वापस लेना चाहिये। कल हुकुम सिंह जी बोल रहे थे। डा0 कौशल जी कह रहे थे, मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं, डा0 कौशल जी खुद असंतुष्ट थे, निकायों के बारे में, विकास प्राधिकरण आगरा के बारे में हुकुम सिंह जी जो जवाब दे रहे थे उससे वह असंतुष्ट थे। कौशल साहब ने यहां पर तमाम भ्रष्टाचार की बातें कहीं थीं सत्तापक्ष में होने के बावजूद भी उनको मजबूरन कहना पड़ा।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री मनोहर लाल–

मैं चाहूंगा कि यह काला प्रस्ताव जो कल आया था उसको वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 3-4 दिन से विधान सभा की कार्यवाही किस प्रकार से ठप है, जिस विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिये लाखों-लाख रुपये खर्च होते हैं। हम जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों को अंजाम देने के लिये और अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश की समस्याओं को रखने के लिये विधान सभा में आते हैं। लेकिन आज हमारे विपक्ष ने इस बात को तय कर लिया है, चाहे लोकदल-ए हो या चाहे क्रांतिकारी मोर्चा हो, कि असली विपक्ष की भूमिका कौन निभाये और अधिक से अधिक कानून और मर्यादा कौन तोड़े। आज संसदीय मर्यादायें और परंपरायें टूटती जा रही हैं। ईमानदारी से देखा जाय तो विरोध पक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन मर्यादाओं की रक्षा करें। इन्होंने इस बात का संकल्प ले रखा है कि हम विधान सभा को किसी प्रकार से चलने नहीं देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार की साजिश की जा रही है कि हम पूरे सत्र को ठप्प करके रखेंगे । हम आपको बताना चाहते हैं कि आज प्रदेश की जनता इस विधान सभा की कार्यवाही नहीं देख पा रही है । आज लोगों को रेडियो और अखबारों के द्वारा ही जानकारी हो पा रही है । मान्यवर, विरोधी पक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो उनका कर्तव्य होना चाहिए उसको वह नहीं निभा रहे हैं और छोटी-छोटी बातों पर संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन सब कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर भी दिखलाया जाए । मान्यवर, जब जनता इन सब घटनाओं को देखेगी, तो ये दुबारा चुनकर नहीं आएंगे । क्या इस बात की गारंटी है कि ये संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे ?

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रजातंत्र मर्यादाओं से चला करता है और प्रजातंत्र में जो तीन प्रणालियां हैं, तीनों ही की अपने में एक सीमित मर्यादा है और एक की सीमा का दूसरे में अतिक्रमण प्रजातंत्र का अभाव पैदा करता है । कल बहुमत के बल पर पुलिस यहां पर बुलाई गई थी । क्या यहां पर मार्शल ने या किसी कर्मचारी ने इस प्रकार की कोई सूचना दी थी कि इन लोगों को बाहर करना, उनके सामर्थ्य के बाहर है ? यदि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिया, तो पुलिस बुलाने का प्रस्ताव करने का क्या औचित्य था ? अगर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तो ऐसा करना प्रजातंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है और शासन पक्ष ने इसका उल्लंघन किया है। वह नपुंसक सरकार इस विधान सभा को बांझ बना कर रख रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी मौजूदगी में ऐसा नहीं होगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपके संरक्षण में तो ऐसा नहीं होगा । मान्यवर, जहां पर हमारा कर्तव्य है कि इस विधान सभा को समुचित रूप से चलने दें, वहीं पर सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह चल सकने के लिए सारे साधन मुहैया करें । यह आवश्यक है। हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, प्रदेश की समस्या है, पानी नहीं बरस रहा है, सूखे की स्थिति पैदा हो गई है, कोआपरेटिव की वसूली जिस बेरहमी से की जा रही है, सरकारी देयों की वसूली जिस निर्ममता से की जा रही है, उन सारे प्रश्नों पर, चुनाव के मुद्दों पर अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो वह हमारा कौन सा हथियार है कि हम सरकार को उसके लिए बाध्य करें कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करे ? अगर ये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो क्या आप इस बात की आजादी देंगे कि विधान सभा में सत्ता पक्ष के लोग पुलिस बुलायेंगे? मैं प्रस्ताव करता हूं कि सत्ता पक्ष अपना यह काला प्रस्ताव कल का वापस लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 300 के अन्तर्गत इसी विषय पर मैंने भी सूचना दिया है । आपके पूर्व माननीय उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि जिन सदस्यों ने सूचना दिया है, उनको भी बोलने का अवसर दिया जाए। यह अव्यवस्था इसीलिए मान्यवर, पैदा हो जाती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दल के तीन नेता बोल चुके हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपके पूर्व माननीय उपाध्यक्ष जी जो व्यवस्था दे चुके हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए यह अव्यवस्था पैदा होती है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे माननीय सदस्य काफी बार बोल चुके हैं । मान्यवर, पिछले दो-तीन दिन के ड्रामे के बारे में काफी चर्चा की गई । मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता को मेरठ जैसे दंगे के ऊपर चर्चा करना चाहिए था । इतने बड़े दंगे को जिसके इलाहाबाद से लेकर सारे प्रदेश में फैलने की संभावना थी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जिस शान्ति के साथ और जिस कड़ाई के साथ उसको कंट्रोल किया है हम चाहते थे कि उस पर चर्चा हो लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों ने महापालिका के चुनाव पर कुछ ज्यादा ही चिन्ता व्यक्त किया है । हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार जनता पार्टी की सरकार में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव ने चुनाव की तिथि निश्चित की थी और चुनाव नहीं कराये थे उस तरह हमारी सरकार झूठे वायदे नहीं करना चाहती । झूठी तिथि नहीं निश्चित करना चाहती । क्या आप चाहते हैं कि उसी प्रकार हमारी सरकार भी झूठी तिथि की घोषणा कर दे । मैं यह पूछना चाहता हूं लोकदल के नेताओं की जो आपसी लड़ाई है, दल के नेता के बारे में जो झगड़ा है और दल के नेता का जो विवाद है उसे आप सदन के बाहर हल करें तो ज्यादा अच्छा होगा । इस तरह से सदन के अन्दर मतभेद लाना और समय बर्बाद करना ठीक नहीं है । श्री मनोहर लाल जी और शतरुद्र प्रकाश जी को हमारे एक नेता श्री वी0 पी0 सिंह के साथ बड़ी हमदर्दी है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर बोलिये । अब आप बैठिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

जितना समय निर्धारित किया गया था उसी में इसको खत्म करना है । अब देखना यह है कि जिन लोगों ने हस्ताक्षर किये थे उनमें कौन रह गया है ।

श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण विपक्ष के साथियों का उत्पीड़न किया जा रहा है । यह दरवाजा बन्द कर दिया गया है । हम लोग पानी पीने नहीं जा पा रहे हैं । सब लोग प्यासे बैठे हैं । कृपा करके यह दरवाजा तो खुलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है ।

श्री काशी सिंह एरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

यह कैसी मशाल ले के चले तिरंगी में आप, कि जो रोशनी थी, वह भी सलामत नहीं रही ।

मान्यवर, सदन को चलाना हमारे सत्ता पक्ष के हाथ की बात है, सरकार के हाथ की बात है और जो कुछ भी हालात पैदा हुए इस सदन में वह वाकई में अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा जो मुख्य कार्य है वह जनता की समस्याओं को यहां पर रखना, उन पर वाद-विवाद करना, तर्क करना और उन पर निर्णय लेना। यह भावना सभी लोगों की थी कि ज्यादा से ज्यादा इस पर विचार-विमर्श हो, लेकिन ऐसे हालात शासन पक्ष की ओर से पैदा किये गये, जिससे उन बातों पर विचार न होकर स्थिति यहां तक पहुंच गयी, मान्यवर इस सम्बन्ध में इसी सदन में और भी कई बार बहस हुई है।

मुझे लगभग ढाई साल होने को आ रहे हैं इस आदरणीय सदन की सदस्यता ग्रहण किये हुए, इसलिए मुझे याद पड़ता है कि यह मुद्दा पुराना है इससे पहले भी नेता सदन ने कई बार घोषणाएं इस संबंध में की हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया है, लेकिन मान्यवर आज आवश्यकता इस बात की है कि यह चुनाव जल्द से जल्द कराये जाने चाहिए, ताकि लोकतंत्र कायम रहे और सारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलें, लेकिन सरकार बराबर इस मुद्दे को टाल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि नियत इस संबंध में ठीक नहीं है और वह आगे भी चुनाव नहीं करायेगी क्योंकि सरकार की छवि दिन पर दिन गिरती जा रही है, इसलिए वह इस मुद्दे से डर रही है और आतंक फैलाकर बात को टालना चाहती है, इसी वजह से उस रोज मा0 नेता सदन ने ऐसा दुर्व्यवहार मा0 विपक्ष के सदस्यों के साथ किया जानबूझकर, जिससे उनको गुस्सा आया और उत्तेजना व्याप्त हो गयी और यह जो गम्भीर परिस्थितयां प्रदेश के अंदर दो-तीन दिन बनी रही, इन सब के जिम्मेदार सत्ता पक्ष है और कल जो सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव आया, सरकार को चाहिए कि वह इसको तुरन्तु वापस ले और जिन मा0 सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, उसे भी समाप्त करे ।

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस सिलसिले में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पिछले दो-तीन दिनों से जो सदन की कार्यवाही अस्त-व्यस्त रही और इस संबंध में विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पर बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए लेकिन स्वयं इनके नेता मा0 मुलायम सिंह जी व अन्य माननीय सदस्योंने कुछ बातों को लेकर "फ्लोर" पर आ बैठे और यह स्थिति उत्पन्न हो गयी । हांलाकि चुनाव स्थानीय निकायों के ब्लाक प्रमुखों के व ग्राम सभाओं के इस सरकार ने बराबर करायें हैं और अब भी यह प्रक्रिया सम्पादित की जाती । लेकिन मा0 मुलायम सिंह जी व अन्य मा0 सदस्यों ने प्रश्नकाल में ही इस मुद्दे को उठाकर आगे आने वाले मेरठ के मामले पर होने वाली चर्चा स्थगित कराकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह सारी उत्तेजना व्याप्त कर दी, जिससे काफी समय सदन का व्यर्थ में नष्ट हुआ और उन्होंने केवल कुर्सी की लोलुपता एवं लाल बत्ती की लड़ाई लड़ने के कारण किया, इसलिए फिर सरकार की ओर से जाहिर सी बात है आदरणीय सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिए मजबूरन यह सब करना पड़ा जबकि सरकार दो दिन तक इन लोगों से अनुरोध ही करती रही कि सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दो और चुनाव अवश्य कराये जायेंगे लेकिन किसी ने कोई बात जब नहीं सुनी तो मजबूरन यह करना पड़ा, इसलिए इन सारी चीजों की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है और इन्हें इस संबंध में माफी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए कि भविष्य मे यह बात फिर सामने नहीं आयेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय आज जो प्रसंग चल रहा है इसका आभास पहले से था । विधान सभा बुलाई गई है इसलिए ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा होगी यह निश्चित था । जैसा हमारे वरिष्ठ नेता मा0 कल्यान सिंह जी ने कहा सदन की गरिमा पर आंच आई है उससे हम लोगों को दु:ख हुआ । हम लोग नये सदस्य हैं । हमको भी दु:ख हुआ । आज प्रान्त में भयानक स्थिति है, मेरठ में साम्प्रदायिक भावना पर कुठाराघात हुआ, प्रान्त में लोग प्यासे हैं बिजली पानी नहीं मिल रहा है, किसानों का गेहूं घरों में सड़ रहा है ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर अपनी बात करनी चाहिए थी । यह कुछ नहीं हुआ । शासन की ओर से दूसरी स्थिति उपस्थित कर दी गई जैसा कि पहले से हमें आशा थी कि ऐसी स्थिति आयेगी । जैसा कि शासन दल के सदस्यों मा0 सदस्यों ने कहा यह तो झगड़ा दो दलों का है । अध्यक्ष जी यह मामला 4 महीने से चल रहा पहले से इसको लटकाये थे । इसी समय बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा करनी थी । जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में बाहर राज्य है बटालियन का और अन्दर राज्य है इटालियन का । इसी प्रकार लखनऊ में बाहर है पुलिस बल का तथा सदन में राज्य है कूटनीतिक दल का। शासन द्वारा संसदीय परम्पराओं को जानबूझकर समाप्त करने की पूरी कोशिश हुई है। किन्तु पुलिस बल की उपस्थिति किसी भी तरह मान्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें । आपने कहा था कि कोई नई सूचना के साथ बात करेंगे । वह आ गयी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि नगर महालिका अधिनियम, तथा शहरी भूमि विकास अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विधायकगण पदेन सदस्य होते हैं किन्तु हम लोगों की राय विकास कार्यों में पदेन सदस्य के नाते कभी नहीं ली गयी। मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है। यह जनतांत्रिक संस्थाओं पर कुठाराघात है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया । समय की सीमा में रहें । मैंने दूसरे को बुला लिया है ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज सदन के चलने में अव्यवस्था है। मैंने इस विषय पर नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। जब उपाध्यक्ष महोदय आये, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की आपत्ति उठाई। हमने नियम 300 के अन्तर्गत घोषित किया है। उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि जिन्होंने नियम 311 में नोटिस दी है उन्हें इस विषय पर चर्चा का मौका दिया जायेगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था उपाध्यक्ष महोदय ने दी थी।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हैं इसलिए मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं। लोकतंत्र के भीतर मान्यवर, संसदीय लोकतंत्र भारत की संसद, भारत की विधान सभा तीनों में सर्वोच्च है। मान्यवर, जब संसद के भीतर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब विधान सभा के भीतर, संसद के भीतर पुलिस का प्रवेश हो तो यह बात साबित करती है कि देश की संसदीय व्यवस्था कमजोर हो गयी है। संसदीय व्यवस्था में अराजकता पैदा हो गयी है। यह सारे देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। जब संसदीय व्यवस्था में अराजकता पैदा हो जायगी तो संसदीय व्यवस्था से लोगों का विश्वास हट जायगा। संसदीय व्यवस्था समझौतों और मान्यताओं पर चलती है। जब संसद और विधान सभा के भीतर मर्यादाएं टूटती हैं तो यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि यहां पर जो घटनाएं घटीं इनके पीछे कारण क्या थे। आज समस्याओं की ओर गहराई से न जाकर सरकार उनकी उपेक्षा करना चाहती है। मुझे आज भी अफसोस है कि विधान सभा चल नहीं पायी। मेरा निवेदन है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री को तिथि की घोषणा करनी चाहिए कि कब चुनाव होंगे। यदि तारीख की घोषणा नहीं की जाती तो उस सरकार के रहने का कोई औचित्य नहीं रहता।

श्री उपाध्यक्ष–

शाही जी, अब आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, जिस समय सुबह यह बात हुई थी, उस समय तय हुआ था कि इसके लिए थोड़ा समय रहेगा, लेकिन आपकी उदारता से इस पर काफी चर्चा हुई और मुझे इस बात का संतोष है कि अनेक सम्मानित सदस्यों ने, नेता विरोधी दल से लेकर चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, सत्य प्रकाश जी रहे हों या डा0 कौशल जी रहे हों, सबने दलगत राजनीति से हटकर जो बात कही उसमें सबने एक ही बात पर सहमति प्रकट की कि सदन व्यवस्थित रूप से चले। मान्यवर, सन् 1974 में पहली बार जब मैं इस सदन में आया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी यहां तशरीफ रखते थे, उस समय आपको याद होगा कि विरोधी दल के लोगों की संख्या दो सौ से ऊपर थी और यहां तक वे लोग बैठते थे, एक बार मा0 बहुगुणा जी ने खड़े होकर कुछ कहना शुरू किया कि चौधरी साहब जो ज्यादातर नजर झुका कर बैठते थे, ने सिर्फ एक बार पीछे की ओर देखा कि सन्नाटा छा गया। वह मूल्य जो थे, वह परम्पराएं जो थीं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह मान्यवर, इस सदन में है। इससे पहले और ज्यादा थीं, मुझे तब तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, उसमें चाहे गलती हमारी रही हो और चाहे आपकी रही हो, परन्तु माननीय फजलुल बारी साहब ऐसे लोगों में से हैं, जिनका दर्जा काफी ऊंचा है, जिनसे कभी गलती नहीं होती, फजलुल बारी साहब का शुमार ऐसे ही लोगों में है। गलती तो हम लोग करते हैं, जो इन्सान हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं।

यह तो सब चीजों से ऊंचे हैं। मान्यवर, सदन में किस तरह से कार्य हो रहा है, इसे जनता भी देख रही है। मान्यवर, सदन में किस तरह से कार्य हो रहा है, इसे 12 करोड़ लोगों की बाहर 24 करोड़ आंखें देख रही हैं। मान्यवर, साढ़े चार हजार रुपया प्रति मिनट इस सदन का खर्चा है। अब घंटे पर कितना होता है। करीब तीन लाख सत्तर हजार रु0 प्रति घंटे हम जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च कर रहे हैं। जनता ने चुनकर आप सबको क्यों भेजा, इस वजह से कि असेम्बली के अन्दर उनकी समस्यायें कहें, आवश्यक मुद्दे उठायें। जिस काम के लिए चुनकर यहां भेजा, वह काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, जो बातें कही गयी, जो मुद्दे उठाये गये, उन मुद्दों के महत्व से मुझे कोई इन्कार नहीं है। स्थानीय निकायों के चुनाव की बात कही गयी। माननीय कल्याण सिंह जी ने इस संबंध में कहा, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सम्मानित सदस्यों से कि जो कुछ धरना और तमाम चीजें यहां हुई हैं, क्या उसके पीछे केवल स्थानीय निकायों के चुनाव का मुद्दा था? क्या जनता की भलाई के मुद्दे थे? इसका जिक्र छेड़ा जायेगा, मान्यवर जैसे किसी उर्दू के शायर ने कहा है–

"जिक्र छिड़ गया जो कयामत का,
बात पहुंची तेरी जवानी तक।

तो बात जवानी तक पहुंचेगी। बात वहां तक पहुंचेगी, जहां से यह जिक्र हुआ।

श्री किरन पाल सिंह–
खुलासा कर दें।

श्री अम्मार रिजवी–
बतायें उसे जो न समझे।

मान्यवर, मैं कोई बात सफाई में पेश नहीं करना चाहता हूं। कोई बात यह नहीं कहना चाहता हूं कि किसने गल्ती की। हम दोनों पक्षों का यह दायित्व है कि सुव्यवस्थित रूप से विधान सभा को चलायें। क्या इस छत के नीचे पुलिस का आना गलती है ? तो क्या ताश खेलना भी ठीक है ? इस तरह की बातें हों कि यह रिक्रीयेशन रूम हो जाये? क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

श्री सूर्य प्रताप शाही–
मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय सदस्यों एवं माननीय सदन के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, यह आरोप अत्यन्त ही गम्भीर हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। अगर किसी ने ताश खेली है तो उसको ही कहना चाहिए। जिसमें उसमें भाग नहीं लिया, जो यहां कल रात को नहीं मौजूद था, उसे कुछ नहीं कहना चाहिए ।

श्री फजलुल बारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं, वह बतायें उन्होंने किसी को ताश खेलते हुए देखा?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह अत्यन्त आपत्तिजनक आरोप है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, ताश खेलने वाला और देखने वाला–दोनों जिम्मेदार हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी गल्ती मानते हैं। आपकी बात सही कि देखने वाला और खेलने वाला दोनों दोषी हम अपनी गल्ती मानते हैं। हम अपने को मुल्जिम मानते हैं। लेकिन, जिन्होंने ताश खेला, उनसे भी कहलवा दीजिये जरा।

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि निष्कासन जो हुआ है, वह गलत हुआ है। उन्होंने नियमावली का हवाला दिया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कृपया इसका पृष्ठ संख्या 106 देखें। माननीय गुप्ता जी को तो नियम जुबानी याद है, मुझे जुबानी याद नहीं है। "ख" के बाद देखें। "परन्तु निलम्बन की कोई कालावधि किसी अवस्था में भी सत्र की अवशिष्ट कालावधि से अधिक नहीं होगी।"

जिन प्रस्तावों का उन्होंने जिक्र किया, वह सामान्य स्थिति में प्रस्ताव किये जाते हैं। अगर किसी सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया गया तो मान्यवर, 3 दिन उसके बाद 7 दिन के लिए लेकिन जब आप उसके अन्दर समय निर्धारित कर देंगे, जैसे माननीय श्री मैनेजर सिंह श्री रघुवर प्रसाद वर्मा व श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के लिए जब प्रस्ताव लाया गया तो उसमें कहा गया केवल 1 दिन के लिए, अगर केवल यह कह दिया जाता कि सेवा से निलम्बित किया जाता है तो परसों तक का भत्ता इनको नहीं मिलता। नियमावली में यह भी कहा गया है कि आप सत्र से ज्यादा अवधि के लिए निलम्बित नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें आने वाले सत्र तक के लिए निलम्बित नहीं कर सकते हैं। जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने प्रिसाईडिंग आफिसर्स की बात कही और जो अन्य बातें कहीं, मैं उनकी भावना से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि जहां तक सामान्य स्थिति हो वहां तक काम चलाना चाहिए किसी भी ऐसी स्थिति तक जब तक कि स्थिति बिल्कुल कन्ट्रोल से बाहर न हो जाय तब तक पुलिस को नहीं आना चाहिए। कल जो स्थिति थी और जिस वजह से प्रस्ताव लाया गया, वैसे भी प्रस्ताव की भाषा आप देखें, उसमें कहा गया "यदि आवश्यकता समझें"। उसके बाद डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल जी ने कहा । मान्यवर, कुछ बात ऐसी पड़ी कि "खूं दिल हो गया दिल भी खूब, आंखू में लहू रोने को वह अरमा तो नहीं है।" मान्यवर, जिस वक्त वह प्रस्ताव आया, उसे बहुत ही रोते हुए दिल से यहां पर लाना पड़ा और रोते हुए दिल से उनका निलम्बन करना पड़ा और रोते हुए दिल के साथ अध्यक्ष को अधिकार दिया

गया। 3 दिन से कार्यवाही नहीं चल रही थी, अध्यक्ष पीठ से मार्शल को आदेश दिया गया, माननीय सदस्य का निलम्बन करने के बाद भी वह फिर हाउस में आकर बैठ गये, उसके बाद क्या चारा रह जाता। मेरठ के मामले पर चर्चा नहीं हो पाई, गेहूं का मामला नहीं उठा सका, पत्रकारों के साथ क्या ज्यादती हुई, उसका मामला नहीं उठ सका, प्रदेश की कई अन्य जनरल समस्यायें थीं, उठ नहीं सकीं, क्या इसीलिए जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है। यही कहते रहे कि हम सदन को चलने नहीं देंगे। क्या जनता के जनप्रतिनिधि को यह कहने का अख्तियार है, क्या इसीलिए हम यहां पर चुनकर आये हैं। बेल पर जाकर सदन को न चलने देना क्या कन्टेम्पट आफ हाउस नहीं है, क्या इस प्रकार करना जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं है, इसका फैसला मान्यवर, आपको करना होगा। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कल्यान सिंह व श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि प्रस्ताव को वापस लें, हम प्रस्ताव वापस ले लेंगे, लेकिन जिनकी वजह से यह प्रस्ताव लाया गया, उन्हें यहां पर खेद प्रकट करना चाहिए। हम सबको यह तय करना चाहिए कि कम से कम ऐसा वातावरण तैयार करें, भले ही हम सरकार की कितनी आलोचना करें, संसदीय प्रणाली के अन्दर हमें उसे सुनना चाहिए और विपक्ष को सरकार का उत्तर। यह सही है कि हमारे सभी उत्तरों से विपक्ष सन्तुष्ट न हो।

स्थानीय निकायों की बात आई। माननीय श्री कल्यान सिंह जी से भी इस पर काफी बात हुई, माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी भी वहां मौजूद थे, माननीय श्री मैनेजर सिंह जी भी मौजूद थे, साफ-साफ बात कही गई कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा, हम हर सूरत में उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे और वह मान्य होगा। लेकिन उन्हें हमने बता दिया था कि हाईकोर्ट के निर्णय की बात जो हम करते हैं तो रिवीजन की दरखास्त आपकी बात से पहले की गई है, इसे हम छिपाना नहीं चाहते हैं। आज कोई घोषणा कर दें और जब सदन उठ जाय तो कहें कि ऐसी परिस्थितियां हो गयी थीं कि चुनाव नहीं करा सके, तो क्या यह उचित होगा? चाहे जिला परिषद् हो, म्युनिसिपल बोर्ड हो या टाउन एरिया हो, उनके चुनाव के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। उसमें कोई ढिले नहीं की जायगी, लेकिन इसके साथ-साथ जो वैधानिक कठिनाइयां हैं, उन्हें भी देखना होगा। जहां तक लोकल बाडीज के चुनाव का सवाल है, हम कराना चाहते हैं। हमने चुनाव कराये थे, लेकिन हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मा0 राम नरेश यादव जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कलम उन्होंने कहां रखी है, जिससे उन्होंने जनतंत्र का गला घोंटा था और लिखा था कि जिला परिषदों को और म्यूनिसिपल बोर्डस को खत्म कर दिया जाय।

श्री राम नरेश यादव–

आपको तो बधाई देनी चाहिए कि प्रदेश का युवा समुदाय हमेशा जिस बात की मांग करता रहा कि 18 साल की आयु के लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, वह दिलाया गया। आपने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जो एल्डरमैन और दूसरे लोगों की व्यवस्था की थी, उनसे यह कहा था कि जनता के हाथ में दिया जाय। उसमें समय लगा था, इस कारण उसमें विलम्ब हुआ था, दूसरा कोई कारण नहीं था।

श्री अम्मार रिजवी–

मा0 राम नरेश जी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, उनकी बड़ी मेहरबानी रही है। उन्होंने एक बात कही है उसके लिए बधाई लेकिन शिकायत रह जाती है कि वह अधिकार दिया था तो प्रयोग क्यों नहीं किया, 80 तक कराया जा सकता था, लेकिन बात वही है कि फजलुल बारी साहब तो गलती करते नहीं हैं, गलती तो यहीं से होती है। हम सब गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं।

श्री राम नरेश यादव–

एक चीज और जानना चाहता हूं। (व्यवधान) चुनाव तो नहीं हुए लेकिन 1980 से जो बार-बार इस सदन में सरकार की तरफ से घोषणा की जा रही है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायं, यह कब तक करा देंगे, यह बात है, इसकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

उस गलती को तो मान रहे हैं, डिफेण्ड नहीं कर रहे हैं, जो गलती है, वह है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रहीं, लेकिन यह बात है कि चुनाव कराये जायेंगे। मैंने अभी निवेदन किया कि जितने नेतागण हैं, माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठें और तय करें कि कम से कम सदन के "वैल" में, अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाय कि "वैल" में आना जरूरी ही हो तो बात अलग है, नहीं तो हाउस आफ कामन्स और दूसरी जगहों की परम्परायें हैं, उन्हें कायम रखें और सदन के "वैल" में न आयें। दूसरी बात यह है कि जो यहां का स्टाफ है मार्शल हैं, तो हम चाहें 4 हों या 40 हों, वे अगर आ जायं तो 400 को भी निकालना चाहें, तो निकाल सकें भले ही वे स्वयं 5 या 10 की ही संख्या में हों। मार्शल का हमारे सामने खड़े होना ही काफी है, हाउस आफ कामन्स को देखें वहां की जो प्रैक्टिस है, हाथ रख देना तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ऐसा एक वातावरण बनायें। हमारी भी और आपकी भी जो गलती है, उसे स्वीकार करें और इस सदन को सही तरीके से चलने दें। एक बात और कही गयी कि जबरदस्ती यहां से 38 मेम्बर्स को खींचा गया। मैं कहता हूं कि आधी रात तक हम लोग उनसे निवेदन करते रहे और हाथ जोड़ते रहे थे, यहां का स्टाफ भी हाथ जोड़ता रहा, जो काउंसिल हाउस के गार्ड्स हैं जो बेचारे सुबह 8 बजे घर से चल देते हैं यहां ड्यूटी पर आने के लिए क्योंकि किसी-किसी का घर यहां से 10 मील दूर है, वह कल यहां 18, 19 और बीस घण्टे गुजरने के बाद भी ड्यूटी पर बराबर बने रहे उनसे बराबर हाथ जोड़ कर कहा गया कि अब आप जाइये तो जवाब मिलता था कि जाओ दरोगा को लेकर आओ, कांस्टेबिल को लेकर आओ तब हम जायेंगे। क्या मार्शल और सभी यहां के रक्षकगण उनकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं है जितनी कि एक दरोगा या कांस्टेबिल की है?

पुलिस के लिए कहा गया कि यहां से कैसे निकाला जाय, यह माननीय स्पीकर की, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे निवेदन किया कि सदन को व्यवस्थित करें, यदि आप आवश्यक समझें तो बल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 12 बजे रात तक प्रयास किया गया लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। आप सब जानते हैं कि यहां पर मार्शल ने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन बाद में वे अपने आप चले गये। किसी ने किसी को छुआ तक भी नहीं। जो सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए थे उनमें से तो कुछ अपनी मर्जी से गये, इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं।

आइये, हम लोग अब नये अध्याय खोलें, नया वातावरण बनायें। एक बात का अहद करें कि ऐसा वातावरण न बने। यह सही है कि कभी-कभी विरोधी दल के लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ता है, इस बात के लिए उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कभी यहां कोई भी अव्यवस्था ही पैदा न होगी, कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन वह स्थिति 365 दिनों में कभी-कभी ही आ सकती है। पूरे सत्र में सदन चलने पर दो-बार, एक बार ऐसी स्थिति आ सकती है लेकिन रोज-रोज ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। खैर, जो कुछ हुआ, वह हुआ क्योंकि–

"मेरे आशियां तू गम न कर, जो जल रहा है जला करे,
मगर इन हवाओं को रोक दे, ये सवाल सारे चमन का है।"

सदन की परम्परायें हैं, सदन का जो कन्विक्शन है, इस प्रजातंत्र ने एक लम्बा सफर तय किया है, पांच हजार साल पुरानी यह परम्परायें हैं जो कि पंचायती राज से शुरू होकर यहां तक पहुंची हैं। इतना लम्बा सफर तय किया गया है, इसके लिए हम लोगों का फर्ज हो जाता है कि आगे बढ़ें। मैं सफाई देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, सफाई तो उस वक्त देनी होती जब हम अपने को आपसे अलग समझते और सफाई देने खड़े होते, लेकिन यहां एक पक्ष है, जो हमारा पक्ष है, वही जनता का पक्ष है, जनता ने जो हमारे कंधों पर उत्तरदायित्व डाला है, वह देखेगी हम और आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं।

इसके साथ ही मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं नेता विरोधी दल को, रघुवर दयाल वर्मा जी को यद्यपि आज वे इस समय सदन में नहीं हैं, मा0 कल्याण सिंह को, मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी को, वे भी आज सदन में नहीं हैं। राम आसरे वर्मा जी भी थे और आज सवेरे भी थे। इन लोगों ने एक जुट होकर कहा है कि सदन चलना चाहिये और मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और उस प्रस्ताव को जिसको मैं भी सही नहीं मानता हूं, लेकिन जहां कभी जरूरी होता है कि नश्तर लगाया जाये, वहां पर कोई नहीं चाहता है कि चाकू उसकी खाल में भोंक दिया जाये। तो मैं उस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही मधुर शब्दों में अपना पक्ष रखा और उन्होंने सभी सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले। मान्यवर, जिस दिन झगड़े की शुरुवात हुई, उस दिन एक प्रश्न उठाया गया, उस समय नेता सदन का जो व्यवहार था, वह ठीक नहीं था। अगर हमारे सदस्यों ने उनकी बात में इन्टरवेंशन कर दिया, तो उनका जो व्यवहार रहा वह बहुत ही खराब रहा और इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर उनको शोभा नहीं देता है, उन को अपना बड़प्पन लेकर चलना है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जब भी कोई विरोधी पक्ष का सदस्य कोई प्रश्न उठाता है, अथवा जनता की समस्या को किसी नियम के तहत उठाता है, तो इस बात की शिकायत की गयी और संरक्षण की मांग की गयी, कि सरकार उनकी बात का

उत्तर सही और स्पष्ट रूप से नहीं देती है और उत्तर देने में टाल मटोल करती है। गोल माल उत्तर दिया जाता है, तो मान्यवर, इस पर कुछ रोक लगनी चाहिये, गोल माल उत्तर देने पर रोक लगे और अपने पक्ष को सार्थकता के साथ प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे सदस्यों को व्यवधान डालने की स्थिति में न आना पड़े। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ध्यान दें, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वह स्पष्ट घोषणा करें कि स्थानीय निकायों के चुनाव कब कराये जायेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वह एक समिति की घोषणा कर दें। हमारी बात को माननीय कल्यान सिंह जी ने बल दिया था कि नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रजेन्टेशन। सरकारी अधिकारी हम पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगा सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है और यही बात उच्च न्यायालय में भी रखी गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बनारस और इलाहाबाद में जो अतिरिक्त कर लगाये गये हैं, उनकी वसूली को उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, तो क्या संसदीय कार्य मंत्री घोषणा करेंगे कि जब तक नये चुनाव नहीं करा दिये जाते हैं, तब तक नया कर नहीं लगाया जायेगा और कर का पुनर्निर्धारण रोक दिया जायेगा और उसकी वसूली रोक दी जायेगी। . . . .

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थानीय निकायों का चुनाव कराने जा रही है, क्या उनके लिए कोई समय निर्धारित करने जा रही है और न्यायालय ने अपने जो निर्णय दिये हैं कि अतिरिक्त टैक्स जो लगाए गए हैं, उनकी वसूली न की जाए, तो क्या सरकार सदन में घोषणा करेगी कि जब तक चुनाव नहीं कराये जायेंगे और जनता पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए जायेंगे। इतनी घोषणा करने में सरकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय नेता विरोधी दल ने दो प्रश्न उठाये हैं, और एक जो कल्यान सिंह जी ने उठाया है वह कामन है। माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में बात कही गई, तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कह दिया, तो उन्होंने यह कहा कि मैं सभी सदस्यों को आदर करता हूं और उनकी किसी बात से किसी माननीय सदस्य को तकलीफ पहुंची हो तो उन्हें खेद है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात उन्होंने खुद कही थी। मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है कि हमें अफसोस है तो उस बात को दुबारा नहीं उठाया जाता।

जहां तक स्थानीय निकायों और उनके टैक्सेशन की बात है, हमारी नीति है कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन अगर कहीं कोई डेवलपमेंट की बात कहीं पर अनिवार्य हो गई जिससे जनहित में लगाना जरूरी हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में जनहित में कर लगाना आवश्यक है। लेकिन टैक्स लगाने की कोई नीति हमारी इस समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, जल कर और गृह कर लगाया जा रहा है। मैं साफ तौर पर माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस जलकर और गृह कर को 6 महीने रोकने में आपको क्या दिक्कत है?

श्री सत्यपाल सिंह–

जब न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया और इस निर्णय के माध्यम से इलाहाबाद और बनारस में जो आप अतिरिक्त कर लगा रहे हैं उस आधार पर रीवेल्यूयेशन करा रहे हैं उसी तरह से आप पूरे उत्तर प्रदेश में इस निर्णय को क्यों नहीं लागू करते हैं, ताकि यहां की सारी जनता उससे लाभान्वित हो सके। निर्णय भी हो चुका है। जो अतिरिक्त कर आपके ब्यूरोक्रेट्स लगा रहे हैं, उसको न्यायालय ने गलत साबित कर दिया है।

श्री अम्मार रिजवी–

जहां पर न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही हो रही है। हर विभाग की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बात कही, उसका हम परीक्षण करेंगे और उस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 25 जून, 1987 को इस माननीय सदन द्वारा पारित उस प्रस्ताव को निरस्त किया जाय जिसके अधीन माननीय अध्यक्ष को सदन में अपेक्षित पुलिस बल की सहायता लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 25 जून, 1987 को इस माननीय सदन द्वारा पारित उस प्रस्ताव को निरस्त किया जाय जिसके अधीन माननीय अध्यक्ष को सदन में अपेक्षित पुलिस बल की सहायता लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ग्राम अजीटन खेड़ा, काकोरी, लखनऊ के निवासी श्री बनवारी लाल यादव के भाई तथा चाचा की हत्या किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से दो सूचनाएं श्री अमिताभ अनिल दुबे और श्री सूर्य प्रताप शाही की नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री हृदय नारायन दीक्षित निलम्बित किए गए हैं, इसलिए ये चार सूचनाएं अस्वीकृत की गई हैं। शेष श्री मनोहर लाल, श्री गोपाल दास यादव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री बदन सिंह की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं।

श्री मनोहर लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

जनपद लखनऊ के थाना काकोरी के अन्तर्गत ग्राम अजीटन खेड़ा निवासी श्री बनवारी लाल यादव भू0 पू0 सैनिक हैं, के एक भाई तथा चाचा को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस तथा जिला प्रशासन से बराबर मांग करता रहा कि मामले की जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, इसलिए अभियुक्त श्री यादव को भी जान से मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। अपनी सुरक्षा की मांग जिला

नोट–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासन से एवं शासन से कर रहे हैं लेकिन आज तक इनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। यही नहीं क्षेत्रीय पुलिस ने इनको अभियुक्तों के इशारे पर झूठे, डकैती जैसे संगीन अपराधों में उल्टे फंसा भी दिया है जिससे इनको और भी खतरा पैदा हो गया है। । यहां तक कि जिले की पुलिस इनका इन्काउण्टर कराना चाहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनके मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर दोषी अभियुक्तों एवं पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार तुरन्त कराने की कृपा करे।]

थाना हथगांव, फतेहपुर की पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल दास यादव–

[मान्यवर, फतेहपुर जनपद के ग्राम पट्टीशाह थाना हथगांव में पुलिस के उत्पीड़न से हजारों निर्दोष ग्रामवासी परेशान किये जा रहे हैं। पिछले दिनों अप्रैल के महीने से आज तक सैकड़ों लोकदल के कार्यकर्ता पुलिस जुल्म के शिकार हो गए हैं। श्री मजहर हैदर नकवी जो लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पिछले दिनों अप्रैल के महीने में माननीय नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव के स्वागत के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, इसी बीच हथगांव थाने के थानाध्यक्ष श्री श्रीपाल की साजिश से असामाजिक तत्वों को भेजकर बैठक में हंगामा तथा गड़बड़ी कराई और एक अराजक व्यक्ति श्री नूर अहमद निवासी पट्टीशाह द्वारा श्री मोती सिंह लोकदल कार्यकर्ता की हत्या करा दी। यही नहीं लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता श्री मजहर हैदर नकवी को झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया। आज भी उक्त थानाध्यक्ष का आतंक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है, और क्षेत्र का जनमानस भयभीत और आतंकित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष, श्री श्रीपाल सिंह के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से संबंधित सदन में चर्चा की मांग करता हूं।]

नगरपालिका सीतापुर में पेयजल संकट एवं पेयजल व्यवस्था के उच्चीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, नगरपालिका सीतापुर में स्थायी पेयजल संकट से त्राहि-त्राहि मची है। जनता एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रही है। नियमानुसार प्रत्येक नागरिक को 200 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध होना है। एक लाख तीन हजार आबादी के नगर में प्रतिदिन पानी की न्यूनतम आवश्यकता 20 लाख 60 हजार लीटर है। परन्तु जानकर आश्चर्य होगा कि वाटर वर्क्स पूरी क्षमता पर 24 घन्टे चले तो 9 लाख लीटर से अधिक पानी उपलब्ध नहीं कर सकता। बिजली आपूर्ति अव्यवस्था तथा तकनीकी गड़बड़ियों से औसत पानी प्रतिदिन मात्र 4 लाख लीटर उपलब्ध है। जो कुल जरूरत का 20 प्रतिशत से भी कम है। पानी प्रेशर कम होने से मुंशीगंज, बरगदहा, तामसेनगंज, कोट, नई बस्ती आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी दूसरी मंजिल पर पहुंचता ही नहीं है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी, पीलीभीत, बहराइच जलकलों की तुलना में यहां कनेक्शनों राजस्व प्राप्त नलकूपों तथा जलकलों के उप प्रतिष्ठानों की संख्या अधिक होने के बावजूद जलकल सीतापुर को उच्चीकृत नहीं किया गया ।

अतएव हमारी मांग है कि सीतापुर जलकल उच्चीकृत किया जाय तथा क्षमता बढ़ाकर ऐसी व्यवस्था तत्काल की जाय कि जनता को 200 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध हो सके ।]

आगरा में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा कटौती से जनमानस में आक्रोश एवं असंतोष होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, गत एक महीने से आगरा में विद्युत संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है । कई बार लगातार तीन-तीन दिन तक नगर के अनेक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठप्प होती रही है । 48 डिग्री तक पहुंची प्रचंड गर्मी और झुलसा देने वाली लू के बीच अस्पतालों में पड़े मरीजों की दशा अति दयनीय हो रही है । उद्योग धन्धे चौपट हो रहे हैं, घरों में महिलायें परेशान हैं और जनता में तीव्र असन्तोष है ।

क्षुब्ध नागरिकों ने कई दिन तक अनेक स्थानों पर घन्टों तक रास्ता जाम करके अपना रोष प्रकट किया है । स्थिति यहां तक पहुंची कि क्षेत्रीय सांसद के निवास पर हताश जनता ने घिराव करके उनकी अर्थी जलाई। इस पर स्थानीय अधिकारियों से लेकर लखनऊ स्थित वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्री स्तर तक अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है । विद्युत की इस दुर्व्यवस्था का दुष्प्रभाव जलापूर्ति पर भी हो रहा है । जिससे लोग प्यासे तड़प रहे हैं ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि वह इस मामले में अविलम्ब प्रभावकारी कार्यवाही करे ।]

तहसील किरावली, आगरा के सैकड़ों ग्रामों में पेयजल संकट होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा के तहसील किरावली में स्थित कोरई, जाजऊ मण्डी मिर्जा खां, लौलेंडा, खामडा, बराबई सिकरोवा, बेमन, जेंगारा सींगना, अशू, मंड़ा, रायबा, बचोरा, व्यारा, अरदाया, रुनकता खमूंज आदि ग्रामों में पेयजल योजनायें बंद पड़ी हैं और उनमें सम्मिलित लगभग 100 ग्राम प्यासे मर रहे हैं । तहसील में पेयजल आपूर्ति के लिये दूसरी व्यवस्था लगभग 30-40 ग्रामों में हैण्ड पम्पों द्वारा की गयी । वे सब खराब पड़े हैं । इसके अतिरिक्त 15000 की आबादी की टाउन एरिया किरावली में भी खारे पानी के लगे हुये हैण्ड पम्प सब के सब खराब हैं । जिस तरह से तहसील किरावली के सौ सवा सौ गांवों में भयंकर पेयजल संकट पैदा हो गया है । दो-दो तीन-तीन दिन तक पानी निचुड़-निचुड़ कर जब इकठ्ठा हो जाता है तो इस धूल और मिट्टी मिले पानी से ही जनता प्यास बुझाती है । कुंवों का जलस्तर बहुत नीचे उतर गया है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पेयजल आपूर्ति की ऐसी भयावह स्थिति गत सौ वर्षों से देखने को नहीं मिली है। जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है और जिला प्रशासन इस भयावह स्थिति को मूक बनकर देख रहा है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन के संज्ञान में लाकर पेयजल संकट की भयंकर स्थिति को दूर करने की मांग शासन से करता हूं।]

जिला झांसी की गुरसराय (झांसी) में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने विषयक याचिका

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिला झांसी की गुरसराय (झांसी) में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने विषयक सर्वश्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव, बृज किशोर व्यास, प्रभात सक्सेना, निवासीगण गुरसराय (झांसी) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला झांसी की गरौठा तहसील केन्द्र पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने विषयक याचिका

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जिला झांसी की गरौठा तहसील केन्द्र पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने विषयक सर्वश्री राजेन्द्र सिन्हा, एडवोकेट, रामगोपाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, राजेन्द्र शर्मा, एडवोकेट, निवासीगण गरौठा (झांसी), द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना माननीय बेनी प्रसाद वर्मा के सम्बन्ध में दी है जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के निर्णयों की अवहेलना की है।

श्री उपाध्यक्ष–

वह मुझे प्राप्त हो गया है उसका परीक्षण हो रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों की सूचना का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1986 में प्रस्तावित संशोधनों की सूचना सदन को देता हूं जो इस प्रकार है :—तो प्रश्न यह है कि

[1–नियमावली के संक्षिप्त नाम में वर्ष "1986" के स्थान पर वर्ष "1987" रख दिया जाय।

(नत्थी (घ) पर छपे शेष 3 संशोधन पढ़े हुए मान लिये जायं?)

(सदन की अनुमति से संशोधन पढ़े हुए माने गये)

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–नियम 3 के उपनियम (1) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"3(1) (ख) ऐसे विधान दल के उस प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पदनाम जो इस दल का नेता चुना गया है, या जिसे नियम 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ ऐसे नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है"

3–नियम 4 (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपखण्ड" के स्थान पर शब्द "खण्ड" रख दिया जाय ।

4–नियमावली के प्रपत्र 3 के आरम्भ में "(देखिये नियम 5)" के स्थान पर "(देखिये नियम 5(1) और 5(2)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 26-6-87 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं–

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जो पिछले दिन दी थी जिसको आगे लेने की बात हुई थी उनका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो निरस्त हो गयी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

23 ता0 को तय हुआ था आगे ली जायेंगी?

श्री उपाध्यक्ष–

वह सब अस्वीकार कर दी गयी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो सूचनायें उस दिन दी थीं उसके लिये कार्य मंत्रणा में निश्चय कर आगे ले लिया जाय । तो क्या उन पर कल आपने निर्णय ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कल उनको अस्वीकार कर दिया गया था।

मैं आज की सूचना बता रहा था—

श्री किरनपाल सिंह की प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों से गेहूँ की खरीद बन्द । श्री रघुवर दयाल वर्मा की सूचना भी इसी में थी वह सदन में नहीं हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की पत्रकारों का उत्पीड़न वह भी सदन में नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व डा0 दिनेश जौहरी की प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न ।

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री फजलुल बारी की प्रदेश के 26 जनपदों में निषेधाज्ञा लागू किया जाना ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी की गोरखपुर जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के टोला रघुभगत में पुलिस अत्याचार ।

श्री सूर्य प्रताप शाही की कसिया, जनपद देवरिया में सुन्दरीकरण के नाम पर मकानों आदि का गिराया जाना ।

श्री अवधेश प्रसाद की प्रदेश में सूखे के कारण पेय जल की समस्या ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की बस्ती जनपद में सूखे से प्रभावित किसानों से सरकारी देयों की वसूली रोकने के सम्बन्ध में ।

श्री मनोहर लाल की जनपद उन्नाव में बीड़ी व्यवसायी की हत्या एवं लूट के सम्बन्ध में ।

*श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने एक गम्भीर समस्या खड़ी हुई है जिसकी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं है उसके सम्बन्ध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से गेहूं बहुत बड़ी तादात में पैदा किया दुर्भाग्य से जब वह खेत से कट कर खलिहान में आया तो बेमौसम की बारिश से गेहूं भीग गया। उसका बहाना लेकर इस सरकार ने किसान के गेहूं को नहीं खरीदा जिसका नतीजा आज यह है कि किसान मंडियों में गेहूं व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेच रहा है और व्यापारी उसे लूट रहे हैं। सरकार के घोषित मूल्य से 50 और 40 रुपया प्रति क्विंटल कम दाम उसे आज मिल रहा है। जिसके कारण मान्यवर, किसानों की गेहूं की जो लागत आयी थी उसका दाम उनको नहीं मिल पा रहा है। न तो सरकार ने इस गेहूं का कोई केमिकल परीक्षण कराया है और बिना कारण के गेहूं की खरीद बंद कर दिया है। केवल भौतिक, रंग में परिवर्तन आया है किन्तु रसायनिक परिवर्तन नहीं आया है, इसलिये जानकर ताजुब होगा कि सरकार ने कम भीगा गेहूं नहीं खरीदा है जिसको हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने यहां से ज्यादा भीगा गेहूं क्रय किया है और बोनस भी दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब खाद्यान्न का अभाव था तो संकल्प लिया था कि देश को हम खाद्यान्न में स्वावलम्बी बनायेंगे लेकिन उस घोषणा के साथ सरकार ने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है जो अनुचित है। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि गेहूं जो किसानों के घरों में भरा है और बरसात में जो सड़ जायेगा इसलिये सरकार किसान के गेहूं को तुरन्त खरीदना शुरू करे और किसान की गाढ़ी कमाई के साथ सरकार खिलवाड़ न करे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मेरा भी नाम था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम नहीं है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, श्री किरनपाल सिंह ने नियम 56 में यह समस्या उठायी है, यह समस्या वास्तव में एक जिले की नहीं है बल्कि सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह समस्या है। एक तरफ तो सरकार वाहवाही लूटने के लिये कि हमने इतना उत्पादन किया है, आंकड़े बढ़ाती जा रही है और जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो वह गेहूं जो थोड़ा भीग गया है जिसके गुण में परिवर्तन नहीं है, खाने योग्य है किन्तु किसानों के सामने समस्या है जिसके कारण उसे दुकानदारों को 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिये इस गम्भीरता को सरकार समझने की कोशिश करे और मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि इस गेहूं की खरीद के लिये सरकार तुरन्त व्यवस्था करे।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्या सम्मानित नेता विरोधी पक्ष, श्री किरनपाल सिंह एवं अन्य सदस्यों ने बताई है, तो यह समस्या कई जनपदों में है, यह सही है कि किसान का गेहूं भीगा और उसके बाद उसे बेचने की समस्या उसके सामने पैदा हुई। मान्यवर, जहां तक सरकार ने जो उपाय किये हैं उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं की कोई खरीद या कोई भंडारण नहीं करती है वरन् उसे समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत क्रय करती है और उसके बाद उसे एफ0 सी0 आई0 को हस्तानान्तरित कर देती है। तो गेहूं का वहीं से पैसा मिलता है और वहीं वह क्रय किया जा रहा है। गेहूं के जो मानक थे उनके अनुरूप गेहूं नहीं पाया गया जिसके कारण केन्द्र सरकार का जो एफ0 सी0 आई0 है उसने उस गेहूं को लेने से मना कर दिया। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से प्रयास जारी रखा गया था कि एफ0 सी0 आई0 गेहूं ले सके लेकिन उन्होंने कहा कि जहां किसान के हित की बात है वहीं उपभोक्ता के हितों की भी बात है और इसलिये उनको हम भीगा गेहूं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अनुसार प्रतिबन्ध है कि आप अधोमानक गेहूं का आटा बनाकर नहीं दे सकते हैं। इस प्रतिबन्ध को देखते हुए हमने परचेज टैक्स और मण्डी शुल्क माफ किया और सुनिश्चित किया कि फ्लोर मिल के मालिक सीधे जाकर अधिकारियों की देखरेख में गेहूं का क्रय शुरू कर दें जिसका रेट 160 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ताकि जाकर वह गेहूं का क्रय कर सकें। इस वर्ष 5996 क्रय केन्द्र रखे गये थे, लेकिन केन्द्र सरकार ने जो प्रतिबन्ध हटा लिया था कि गेहूं कहीं पर भी जाकर बेचा जा सकता है, वे इसलिए हटाए गये हैं। जनपद बुलन्दशहर की तो मेरे पास सूचना है, वहां पर भीगा हुआ गेहूं क्रय किया जा रहा है और दूसरे जनपदों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री किरनपाल सिंह–

जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वह सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी बुलन्दशहर का ज्ञान होगा कि गेहूं की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालिक से इसके लिए कहा गया था किन्तु उन्होंने भी इन्कार कर दिया है। तो अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे खरीदे। जब पंजाब प्रदेश सरकार और दूसरे प्रदेश सरकारों ने अपने-अपने यहां खरीदा है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं खरीदती है। अतः हमारी मांग है कि तुरन्त इसकी व्यवस्था की जाए। उसमें कोई रसायनिक परिवर्तन नहीं आया है, केवल मामूली रंग में परिवर्तन आया है, तो आपको उसे खरीदने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष–

गेहूं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है. . . .

श्री हुकुम सिंह–

यह समस्या है तो, तमाम देश के लिए और प्रदेश के लिए तथा साथ ही विदेशों को भी गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। जो गेहूं भीग गया, उसका क्या उपयोग किया जाए, इसकी समस्या हमारी सरकार के सामने भी है। लेकिन हम गेहूं का कोई क्रय या उसका भंडारण नहीं करते हैं। यह इस वर्ष कठिनाई विशेष रूप से आयी है और इसीलिए प्रदेश सरकार ने अपने खजाने पर भार डालकर 160 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष–

कहीं खरीदारी हो नहीं रही है। आप इसमें तमाम सम्बन्धित जानकारी करके इस पर एक स्टेटमेंट दे दें।

श्री विजय सिंह राणा–

इनके फ्लोर मिल रेता मिलाकर बेच सकेंगे, लेकिन. . . .

श्री हुकुम सिंह–

फ्लोर मिल हमारे नहीं, राणा जी के ही हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किसी भी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके लिये यह आवश्यक है और उनसे यह आशा भी की जाती है कि वह निर्भीकतापूर्वक समाचारों का संकलन और प्रकाशन करें। लेकिन आज हमारे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत है, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा उनके महत्वपूर्ण और पुनीत कार्यों पर भारी बाधा उत्पन्न की जा रही है, यह लोग बड़े पैमाने पर इन पर अत्याचार और इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उनका मात्र इतना गुनाह होता है कि वह पद और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों का पर्दाफाश कर देते हैं। इसीलिए प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनका भारी उत्पीड़न जारी है और दिनों दिन उनमें वृद्धि ही होती जा रही है। अभी इसी 7 तारीख को उरई में राधेश्याम दातरे नामक पत्रकार को पुलिस द्वारा पकड़कर हवालात ले जाया गया। वहां उसे दिल का भारी दौरा पड़ा। पत्रकारों ने इसकी सूचना मुख्य मंत्री को दी और मामले की शिकायत की तो पुलिस के यहां से आदेश गया कि उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन उनके इस आदेश के बावजूद भी उनको रिलीज नहीं किया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी ने तो अस्पताल में जाकर श्री दातरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जमानत ले ली, परन्तु पुलिस अपने हथकण्डों से बाज नहीं आयी और उन्हें एक दूसरे फर्जी मामले में उसी शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका अपराध क्या था? अपराध यह था कि एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 की बीबियों ने खुले बाजार में साड़ियां आदि सामान खरीदे थे लेकिन जब व्यापारी उनसे पैसे मांगने जाते थे तो उनको पैसा देने के बजाए उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले का पर्दाफाश उन्होंने किया इसलिए उनका बेशर्मी से उत्पीड़न किया जा रहा है। इनके अलावा भी अनेक पत्रकार उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। जैसे जालौन के ही श्री अयोध्या प्रसाद कुमुद और नागरपाल तरसोतिया आदि हैं। उन अधिकारियों का बदला लेने के लिए ही उनके साथ इतने जघन्य कार्य किये गये हैं।

समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण तो न जाने कितने हैं। उरई के दो पत्रकारों, हमीरपुर के महेश अवस्थी, बांदा के अनेक पत्रकारों पर फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं। 30 रुपये की डकैती में 40 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मुकदमों को वापस किया जायगा लेकिन मुकदमें विचाराधीन हैं। सहारनपुर के दो पत्रकारों को रासुका में बंद किया गया गया। सरकार द्वारा छोड़ने का आश्वासन दिया गया लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। इसी तरह से बहराइच के नित्यानंद तिवारी, बस्ती के मजहर इमाम तथा श्री जायसवाल और श्री गुप्ता और मेरे जनपद सीतापुर के अरुण मिश्र को सत्तारूढ़ दल के एक पदाधिकारी ने असामाजिक तत्वों से पिटवाया। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि पत्रकारों में और प्रदेश की जनता में और हम सब लोगों में असंतोष है। पत्रकारों ने अपना असंतोष प्रकट करने के लिये 18 तारीख को, पहले दिन जब सदन आहूत होकर बैठा था तो इस सदन का बहिष्कार किया। पत्रकारों की मांगों से हम सहमत हैं लेकिन सरकार उनको मान नहीं रही है। पत्रकार लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज उजागर हो, पत्रकार जनता की आवाज को उठाकर समाचार-पत्रों की जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो सकें और सरकार को निर्णय लेने में आसानी हो। इसलिये पत्रकारों को पूरी आजादी से काम करने के लिए उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिये। जितने भी फर्जी मामले उन पर चल रहे हैं उनकी जांच करायें और उनके ऊपर चलने वाले मुकदमें वापस होने चाहिये। उनको यह विशेषाधिकार देने की जरूरत है कि किसी भी पत्रकार को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक प्रशासन की पूर्व अनुमति न ले ली जाय। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। उनका नाम भी वीर बहादुर सिंह है। जब नये मुख्य मंत्री हुए तो खूब कर्मचारियों पर अनुशासन की कार्यवाही किया करते थे लेकिन आज बिल्कुल प्रभावहीन हो गये हैं। नौकरशाही ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है। मेरी जानकारी है कि उरई के जिलाधिकारी का स्थानान्तरण होने के बावजूद भी वह 2 दिन पहले उरई में थे। आपने पत्रकारों से वादा किया था कि एस0 पी0 को हटा दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से सुबूत के पर लगे हैं उनके अन्दर आपके निर्देश देने के बाद भी राधे श्याम दांतरे को दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि एस0 पी0 का ट्रांसफर किया गया या नहीं। अगर ट्रांसफर नहीं किया गया है तो आपकी नीयत

सही नहीं है आपके कहने और सोचने में फर्क है या फिर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी निरंकुश होकर आपके हाथों से बाहर हो गयी है। पूरे प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है जिससे उनमें असंतोष है। कल आपने पुलिस वाला प्रस्ताव पास किया। यह ऐसे काम हैं जो आपकी गद्दी को समाप्त कर देंगे। यह गम्भीर मामला है। कार्यस्थगन प्रस्ताव हमारा बहुत महत्वपूर्ण आयुध है जिसको सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी समझा जाता है। पत्रकारों के प्रदेश व्यापी उत्पीड़न के खिलाफ नगर-नगर और जिलों-जिलों में धरने हो रहे हैं और प्रस्ताव पास हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करायें। हो सकता है कि आपकी कृपा हो जाय और आप वक्तव्य के लिये निर्देश कर दें लेकिन उससे सब बातें नहीं आ पायेंगी। सारी बातों की जानकारी हमारे पास है, हम जानकारी देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पत्रकारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को स्वीकार करके कार्य-स्थगन के रूप में चर्चा कराने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, पत्रकारों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कहीं दखल नहीं दिया जा सकता, पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो उन्हें लिखना चाहिये, वह पूरी तरह स्वतंत्र है। जहां तक माननीय गुप्ता जी ने कहा, कुछ जगहों पर शिकायतें आयी थीं उस पर हमने जांच भी करवायी और जगह-जगह पर कार्यवाही भी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां कहीं पत्रकारों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा वह अन्याय नहीं होने दिया जायगा। पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी बात वह कह सकेंगे, अपनी बात को लिख सकेंगे। इसमें दो राय नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने स्वयं पत्रकारों के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया था कि एस0 पी0 जालौन का ट्रांसफर कर दिया जायगा। अगर यह सच है तो क्या उरई के एस0 पी0 का ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया और कब तक कर दिया जायगा ?

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने समस्या उठाई है, मैं समझता हूं, यह माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरा सदन इस बात को समझता है कि पत्रकारों की आजादी कितनी आवश्यक है। जैसे आज सदन में चर्चा चली, हमने बहुत सी बातें रखी, उन बातों में अगर पत्रकारों का सहयोग नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वह बातें नहीं पहुंच पायेंगी। यह समस्या केवल जालौन जिले पर ही नहीं है, माननीय गुप्ता जी ने कई उदाहरण रखे। यह सर्व-विदित है कि दो पत्रकारों को रा0 सु0 का0 में बन्द कर दिया गया। इसी तरह से बांदा जिले में भी जुल्म ढाया गया। जब कभी यह नौकरशाही की गलत बातों के लिए, उनके फर्जी काम होते हैं, उनके द्वारा जितनी गड़बड़ियां होती हैं, उनको ये पत्रकार लोग उजागर करते हैं, तब उनका उत्पीड़न किया जाता है। जालौन के जिला-धिकारी की पत्नी ने जब वहां के दूकानदारों से साड़ियां खरीदीं और पैसों का भुगतान नहीं किया, तो हो सकता है कि उसने इस बात को किसी पत्रकार से कह दिया हो और उस

तथ्य को उजागर कर दिया । यह मसला जिलाधिकारी की इज्जत का बन गया कि हम इस पत्रकार को नीचा जरूर दिखायेंगे।

मैं यहां पर दो बातें माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं । क्या आपसे इन पत्रकारों का प्रतिनिधि मण्डल मिला था और आपने उनको यह आश्वासन दिया था कि पत्रकारों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा । अगर आपके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पत्रकारों को पकड़ा गया है, तो आपके जो मुख्य मंत्री के अधिकार हैं, यह उन अधिकारों को चुनौती दिया है । क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर आपके आदेशों का पालन इसी तरह से किया जाता है ? दूसरी बात मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जिस पत्रकार को पकड़ा गया, उस पत्रकार की क्या गलती थी, जिसकी बिना पर आप उनकी कलम पर इतनी रोक लगाना चाहते हैं और उनको आप काम नहीं करने देना चाहते हैं? इसके संबंध में सारा सदन और विरोधी पक्ष के समस्त सदस्य जानते हैं कि यह मामूली मसला नहीं है, यह बड़ा गम्भीर मसला है । मान्यवर, अगर पत्रकारों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है, तो आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जायगा, इसको मान्यवर, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । मान्यवर, पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, यह साधारण बात नहीं है । इस समस्या के समुचित समाधान के लिए यह आवश्यक है कि आप माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकर करें और इस पर आवश्यक रूप से चर्चा करायें ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि पत्रकारों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक जालौन के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार की बात है, उसकी जांच डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) को दे दी गयी है। उसके बारे में मैंने माननीय गुप्ता जी से कहा कि पत्रकारों के साथ जो अन्याय करेगा, वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न होगा और वह जांच में दोषी पाया जायगा, तो उसे छोड़ा नहीं जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एस0 पी0 के बारे में क्या हुआ ? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई शर्मदार मुख्य मंत्री होता, तो वह इस्तीफा दे देता । आपने क्या पत्रकारों को यह आश्वासन दिया था कि उस एस0 पी0 का टान्सफर कर दिया जायगा ? अगर आपने पुनर्विचार किया तो उसे बता दें अन्यथा हम जानना चाहेंगे कि एस0 पी0 का स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ । आपने आश्वासन दिया था कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा लेकिन आपके आदेशों का पालन एस0 पी0 ने नहीं किया । इससे बड़ी शर्म और लज्जा की बात आपके प्रशासन के लिए दूसरी नहीं हो सकती ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या यह सही है कि वहां के जिलाधिकारी श्री जोशी का स्थानान्तरण पत्रकारों के उत्पीड़न के कारण किया गया ? क्या सरकार पुलिस कप्तान श्री यादव का तबादला करने पर विचार कर रही है ? मान्यवर, यह सरकार जान-बूझकर पत्रकारों का उत्पीड़न करवा रही है इसलिए मैं 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं। (श्री शतरुद्र प्रकाश सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आये दिन समाचार पत्रों में इस बात की खबरें सबके सामने आती रहती हैं कि कभी किसी जिले में पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ तो कभी किसी जिले में । क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा का कोई स्थायी हल निकले । क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इस समय बहुत महत्वपूर्ण मसला है पत्रकारों के उत्पीड़न का । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि किसी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा और बिना उनकी अनुमति के किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा लेकिन उनके आदेशों के बावजूद श्री राधेश्याम दांतरे को गिरफ्तार कर लिया गया और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में इस बात की घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि उनको वहां से मात्र स्थानान्तरित कर देंगे । मान्यवर, पत्रकारों के उत्पीड़न और सरकार के इस रवैये को देखते हुए मैं और मेरा दल 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कल्यान सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने स्पष्टीकरण चाहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया था आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उसके बाद श्री दांतरे को गिरफ्तार कर लिया गया । इस पर मुख्यमंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और इतने गम्भीर विषय को जो पत्रकारों की इज्जत का सवाल है उसको मुख्यमंत्री जी बहुत साधारण रूप से, मामूली घटना समझकर टाल रहे हैं ।

इसलिए इस पर चर्चा होना आवश्यक है और अभी तक मान्यवर, आपने चर्चा के आदेश व निर्देश नहीं दिए हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(माननीय नेता विरोधी दल एवं उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर मैं यहां पर आखिर अकेला बैठकर क्या करूंगा इसलिए मान्यवर पत्रकारों के उत्पीड़न के बारे में सरकार की ओर से सुरक्षा संबंधी कोई समुचित आश्वासन न मिलने के कारण मैं भी सदन से वाक-आउट कर रहा हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा जी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है, यह हमारा अपने क्षेत्र केसया जनपद देवरिया से संबंधित है जहां पर पी0 ए0 सी0 द्वारा लाठी चार्ज कराकर तबाही की गयी है, पचासों वर्ष पुराने मकानों व गुमटियों को वहां के संबंधित परगनाधिकारी की मौजूदगी में पी0 ए0 सी0 व पुलिस वालों के डंडों की नोक पर रख कर गिरवा दिये गये हैं । मान्यवर, वहां की इस विध्वन्सक कार्यवाही को देखकर अभी कुछ वर्षों पूर्व जैसा कि इमरजेंसी के दौरान किया गया था, फिर याद ताजा हुयी है । जहां के छोटे-छोटे दुकानदारों के छोटे-छोटे सामान-साबुन, कंघा व जाघिंया आदि सामान को छीन कर लूट मारी की और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ सामान को वहां बकया नाले में फेक दिया गया । इससे मान्यवर ऐसा मालूम होता है कि माननीय मुख्य मंत्री को जब कभी-कभी अपनी सुसराल कसया हवाई जहाज द्वारा जाना होता है वे शायद उनके रास्ते में यह गुमटियां और वह मकान पुराने अड़चन बनते थे इसलिए इनके आदेशों के तहत उन सब को वहां से उखाड़ कर फेक दिया गया है, जिसकी फोटो प्रतियां मान्यवर मैंने आपको भी दिये हैं और मान्यवर न्यायालय के फैसले के बावजूद उनके मकानों की सीढ़ियों व गुमटियों आदि को तोड़-फोड़ दिया गया है इसलिए मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और संबंधित परगनाधिकारी, जिसकी मौजूदगी में यह सारी ध्वसंक कार्यवाही की गयी है, के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री किरन पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत कार्य-स्थगन की सूचना जो प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद बंद करने के संबंध में है, वक्तव्य स्वीकार करता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना जो प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न के संबंध में है, वक्तव्य स्वीकार करता हूं और श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दी गयी सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षण करता हूं और बाकी सभी को अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, यह चर्चा मैं शुरू करने से पहले जानना चाहता हूं कि यह पूरे दिन चलेगी या . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप केवल शुरू कर दें ।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह जो वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत किया है, इससे पहले मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी दिनांक 10 मार्च, 1987 को लेखानुदान लाये थे और लेखानुदान लाते वक्त इन्होंने इसका जो औचित्य बताया था अपने स्मृति-पत्र में कि वर्ष 1987-88 की योजना को प्रदेश की जनता की विकास की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अंतिम आकार दिए जाने में कुछ समय लगा है आगे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 1987-88 का सम्पूर्ण बजट, व्यय की नयी मदों तथा नई योजनाओं का समावेश करते हुए विस्तृत अनुमानों सहित, प्रस्तुत किया जायेगा, अतः चार महीने का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि मा0 मुख्य मंत्री जी समय से नयी व्यय की मदों व अन्य सक्रीय योजनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाये इसलिए चार महीने का लेखानुदान लाना पड़ा ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट से तमाम आशायें थीं। चाहे वह केन्द्र का बजट हो या किसी प्रदेश का बजट हो, जब बजट पेश किया जाता है तो उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देश या प्रदेश की जनता को उससे बड़ी आशायें होती हैं। जनता को यह विश्वास होता है कि हमारे देश या प्रदेश का बजट आ रहा है, हमें कुछ न कुछ सुविधायें दी जायेंगी। चार महीने का लेखानुदान लेने के बाद मुख्य मंत्री जी ने जो बजट उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदन में रखा है। उत्तर प्रदेश की चौदह करोड़ जनता में बजट के बाद बहुत बड़ी निराशा व्याप्त हुई है। बहुत ही नीरस बजट दिखाई देता है। मैंने पूरे बजट का अध्ययन करने की कोशिश की, जानकारी करने की कोशिश की। मुझे आशा थी कि इस बजट में मुख्य मंत्री जी प्रदेश को विकास की गति देने की कोशिश करेंगे, किसानों को कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को यह आशा थी कि इस बजट में उन्हें कुछ मिलेगा। हम सभी को यह आशा थी कि मा0 मुख्य मंत्री जी इस बजट के माध्यम से महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी आशा करते थे कि उन्हें कुछ पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जायेंगी। आम आदमी विश्वास करता था कि चार माह में तो मुख्य मंत्री जी कुछ नहीं कर सके शायद इस बजट के माध्यम से महंगाई को रोकने का प्रयास करें, दामों को स्थिर करने का प्रयास करें। लेकिन मान्यवर, इस बजट को देखने के बाद मुख्य मंत्री जी ने और इस प्रदेश की सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि पिछले साल जो 86-87 का बजट था उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं दिया गया। 80 प्रतिशत किसानों के लिये, देहात में रहने वालों के लिए इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। जब तक मुख्य मंत्री जी इस गद्दी पर रहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा कल चालू रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री शफीकुर्रहमान बर्क की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

जनपद बांदा में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर बांदा जनपद की जनसंख्या 15,33,990 है जिसमें से लगभग 1,81,000 नगरीय क्षेत्रों में है। जनपद की ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल योजनाओं का रख-रखाव एवं संचालन का दायित्व झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी का है तथा सामान्य तौर पर सभी योजनाओं का विरचन एवं निर्माण कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है।

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1—नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था:

जनपद में 3 नगर पालिकाएं (बांदा, चित्रकूट धाम-करवी एवं अतर्रा) एवं 7 नगरक्षेत्र समितियां (बबेरू, आरन, नरैनी, मानिकपुर, राजापुर, विसण्डा एवं मटौंध) हैं। मटौंध नगर क्षेत्र समिति में नलकूपों के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1982 में एक प्राकलन बनाया गया था किन्तु नलकूप सभी सफल न होने के कारण योजना अब तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है। पेयजल के अभाव को दूर करने के लिए वर्ष 1985-86 में प्रभावित मुहल्लों में 3 हैण्ड पम्प लगाये गये। नलकूप के सफल न होने पर खण्डेह ग्राम समूह पेयजल योजना का वाटर वर्क्स (भूरागढ़) जिसके जल का श्रोत केन नदी है, से वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव बनाये गये हैं जिसकी अनुमानित लागत रु0 34.8 लाख है। नगरीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक कम आवंटन होने के कारण नयी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध न होने से इन योजनाओं पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं।

बांदा नगर में पेयजल आपूर्ति केन नदी एवं कनवारा तथा तेंदुआरी रोड पर स्थित 9 नलकूपों से की जाती है। विद्युत आपूर्ति के उपलब्ध होने पर प्रतिदिन लगभग 18 घंटे की पंम्पिग से इन समस्त श्रोतों से नगर की वर्तमान लगभग 85000 की जनसंख्या को 135 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत नगर में 2 शीर्ष जलाशय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो इस वर्ष पूर्ण हो जावेगा। इन शीर्षजलाशयों के पूरा होने पर जल के संचय की क्षमता बढ़ जाने पर जल वितरण में सुधार होगा।

मापदण्डों के अनुसार प्रति व्यक्ति की आपूर्ति लगभग 200 ली0 प्रतिदिन होनी चाहिए और इस प्रकार वर्तमान में आपूर्ति कम हो रही है, किन्तु धनाभाव के कारण श्रोतों को बढ़ाने एवं वितरण प्रणाली के कार्यों को सुदृढ़ नहीं किया जा सका है। विशेष प्रभावी मुहल्लों में राहत हेतु वर्ष 85-86 में 20 हैण्डपम्प एवं वर्ष 86-87 में 5 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। बांदा नगर में निर्माणाधीन कार्यों के लिए वर्ष 86-87 में रु0 18.5 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके विपरीत रु0 20.66 लाख व्यय किये गये तथा अवशेष कार्यों को वर्ष 87-88 में पूरा करने हेतु रु0 6.00 लाख का प्राविधान किया गया।

चित्रकूट धाम करवी एवं मानिकपुर नगर क्षेत्र समिति में पेयजल की आपूर्ति पाठा योजना के अंतर्गत पाँखैनी नदी एवं मोहन नाले के श्रोतों से की जाती है। यह योजना वर्ष 1973-74 में कार्यान्वित की गयी थी, तब से आबादी एवं मांग में वृद्धि होने के कारण वांछित मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो रही है। समस्या के निदान हेतु वर्ष 86-87 में वर्तमान आपूर्ति का लगभग 50% वृद्धि हेतु रु0 54.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जिससे 31 नये पम्प लगाये जायेंगे, लगभग 2000 मीटर राईजिंग मेन तथा जल वितरण प्रणाली की मरम्मत का कार्य किया जावेगा जिससे उपरोक्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। लगभग सभी पम्प प्राप्त हो गये हैं तथा पाइप के बिछाने इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। आशा है कि समस्त कार्य दिसम्बर, 87 तक पूर्ण होकर चालू हो जावेगा।

औरन नगर में पेय जल व्यवस्था बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1986-87 में प्राकलन विरचित किया गया है जिसमें एक नये नलकूप के निर्माण के साथ अन्य कार्यों का प्राविधान है । इन कार्यों को करने हेतु रु0 4.25 लाख का प्राविधान किया गया है । कार्य प्रगति पर है एवं दिसम्बर 87 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

2—ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था :—

जनपद में कुल 1344 राजस्व ग्राम हैं जिसमें से 1206 आबाद हैं । वर्ष 1972 के वितरण के अनुसार 650 ग्राम समस्या ग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में पाये गये थे जिसमें से 650 ग्रामों को पाइप (450) तथा हैण्ड पम्प (200) द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है । वर्ष 1985 में 351 और अधिक ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में आंके गये । इस प्रकार जनपद की कुल समस्याग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या 1001 आंकी गयी । वर्ष 1985 के समस्याग्रस्त ग्रामों में से अब तक 268 ग्रामों को हैण्ड पाइप के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है । इस प्रकार कुल 1001 समस्याग्रस्त ग्रामों में से अब तक 918 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है । इसके अतिरिक्त 137 असमस्या ग्रस्त ग्रामों में भी पेय जल उपलब्ध कराया जा चुका है । पूरे जनपद में लगभग 1200 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।

वर्ष 1986-87 में जनपद की ग्रामीण पेय जल योजनाओं के लिए न्यूनतम, त्वरित, हरिजन बस्ती एवं सूखा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः रु0 40.00 रु0 102.4, रु0 16.00 एवं रु0 15.00 (कुल रु0 173.4) लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके अन्तर्गत 217 ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है । वर्ष 1987-88 में न्यूनतम त्वरित एवं हरिजन बस्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 35.00 लाख रु0 39.45 लाख एवं रु0 11.4 लाख (कुल रु0 85.85 लाख) की धनराशि से 10 नये समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किया जावेगा तथा चालू ग्रामीण पेय जल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

वर्ष 1986-87 में कमासिन, पाठा, पहाड़ी, राजापुर, औरन, बरगढ़ तथा मऊ ग्राम समूहों में पाइप पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण हेतु शासन द्वारा रु0 100.00 लाख अनुमानित लागत का कार्य प्रगति पर है एवं समस्त कार्य दिसम्बर 87 तक पूर्ण होने की आशा है जिससे कि पाठा योजना के अन्तर्गत 105 राजस्व ग्राम एवं 2 नगरों तथा अन्य 102 ग्राम एवं 2 नगरों में पेयजल की व्यवस्था में सुधार होगा ।

वर्ष 1986-87 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा रु0 14.00 लाख हैण्ड पम्प के कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था जिसके अन्तर्गत 89 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 31.5 लाख ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने तथा अन्य कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये हैं जिनका कार्य प्रगति पर है ।

झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी द्वारा 10 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का रख-रखाव एवं संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 220 ग्राम लाभान्वित हैं । कानाखेड़ा, खण्डेह, बरेठीकला, खपटिया, मुरवल, बिलगांव, जसपुरा, पतवन, तिदु-आरी, साण्डा-साण्डी, भुगआ, अगांसी, निवाइयें एवं करौंदी कलां ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में लगभग समस्त कार्य जल निगम द्वारा पूर्ण किया जा चुका है तथा 205

ग्रामों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संस्थान द्वारा अब तक इन योजनाओं को हस्तगत नहीं किया गया है, फलस्वरूप नल संयोजन नहीं दिये जा रहे हैं।

इस ग्रीष्म ऋतु में जिलाधिकारी से पेयजल के संबंध में शासन स्तर पर किसी विषय पर स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।]

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि जो सूचनाएं दी गयी हैं अधिकारियों के द्वारा, यह सही नहीं हैं। वहां की स्थिति बड़ी शोचनीय है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इसमें पुनः जांच करावें और प्रभावशाली कार्यवाही करें। तभी कुछ राहत मिल सकती है और हर साल जो यह समस्या उठ खड़ी होती है, उसका स्थायी समाधान मिलना चाहिये। वैसे भी वक्तव्य की कापियां अभी तक बंटी नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने काफी विस्तृत सूचना दी है। यदि किसी सूचना पर मा0 सदस्य को कोई संदेह है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वे मुझे लिखकर दे दें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। 29 तारीख को 11 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर 29 जून, 1987 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

26 जून, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

संलग्नक

कुछ महिलायें रोजगार की ओर अग्रसर होना चाहती हैं, किन्तु धनाभाव तथा उचित मार्ग दर्शन न मिलने के कारण वह इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का दीर्घ कालीन लक्ष्य महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में समानता के आधार पर हिस्सा लेने योग्य बनाने हेतु व्यवस्था किया जाना है। इसलिये यह अनुभव किया गया है कि यदि बेसहारा एवं कमजोर वर्ग की उद्धत उद्यमी महिलाओं को अपना रोजगार चलाने के लिये उचित रीति से आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण की सुविधा दिलायी जाये और सही मार्ग दर्शन कराया जाये तो इन महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास हो सकता है और उन पर निर्भर परिवारों को स्वीकार्य स्तर के जीवन यापन का अवसर मिल सकता है। इस उद्देश्य से उ0 प्र0 महिला विकास निगम की स्थापना की गई है।

2—इस निगम के कार्यक्षेत्र की रूपरेखा निम्नवत होगी :—

(1) निराश्रित, निर्धन तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिये बिना हानि-लाभ के आधार पर कार्य करना।

(2) महिलाओं को शासन द्वारा अनुमोदित योजनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(3) महिलाओं में औद्योगिक जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना।

(4) महिलाओं को सहकारिता एवं व्यक्तिगत रोजगार, उद्योग या व्यवसाय हेतु ऋण तथा मार्जिन मनी के रूप में अनुदान की व्यवस्था कराना।

(5) उद्यमी महिलाओं का चयन करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देना एवं उचित प्रशिक्षण अथवा सही मार्गदर्शन दिलाकर उन्हें कार्यरत कराना।

(6) महिलाओं की कार्यक्षमता के अनुरूप बाइएबुल प्रोजेक्ट एवं आदर्श योजनायें तैयार कराना एवं तकनीकी परामर्श देना।

(7) मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना।

(8) विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं राजकीय स्तर की विपणन संस्थाओं से सम्पर्क रखना एवं स्वयं भी विपणन व्यवस्था तैयार करना।

(9) सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये उन्हें उद्योग, व्यवसाय या दुकानें चलाने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(10) इच्छुक महिलाओं को सम्बन्धित व्यवसाय में प्रशिक्षण दिलाना । (इस हेतु महिला पालीटेक्निक एवं आई0 टी0 आई0 इत्यादि संस्थाओं की भी सहायता ली जायेगी)

(11) महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराकर रोजगार तथा स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान कराना और साथ ही महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु ऐसे कार्यक्रम संचालित कराना जो उनके लिए हितकर हों ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

हरिजन			पिछड़ी जाति		
तारीख	छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों की संख्या	दी गयी धनराशि	तारीख	छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों की संख्या	दी गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6
15-4-86	497	82440.00	15-4-86	308	31464.00
19-4-86	878	137310.64	26-4-86	580	59234.00
26-4-86	68	62244.00	30-4-86	426-	52104.00
30-4-86	709	53284.00	2-5-86	655	62294.00
2-5-86	1207	74798.00	8-5-86	881	106280.00
8-5-86	895	78308.00	10-5-86	508	54792.00
10-5-86	1270	87918.00	27-10-86	794	347672.00
18-5-86	22	3788.00	..	..	.
23-10-86	25	3850.00	..	..	..
26-10-86	239	38255.00	..	..	..
28-10-86	251	50654.00	..	..	..
29-10-86	80	12751.00	..	..	..
18-12-86	72	20440.00	..	..	..
योग	7013	696040.64	..	4152	713840.00

अनुवाद सेवा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता 0प्र0सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

31-3-1987 तक जनपदवार विद्युतीकृत ग्रामों की सूची—

क्रमसं0	जनपद		कुल ग्राम 1981 की जनगणना के अनुसार	31-3-87 तक विद्युतीकृत ग्राम	अवशेष
1	2		3	4	5
1	सहारनपुर	..	1700	1450	250
2	मुजफ्फरनगर	..	927	926	1
3	मेरठ	..	920	1039	..
4	गाजियाबाद	..	704	753	..
5	बुलन्दशहर	..	1365	1403	..
6	अलीगढ़	..	1704	1583	121
7	मथुरा	..	867	736	131
8	आगरा	..	1174	907	267
9	मैनपुरी	..	1371	978	393
10	एटा	..	1510	908	602
11	बरेली	..	1901	1195	706
12	बदायूं	.	1785	1143	642
13	शाहजहांपुर	..	2124	980	1144
14	पीलीभीत	..	1198	643	555
15	बिजनौर	..	2154	1476	678
16	मुरादाबाद	..	2473	1953	520
17	रामपुर	..	1092	717	375
18	फर्रुखाबाद	..	1577	1165	412
19	इटावा	..	1462	775	687
20	कानपुर	..	1885	864	1021
21	फतेहपुर		1349	922	427
22	इलाहाबाद	..	3514	2667	847
23	झांसी	..	759	452	307
24	ललितपुर	..	683	261	422
25	जालौन	..	939	520	419
26	हमीरपुर	.	917	452	465
27	बांदा	..	1207	675	532
28	वाराणसी	..	3662	2276	1386
29	मिर्जापुर	..	3024	1006	1928
30	जौनपुर	..	3245	2705	540
31	गाजीपुर	..	2540	2543	..
32	बलिया	..	1920	1403	517

प्रेस प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
33	गोरखपुर ..	4110	2325	1785
34	देवरिया ..	3538	208	1527
35	बस्ती ..	6929	2752	4177
36	आजमगढ़ ..	4935	3896	1039
37	लखनऊ ..	899	822	77
38	रायबरेली ..	1687	1749	
39	उन्नाव ..	1731	788	943
40	सीतापुर ..	2330	877	1453
41	हरदोई	1881	816	1065
42	खीरी ..	1699	990	709
43	फैजाबाद ..	2645	1853	792
44	गोण्डा ..	2809	1311	1498
45	बहराइच ..	1884	1124	760
46	सुल्तानपुर ..	2492	2008	484
47	बाराबंकी ..	2043	817	1226
48	प्रतापगढ़ ..	2185	1206	979
49	नैनीताल .	1806	1611	195
50	अल्मोड़ा .	3019	1862	1157
51	पिथौरागढ़ .	2174	930	1244
52	देहरादून	743	624	122
53	उत्तरकाशी	669	507	162
54	चमोली ..	1516	869	647
55	पौड़ी गढ़वाल ..	3237	1345	1892
56	टेहरी गढ़वाल ..	1953	998	955
	योग ..	112566	71564	41002

अविभाजित प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भटहट, पिपराइच, तथा सरदारनगर में 31-3-1986 तक विद्युतीकृत ग्रामों व हरिजन बस्तियों का विवरण :

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों का नाम जिनका विद्युतीकरण एल0टी0 लाइन बिछाकर किया गया	हरिजन बस्तियों का नाम जिनका विद्युतीकरण किया गया
1	2	3	4
1	भटहट	जंगल डुमरी नं0 1	जंगल डुमरी नं0 1
		रघुनाथपुर	रघुनाथपुर
		जंगल डुमरी नं0 2	जंगल डुमरी नं0 2
		जंगल सेखनी	जंगल सेखनी
		पुसवरिया	पुसवरिया
		लगड़ी गुलहरिया	लगड़ी गुलहरिया
		रामपुर बुजुर्ग	रामपुर बुजुर्ग
		जमुनिया	जमुनिया
		बनचरा	बनचरा
		परसिया	परसिया
		सिरसिया गदई उर्फ बरगदही	सिरसिया गदई उर्फ बरगदही
		तरकुलवा	तरकुलवा
		भटहट	भटहट
		महरी	महरी
		रतनपुरा	रतनपुरा
		मैरवा	मैरवा
		चिउटहा	चिउटहा
		खिरिया	बनचरा
		मिसवा	जंगल सेखनी
		बघहा	
		पिपरी	
		चकिया	
		बमवा	
		समदार बुजुर्ग	
		समदार खुर्द	
		घोड़ादेउर	
		समस्तपुर मुडिया	
		सोहसा	
		खिरिया	
		पतरा	
2	पिपराइच	पिपराइच	पिपराइच
		रुद्रपुर	रुद्रपुर
		बहरामपुर	बहरामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		हमीदपुर	हमीदपुर
		उनवला खुर्द	बेला
		बेला	बसडिलारौसर
		बसडिलारौसर	बंघुआ
		करगहा	रामुडिहा
		बंघुआ	लखेसरा
		रामुडिहा	पिपराबसन्त
		बरसौनी	अगया
		लखेसरा	लुहसी
		पिपराबसन्त	महअवाखुर्द
		अगया	रीहिया
		महअवाखुर्द	सिसवा
		रीहिया	मुडेरा मठवा
		सिसवा	हरखपुर
		मुडेरा गठवा	जादवपुर
		हरखपुर	जगपुर
		जादवपुर	मुडेरी खुर्द
		जगपुर	सरंडा
		मुडेरी खुर्द	मुडेरा बुजुर्ग
		सरंडा	करामौल
		मुडेरा बुजुर्ग	सिघौली
		करामौल	जंगल उनवला –2
		सिघौली	चिलबिलवा
		जंगल उनवला–2	भैंसहा
		चिलबिला	
		भैंसहा	
		महराजो	
		इसलामपुर	
		बेलवा खुर्द	
		गौरा	
		रामनगर कंजहो	
		सोनवे कन्दरहा	
		सोनबरसा खुर्द	
		करमैनो	
		जगदोशपुर	
		उसका	
		महअवा कैथा	
		महराजो	
3	चरगांवा	मानीराम	मानीराम
		ठाकुरपुर–2	ठाकुरपुर–2
		सिकटौर	सिकटौर
		जंगल तुलसीराम	जंगल तुलसीराम
		जंगल रामगढ़ उर्फ रजही	जंगल घूसड़

1	2	3	4
		जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुरा जंगल घूसड़ ।	जंगल शिवपुर उर्फ सहबाज जं0 सालिकराम
		जं0 शिवपुर उर्फ सहबाजगंज	हरसेवकपुर
		जं0 शालिगराम	सेमरा
		हरसेवकपुर	सलेमपुर उर्फ भोगलपुरवा
		सेमरा	फतेहपुर
		सलेमपुर उर्फ भोगलपुरवा	चरगांव
		फतेहपुर	झुगिया
		चरगांव	नौतन
		हरसेवकपुर नं0–1	गुलरिचया
		मानबेला	सराव गुलरिया
		अमवा	नाहरपुर
		झुगिया	परसिया
		नौतन	जं0 एकला नं0–2
		गुलरिया	महराजगंज
		सराय गुलरिया	बिशुनपुर
		नाहरपुर	शिया रामपुर
		परसिया	बैजनाथपुर
		जं0 एकला नं0–2	परमेश्वरपुर
		महराजगंज	रामपुर गोपालपुर
		बिशुनपुर	खुटहनखास
		सियारामपुर	जं0 तिनकोनिया नं0–2
		बैजनाथपुर	रहमत नगर
		परमेश्वरपुर	इटहिया
		रामपुर गोपालपुर	जं0 क्षत्रधारी
		खुटहनखास	रामपुर नयागांव
		जं0 तिकोनिया नं0–2	गलरिया
		रहमतनगर	जौरहर
		इटहिया	सिक्टौर
		जं0 क्षेत्रधारी	नवांमार
		रामपुर नयागांव	रामपुर चकिया
		जौहरपुर	जं0 नन्दलाल सिंह
		रामपुर चक	जं0 औराही
		जं0 नन्दलाल सिंह	शिया रामपुर
		जं0 औराही	जं0 पकड़ी
		पकड़ी	रामपुर गोपालपुर
		नवापार	अराजी क्षत्रधारी उर्फ मिश्रौलिया ।
		आराजी क्षत्रधारी उर्फ मिश्रौलिया ।	बनगाई
		करमहिया उर्फ करमहा	उमरपुर
		मिर्जापुर	नारायनपुर नं0–2

1	2	3	4
		बेलवा रामपुर	करमहिया उर्फ करमहा
		बनगाई	बेलवा रामपुर
		उमरपुर	मिर्जापुर
		नारायनपुर नं 0–2	फतेहपुर
			नाहरपुर
			परसिया
			जं 0 तुलसीराम
			जं 0 थुसड़
			जं 0 सालिगराम
			जं 0 हरसेवकपुर
			जं 0 गुलरिया
4	सरदार नगर	डुमरियाखास	डुमरीखास
		छपरा	छपरा
		डुमरी खुर्द	डुमरी खुर्द
		चौरी	चौरी
		बरईपार	बरई खुर्दपुर
		खैराबाद	बघार
		गौनर	तेलहनपार
		तेहलनपार	सुघैरी
		सुघैरी	बिलारी
		बिलारी	बांसडिला तिलवार
		बांसडिला तिलतार	सरया
		करमहा	मैवापार
		सरया	बिशुनपुर
		केशवपट्टी	अयोध्याचक
		महदेवा जंगल	नरायनपुर
		मैवापार	भगवानपुर
		बिशुनपुर	मोना बाजार
		अहरौली	रामपुर
		आमकोल	चौरा
		देवकली	बिसम्भरपुर
		महुवा बुजुर्ग	फुलवसिया
		बेलवा बुजुर्ग	इब्राहिमपुर
		अवधपुर	केवीपुर
		अयोध्या चक	चौरी–2
		मोतीपातर	बाल खुर्द
		महतपुर	लक्ष्मीपुर
		मलमलया	मटगवां
		नारायनपुर	बरही
		शत्रुधनपुर	
		भगवानपुर	
		बसीया बुजुर्ग	

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
		भोपा बाजार	
		जौनपुर	
		रामपुर बुजुर्ग	
		कुसुल	
		चारा	
		बिसम्भरपुर	
		फुलवरिया	
		इब्राहिमपुर	
5	मडपार	.. देवोपुर	
6	मंटगावा	.. चौरो	
7	मुहम्मदपुर	.. बालखार्द	
		लक्ष्मोपुर	
8	बरहो	.. राधा बाजार	
		जोधपुर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अता0प्र0सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

अशोक कुमार दुग्गल,
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त।

अ0शा0प्र0सं0 5129/9-26/82
राजस्व परिषद्, उ0प्र0
अनुभाग—9

दिनांक: लखनऊ, नवम्बर 24, 1983

प्रिय महोदय,

शासन/परिषद की जानकारी में यह बात लाई गयी है कि गांवों में आबादी के नक्शे न होने से गांव के भीतर किए गए अनाधिकृत कब्जों को दूर करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं जिनके सम्बन्ध में नक्शे व अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होता है कि कौन कितनी भूमि पर काबिज है। इस समस्या के निदान हेतु यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि गांवों की आबादी के नक्शे और अभिलेख तैयार किए जायं। यह सुझाव आपके जनपद के विधायक श्री जेतली द्वारा शासन को दिए गए हैं। वर्तमान समय में गांवों की आबादी के नक्शे बनाने, विस्तृत सर्वेक्षण एवं उसके अभिलेखों की तैयारी के विषय के बाहर हैं।

इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने व शासनादेश जारी करने से पूर्व मुझे आपसे यह अनुरोध करने की आकांक्षा की गयी है कि श्री जेतली द्वारा दिए गए सुझाव पर आप इसकी व्यवहारिकता एवं कठिनाइयों के बारे में अपने सुझाव परिषद् को भेजें। इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी आख्या भेजने की कृपा करें —

1—मामले के क्रियान्वयन हेतु कितना परिव्यय/लागत निहित होगी।

2—किस प्रकार का स्टाफ तथा कितने परिणाम में आवश्यक होगा अर्थात वह कार्य यूनिटों द्वारा कराया जाय अथवा अन्य एजेन्सी से।

3—पहले एक ग्राम विशेष प्रयोगिक तौर पर जायजा लिया जाय और श्री जेतली विधायक से लिखित रूप में यह सूचना मांगें कि यह कार्य किस ग्राम में कराया जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर उपरोक्तानुसार अपने सुझाव व आख्या परिषद् को इस माह के अन्दर उपलब्ध करने की कृपा करें।

श्री हरि मोहन सिंह,
जिलाधिकारी, फैजाबाद।

भवदीय,
अशोक कुमार दुग्गल।

नत्थी "च"

(देखिए अता0प्र0सं0 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

33/11 के0वी0 विद्युत केन्द्र, मुहम्मदाबाद (जनपद गाजीपुर) कमान्ड क्षेत्र में अगस्त, 1986 से नवम्बर, 1986 की अवधि में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों तथा उनके बदले जाने का विवरण

क्रम-सं0	क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में विवरण			क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के बदले जाने के सम्बन्धमें विवरण	
	दिनांक	ग्राम का नाम	क्षमता (के0वी0ए0)	दिनांक	क्षमता (के0वी0ए0)
1	2	3	4	5	6
1	8-8-1986	पहाड़पुर (निजी नलकूप)	25	28-8-1986	25
2	8-8-1986	मुर्की टाऊन	25	28-8-1986	25
3	18-8-1986	कामूपुर (निजी नलकूप)	25	28-8-2986	25
4	20-8-1986	कला कन्हौरी (")	15	25-9-1986	25
5	25-8-1986	शेरपुर कला (नि0नल0)	31.25	27-9-1986	63
6	2-9-1986	शेरपुर खुर्द (राजकीय नलकूप)।	25	5-10-1986	25
7	5-9-1986	लालपुर (राजकीय नलकूप)	25	5-10-1986	25
8	19-9-1986	टड़वा (निजी नलकूप)	15	14-10-1986	25
9	22-9-1986	तमलपुर (निजी नलकूप)	25	27-10-1986	25
10	28-9-1986	दौलताबाद (रा0नल0)	63	25-10-1986	63
11	6-10-1986	बड़ेकोवारी (रा0नल0)	25	31-10-1986	25
12	7-10-1986	बालाकाटाड (रा0नल0)	25	17-11-1986	25
13	30-10-1986	हाटा (निजी नल0)	15	27-11-1986	25
14	31-10-1986	माटाटाउन	63	5-2-1987	63
15	1-11-1986	परना (रा0नल0)	25	8-12-1986	25
16	5-11-1986	बाराचवर (रा0नल0)	63	1-1-1987	63
17	6-11-1986	जीयनदासपुर (नि0नल0)	63	20-3-1987	63

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

कुल ग्रामों की सूची जिनमें विद्युत चालित नलकूप लगे हैं (विकास खण्डवार)

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम
1—विकास खण्ड बोघापुर		2—विकास खण्ड सुमेरपुर		3—विकास खण्ड पुरवा	
1	राजेपुर गढेवा	1	ताजपुर	1	मोहिउद्दीनपुर
2	डन्डामऊ	2	कोरतपुर	2	रसूलपुर
3	टिकरोमऊ	3	वरखेड़ा	3	तारागढ़ी
4	बोघापुर	4	कल्यानपुर	4	गरसौ
5	कटरा दोवान खेड़ा	5	ककरारो	5	मियागंज
6	घाटमपुर खुर्द	6	चन्दनपुर	6	बेहटा भवानी
7	चकधौरहरा	7	देवा खेड़ा	7	पासा खेड़ा
8	रुझई	8	डिगघो	8	घिरजो खेड़ा
9	घाटमपुर कलां	9	अलबलपुर	9	मोलागंज (मूलमऊ)
10	करनईपुर	10	थार	10	चमियानो
11	रामपुर	11	माहकमपुर	11	हिम्मतपुर
12	पिघई खेड़ा खुर्द	12	चौहान खेड़ा		
13	हरचन्दपुर	13	परई (मानपुर)		
14	निहालो खेड़ा	14	साझामऊ		
15	सगवर	15	चकमगन खेड़ा		
16	धमनो खेड़ा	16	बरगदहा		
17	टेढ़ा	17	मुबारकपुर		
18	कुम्मो	18	सनेहोपुर (सुन्दरपुर)		
19	अकबरपुर	19	परेंदापुर		
20	इन्द्रेमऊ	20	सिकन्दरपुर		
21	मानुपुर	21	छेदा खेड़ा		
22	अकवाबाद	22	अकबरपुर		
23	औघियां	23	पिथई खेड़ा		
24	पाहोहरदो	24	चोटिहा		
25	गौरो	25	बिहार		
26	इन्दपुर	26	पाटन		
27	पांडेपुर	27	गडरियन खेड़ा		
28	रसूलपुर रोता खेड़ा	28	आटमनू खेड़ा		
29	पाराहरदो	29	काजिदपुर		
30	कुतुबुद्दीन गढ़ेवा	30	रामपुर खरही		
31	अरम	31	मनिकापुर		
32	खेसुवा	32	चयनपुर		
33	लालपुर	33	सुमेरपुर (छाछीराई खेड़ा)		
		34	ऊचगांव		

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम
		35	बक्सर		
		36	रसूलपुर (जगतपुर)		
		37	मुहियन खेड़ा		
		38	कपूरपुर		
		39	धनकौली		
		40	भइया खेड़ा		
		41	भगवन्त नगर		
		42	मनिकापुर		
		43	मदेऊरा		
		44	नारायण दास खेड़ा		
		45	जमीरपुर		

उन ग्रामों की सूची जिनमें विद्युत चालित नलकूप लगे हैं और जिनके ग्रामों व हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है (विकास खण्डवार)।

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम
	1		2		3
1–विकास खण्ड बीवापुर		2–विकास खण्ड सुमेरपुर		3–विकास खण्ड पुरवा	
1	राजेपुर गढ़ेवा	1	विहार	1	मोहिउदीनपुर
2	डन्डामऊ	2	पाटन	2	रसूलपुर
3	टिकरीमऊ	3	गडरियन खेड़ा	3	तारागढ़ी
4	बीघापुर	4	आटमन्नू खेड़ा	4	गरसी
5	कटरा दीवान खेड़ा	5	वाजिदपुर	5	मियांगंज
6	घाटमपुर खुर्द	6	मनिकपुर	6	वैहटाभवनी
7	चकधौरहटा	7	चयनपुर	7	पासा खेड़ा
8	रुझई	8	रमपुर खरही	8	मिरजी खेड़ा
9	घाटमपुर कलां	9	सुमेरपुर (छछीराई खेड़ा)	9	भोलागंज (भेलमऊ)
10	करनईपुर	10	ऊचगांव	10	चमियानी
11	रामपुर	11	बस्सर	11	हिम्मतपुर
12	पिलई खड़ा खुर्द	12	रसूलपुर (जगतपुर)		
13	हरचन्दपुर	13	मुहियन खेड़ा		
14	निहाली खेड़ा	14	कपूरपुर		
15	सगवर	15	धनकौली		
16	धमनी खेड़ा	16	भइया खेड़ा		
17	टेढ़ा	21	भगवन्त नगर		
18	कुम्भी	18	मनिकापुर		
19	अकबरपुर	19	मदेऊरा		
20	इन्द्रेमऊ	20	नारायणदास खेड़ा		
21	मानपुर	21	जमीपुर		
22	अकबाबाद				
23	औधिय				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ग्रामों के विद्युतीकरण का निर्धारित लक्ष्य व वास्तविक उपलब्धि का विवरण।

वर्ष	नैनीताल जनपद		अल्मोड़ा जनपद		पिथौरागढ़ जनपद	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल						
1975–76 ..	19	64	26	64	21	3
1976–77 ..	18	83	24	151	27	9
1977–78 ..	75	59	100	118	90	58
1978–79 ..	46	56	181	102	61	65
1979–80 ..	39	50	115	136	60	54
योग ..	197	312	346	571	259	199
छठी पंचवर्षीय योजना काल						
1980–81 ..	29	30	154	192	64	13
1981–82 ..	142	231	128	150	82	77
1982–83 ..	35	288	102	89	48	127
1983–84 ..	30	54	117	117	65	50
1984–85 ..	24	88	156	159	87	87
योग ..	260	691	657	707	346	354

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

परिशिष्ट–1

जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़ में पिछले 5 वर्षों में कामर्शियल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों की पंजीयन तथा नियुक्ति की स्थिति निम्न प्रकार रही––

वर्ष	पंजीकृत	नियुक्त
1982	28	3
1983	16	1
1984	11	4
1985	09	1
1986	19	1
योग	74	10

अवर सचिव विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 148 विधान सभा–(258)–1987–813।